Himachal Pradesh
FOR REFERENCE ONLY
2-12-03

आर्थिक सर्वेक्षण

ECONOMIC SURVEY

2002

HIMACHAL PRADESH

DEPARTMENT OF ECONOMICS & STATISTICS

हिमाचल प्रदेश
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2002

NIEPA DC
D12133

अर्थ एवम् संख्या विभाग

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-12133
Date ..... 04-12-2003.

प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है, जो सरकार के विभिन्न विभागों की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2001-2002 में राज्य की आर्थिक गतिविधियों व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं ।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं । इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूं ।

एस.के.सूद
वित्तायुक्त एवं सचिव,
वित्त, योजना तथा अर्थ एवं सांख्यिकी,
हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय सूची

		पृष्ठ
1. सामान्य समीक्षा	..	1
2. राज्य आय	..	8
3. मुद्रा एंव बैंक	..	11
4. भाव एंव नागरिक आपूर्ति	..	17
5. कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र	..	21
6. उद्योग एंव रोजगार	..	39
7. विद्युत	..	44
8. परिवहन एंव संचार	..	51
9. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	..	54
10. सामाजिक एंव आर्थिक सेवाएं	..	56
11. स्थानीय निकाए	..	69
12. ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज	..	71
13. सूचना प्रौद्योगिकी	..	78

भाग-I

वर्ष 2001-2002 की प्रगति की समीक्षा

1. सामान्य समीक्षा

देश की आर्थिक स्थिति

1.1 2000-01 के वित्तीय वर्ष में स्थिर भावों (आधार 1993-94) पर देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1999-2000 में यह वृद्धि 6.1 प्रतिशत तथा 1998-99 में 6.6 प्रतिशत थी। विकास दर में निरन्तर दूसरे वर्ष आई कमी के बावजूद भारत अभी भी विश्व के तीव्र विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में से एक है। गत कुछ वर्षों में कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय भावों में आए महत्वपूर्ण चढ़ाव के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रशंसनीय स्थिरता दिखाई है। विगत कुछ समय में प्रतिकूल बाहय परिस्थितियों जैसे कि; 1997-99 की ऐशियाई वित्तीय विषमताएं और 2001 में विश्वव्यापी मन्दी के कारण निर्यात में आई कमी तथा परिणामतः नौंवी पंचवर्षीय योजना में कम औद्योगिक उत्पाद के कारण विकास दर भी कम रही। चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कृषि क्षेत्र में तुलनात्मक वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि की सम्भावनांए बढ़ी है जिस कारण वर्ष 2001-02 में विकास दर 5.4 प्रतिशत आंकी गई है। अच्छी बारिश के कारण रबी की फसल में काफी सुधार की संभावनाओं के आधार पर वर्ष 2001-2002 में कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2000-01 के 196.1 मीलियन टन की तुलना में 209.2 मीलियन टन होने की सम्भावना है। वर्ष 2001-02 की प्रथम छमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2000-01 की प्रथम छमाही की 5.7 प्रतिशत की वृद्धि के आधे से भी कम है।

1.2 1993-94 के स्थिर भावों पर वर्ष 2000-01 में कुल सकल घरेलू उत्पाद 11,93,922 करोड़ रूपये आंका गया है जबकि 1999-2000 में यह 11,48,500 करोड़ रूपये आंका गया था। स्थिर भावों पर वर्ष 1999-2000 में 17,55,638 करोड़ रूपये की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2000-2001 में 18,95,843 करोड़ रूपये है जो कि 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत की वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र(6.7 प्रतिशत) निर्माण(6.8 प्रतिशत) संचार(15 प्रतिशत) स्थावर सम्पदा, व व्यवसायिक सेवांए (9.0 प्रतिशत) तथा अन्य सेवांए (7.4 प्रतिशत) में हुई वृद्धि के कारण सम्भव हुई। पिछले वर्ष की तुलना में चावल की पैदावार में 5.4 प्रतिशत, गेहूं में 10.0 प्रतिशत, दालों में 20.4 प्रतिशत, तिलहन में 11.2 प्रतिशत तथा कपास उपज में 16.3 प्रतिशत कमी के कारण् कृषि क्षेत्र में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रति व्यक्ति आय जो गत वर्ष 15,562 रूपये थी 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए इस वर्ष 16,487 रूपये हो गई।

1.3 थोक भाव सूचकांक के आधार पर चालू वित्त वर्ष में मुद्रा स्फीति की दर काफी कम रही। इस वित्तीय वर्ष में 31.12.2001 तक सूचकांक में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुंई जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की 8.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में काफी कम है! औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवम्बर 2000 में 450 से बढ़कर 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए नवम्बर 2001 में 472 हो गया।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.4 हिमाचल प्रदेश कीं अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों पर निर्भर करती है और कृषि उत्पादन में आया तनिक उतार चढ़ाव विकास दर को अत्यंत प्रभावित करता है। वर्ष 1999-2000 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1993-94 के भावों) पर 7206 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 7,635 करोड़ रुपये हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.0 प्रतिशत रही। प्रचलित भावों पर समस्त घरेलू उत्पाद वर्ष 1999-2000 में 11,983 करोड़ रुपये की तुलना में 2000-2001 में 12,942 करोड़ रुपये आंका गया। वर्ष 1999-2000 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 17,786 रुपये से बढ़कर 2000-2001 में 18,920 रुपये हो गई जो कि 6.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य श्रेय प्राथमिक क्षेत्रों की 9.6 प्रतिशत, गौण क्षेत्रों की 5.5 प्रतिशत, यातायात व व्यापार क्षेत्र की 5.4 प्रतिशत व सेवा क्षेत्र की 5.3 प्रतिशत विकास दर को है। वर्ष 2000-01 में खाद्यान्न उत्पादन में 14.4 प्रतिशत की भारी कमी आ गई क्योंकि इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 1999-2000 में 14.46 लाख मी. टन की तुलना में केवल 12.08 लाख मी. टन हुआ किन्तु फलोत्पादन में वर्ष 1999-2000 में 89.41 हजार मी.टन की तुलना में वर्ष 2000-2001 में 428.03 हजार मी. टन की तीव्र वृद्धि (सारणी 1.1) के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास 6.0 प्रतिशत की प्रभावशाली दर से हुआ।

सारणी-1.1

मुख्य सूचक

सूचक	1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01
	कुल			प्रतिशत परिवर्तन		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपयों में)						
प्रचलित भावों पर	10696	11983	12942	..	12.0	8.0
स्थिर भावों पर	6792	7206	7635	7.2	6.1	6.0
खाद्यान्न उत्पादन(लाख टन)	13.13	14.46	12.08	9.3	12.0	(-)14.4
फलोत्पादन('000 टनों में)	447.68	89.41	428.03	60.1	(-) 80.1	380.9
उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद(करोड़ रुपयों में)*	1354	1542	1602	15.4	13.9	3.9
विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)	1485	1201	1153	13.7	(-)19.1	(-) 4.0
थोक भाव सूचकांक	140.7	145.3	155.7	6.9	3.3	7.2
श्रम वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(हि.प्र.)	395	411	436	13.5	4.1	6.1

* प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

1.5 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढ़ाव नहीं आए और विकास दर अधिकाँशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ-व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950-51 में 57.9 प्रतिशत था घटकर 1967-68 में 55.5 प्रतिशत, 1990-91 में 26.5 प्रतिशत और 2000-01 में 22.5 प्रतिशत रह गया। उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950-51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967-68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990-91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2000-01 में 12.4 प्रतिशत तथा 20.5 प्रतिशत हो गया। यद्यपि शेष क्षेत्रों में 1950-51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में 44.6 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.6 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के कारण भी प्रदेश् अर्थ-व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ-व्यवस्था का विकास अधिकतः कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलु उत्पाद में इसका मुख्य योगदान हैं और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश रोजगार तथा आय सम्बन्धताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव हैं। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इस वर्ष में 14.37 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है।

1.7 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाऊ गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू-स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के फलों से लेकर अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र अन्य फलोत्पादन के सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है। प्रचलित वर्ष में 2.16 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 6,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2001 तक 3,460 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। प्रदेश में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष 6.20 लाख टन सब्जियां और 1.65 लाख टन आलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

1.8 हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवम्बर 2000 से नवम्बर 2001 तक 2.4 प्रतिशत बढ़ा तथा अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक में भी इस दौरान 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.9 हिमाचल प्रदेश द्धारा विद्युत क्षेत्र में प्रभावशाली सुधार लाने हेतु कई कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक 986 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की गई। राज्य सरकार के पास सीमित साधन होने के कारण हिमाचल प्रदेश ने विद्युत उत्पादन व आपूर्ति में निजि क्षेत्र की भागीदारी को सहमति दे दी है और कई जल विद्युत परियोजनाएं निजि क्षेत्र को दे दी गई हैं।

1.10 सरकारी व निजि क्षेत्र में 31.12.2000 को कुल रोजगार 3.03 लाख था। रोजगार केंद्रों के चालू पंजिका के अनुसार नवम्बर 2001 के अंत में कुल 9.11 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। सरकार द्वारा रोज़गार सृजित करने हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

1.11 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की संरचना की जा रही है जिसमें भारी लागत वाले कार्य और उन नए क्षेत्रों में व्यावसायिक परियोजनाओं की शुरूआत करना भी सम्मिलित है जहां निजि क्षेत्र अभी प्रारम्भ में कार्य करने से हिचकिचा रहा है। विशेष प्रचार अभियान के परिणाम-स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि निम्न सारणी से स्पष्ट है:-

सारिणी 1.2

आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
1997	38.30	0.63	38.93
1998	41.20	0.75	41.95
1999	43.52	0.91	44.43
2000	45.70	1.11	46.81

1.12 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं॥ इस सन्दर्भ में हिमाचल सरकार ने नैस्काम के सहयोग से आई.टी. विजन-2010 तैयार किया है। वर्ष 2005 तक सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये के सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सॉफटवेयर तथा अन्य सम्बन्धित सेवाएं निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार की सूचना प्राद्योगिकी नीति के अनुरूप सूचना प्राद्योगिकी को राज्य में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं। राज्य में सूचना प्रद्योगिकी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रद्योगिकी विभाग स्थापित किया गया है।

1.13 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व, केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। 2001-2002 के बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2001-2002 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 3,216 करोड़ रुपये हैं जोकि वर्ष 2000-2001 में 3,351 करोड़ रुपये थी तथा 4.0 प्रतिशत की कमी दिखाती है।

1.14 वर्ष 1999-2000 में 620 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2000-2001 में 717 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2001-2002 में कुल राज्य करों से प्राप्त आय 776 करोड़ रुपये आँकी गई कि वर्ष 2000-2001 की आय से 8.2 प्रतिशत अधिक है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(करोड़ रूपयों में)

मद	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	2311	3715	3351	3216
2. कर राजस्व	1299	1541	1082	1183
3. कर रहित राजस्व	205	1056	223	192
4. सहाय अनुदान	807	1118	2046	1841
5. राजस्व व्यय	3334	3821	4199	4719
क. ब्याज भुगतान	498	597	892	1159
ख. उपदान	165	182	175	159
6. राजस्व घाटा (1-5)	1023	106	848	1503
7. पूंजी प्राप्तियां	3057	4683	1886	2444
क. उधार वसूलियां	29	531	25	24
ख. अन्य प्राप्तियां	-86	517	300	225
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	3114	3635	1561	2195
8. पूंजी व्यय	2308	3769	1038	942
9. कुल व्यय	5642	7590	5237	5660
क. योजना व्यय	1660	1685	1797	1704
ख. गैर योजना व्यय	3982	5905	3440	3956

सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत

मद	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	23.30	31.00	25.89	23.22
2. कर राजस्व	13.09	12.86	8.36	8.54
3. कर रहित राजस्व	2.07	8.81	1.72	1.39
4. सहाय अनुदान	8.14	9.33	15.81	13.39
5. राजस्व व्यय	33.61	31.89	32.44	34.08
क. ब्याज भुगतान	5.02	4.98	6.89	8.37
ख. उपदान	1.66	1.52	1.35	1.15
6. राजस्व घाटा (1-5)	10.31	0.88	6.55	10.85
7. पूंजी प्राप्तियां	30.82	39.08	14.57	17.65
क. उधार वसूलियां	0.29	4.43	0.19	0.17
ख. अन्य प्राप्तियां	-0.87	4.31	2.32	1.62
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	31.39	30.33	12.06	15.85
8. पूंजी व्यय	23.27	31.45	8.02	6.80
9. कुल व्यय	56.87	63.34	40.46	40.87
क. योजना व्यय	16.73	14.06	13.88	12.30
ख. गैर योजना व्यय	40.14	49.28	26.58	28.57

टिप्पणीः वर्ष 1999-2000 (सं.), 2000-2001(द्रुत) तथा 2001-2002(अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडे।

1.15 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें ब्याज प्राप्ति, परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं में वर्ष 1999-2000 से लाटरी पर प्रतिबन्ध के कारण घटने की प्रवृति पाई गई। वर्ष 2001-2002 में प्रदेश का कर रहित राजस्व 193 करोड़ रुपये आंका गया था जोकि कुल राजस्व का 6.0 प्रतिशत था।

1.16 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2001-2002 में 406 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2000-2001 में यह 366 करोड़ रूपये था जो कि 10.9 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

1.17 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में बिक्री करों से प्राप्त आय 330 करोड़ रुपये आँकी गई थी जो कि कुल राजस्व प्राप्ति का 27.9 प्रतिशत है। वर्ष 2000-2001 में व वर्ष 1999-2000 में यह आय क्रमश: -27.4 व 15.1 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2001-2002 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय 222 करोड़ रुपये आँकी गई है।

1.18 सामाजिक समानता तथा गतिशील विकास के लक्ष्य प्राप्ति हेतु राज्य के सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप इस प्रकार रहे:-

(i) मनोरंजन इकाईयां 10 वर्ष के लिए कर मुक्त।

(ii) शिमला, कुल्लू, मनाली तथा कांगड़ा की हवाई पट्टियों का 30 करोड़ रूपये की लागत से विस्तार।

(iii) पठानकोट में 30 करोड़ रूपये की लागत से एक नई हवाई पट्टी का निर्माण कार्य प्रगति पर।

(iv) जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति। 7,100 मैगावाट से अधिक क्षमता के जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

(v) 86 मैगावाट मलाना, 3 मैगावाट गुम्मा, तथा 2 मैगावाट साल चरण-II जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ। 132 मिनी व माइक्रो जल विद्युत पारयोजनाओं के कार्यन्वयन बारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।

(vi) 423 करोड़ रूपये के निवेश से 2,732 औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई जिन में 18,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हैं।

(vii) 35 करोड़ रूपये की लागत से शिमला तथा मण्डी जिलों में फलों पर आधारित दो बायनरजी स्थापित की जा रही है1

(viii) सूचना प्राद्योगिकी तथा जीव औद्योगिकी सम्बन्धी राज्य की अपनी नीति घोषित।

(ix) बाकनाघाट में 60 करोड़ रूपये की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्राद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

(x) राजस्व कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्कसंगत बनाए गए। सभी किसानों को कानूनी वैधता प्राप्त किसान पास बुक वितरित की गईं।

(xi) श्यामलात भूमि के स्वामित्व भू-स्वामियों को हस्तांतरित किय जा रहे है।

(xii) 143 करोड़ रूपये की शाहनहर तथा 33 करोड़ रूपये की सिधाता मध्य सिंचाई

योजना पर कार्य प्रारम्भ और 28 करोड़ रूपये की लागत से आनन्दपुर हाईडल चैनल का कार्य प्रगति पर।

(xiii) 328 लघु सिंचाई परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत ।

(xiv) सामाजिक सेवा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता। 1.69 लाख पात्र वृद्धों, विधवाओं तथा अपंग व्यक्तियों को 150 रूपये की मासिक पैंशन दी जा रही है।

(xv) आई.आर.डी.पी. परिवारों की 5.76 लाख महिलाओं को "मातृशक्ति बीमा योजना" के अन्तर्गत लाया गया।

2. राज्य आय

राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित्त मापदंड हैं । द्रुत अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर (आधार 1993-94) वर्ष 2000-2001 में प्रदेश का समस्त घरेलू उत्पाद 7635.3 करोड़ रुपये आंका गया जबकि वर्ष 1999-2000 में यह 7206.2 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-01 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर 6.0 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की यह दर इस दौरान 4.0 प्रतिशत हैं। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1999-2000 में 11983.13 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-2001 में 12941.96 करोड़ रुपए हो गया जो कि 8.0 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2000-2001 में खाद्यान्न उत्पादन में आई भारी कमी (वर्ष 1999-2000 में 14.46 लाख टन से घट कर 2000-2001 में 12.08 लाख टन) के विपरित भी प्रदेश ने यह उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त की। वर्ष 1999-2000 में सेब उत्पादन 0.49 लाख टन की तुलना में वर्ष 2000-2001 में बढ़ कर 3.77 लाख टन हुआ। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है । कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार-चढ़ाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल राज्य आय का लगभग 22.5 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है।

2.2 गत तीन वर्षों व चालू वित्त वर्ष में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर आगे सारणी में दर्शाई गई है:-

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1998-99	7.2	6.6
1999-2000(संशोधित)	6.1	6.1
2000-2001(द्रुत)	6.0	4.0
2001-2002(सम्भावित)	5.5	5.4

प्रति व्यक्ति आय

2.3 राज्य आय के द्रुत अनुमानों के अनुसार 2000-2001 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 18,920 रुपये है जोकि 1999-2000 में 17,786 रुपये की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर भाव पर वर्ष 2000-2001 में प्रति व्यक्ति आय 10,942 रुपये आंकी गई है।

क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2000-2001

प्रचलित भावों पर

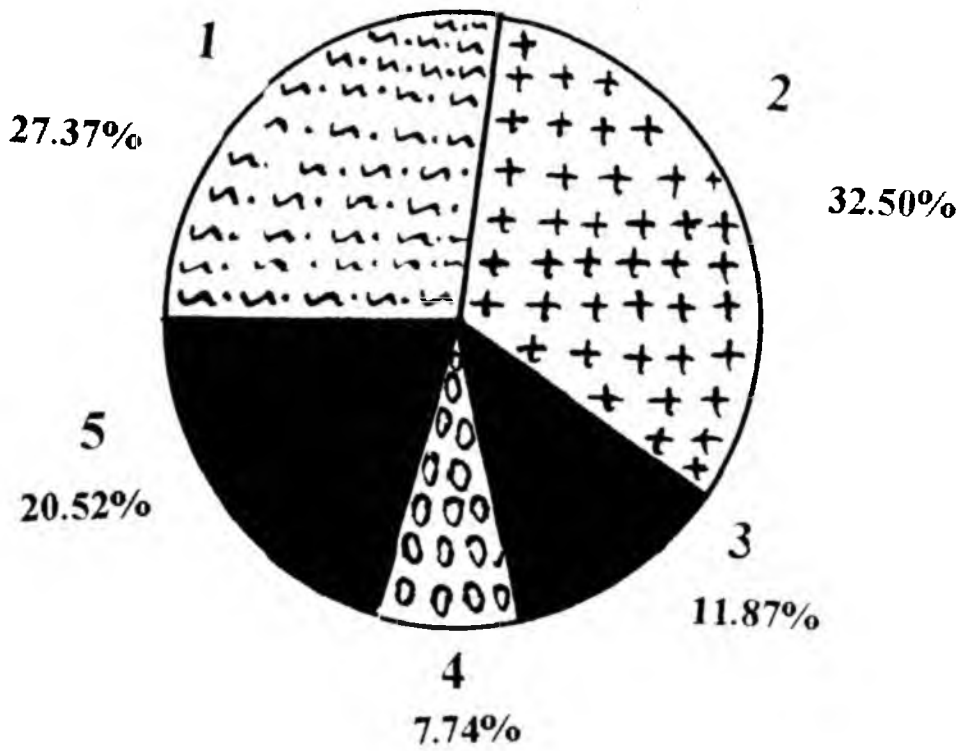

स्थिर भावों पर

1. प्राथमिक क्षेत्र

2. गोण क्षेत्र

3. परिवहन, भण्डारण संचार एंव व्यापार

4. वित्त एंव स्थावर

5. सामुदायिक वैयक्तिक सेवायें

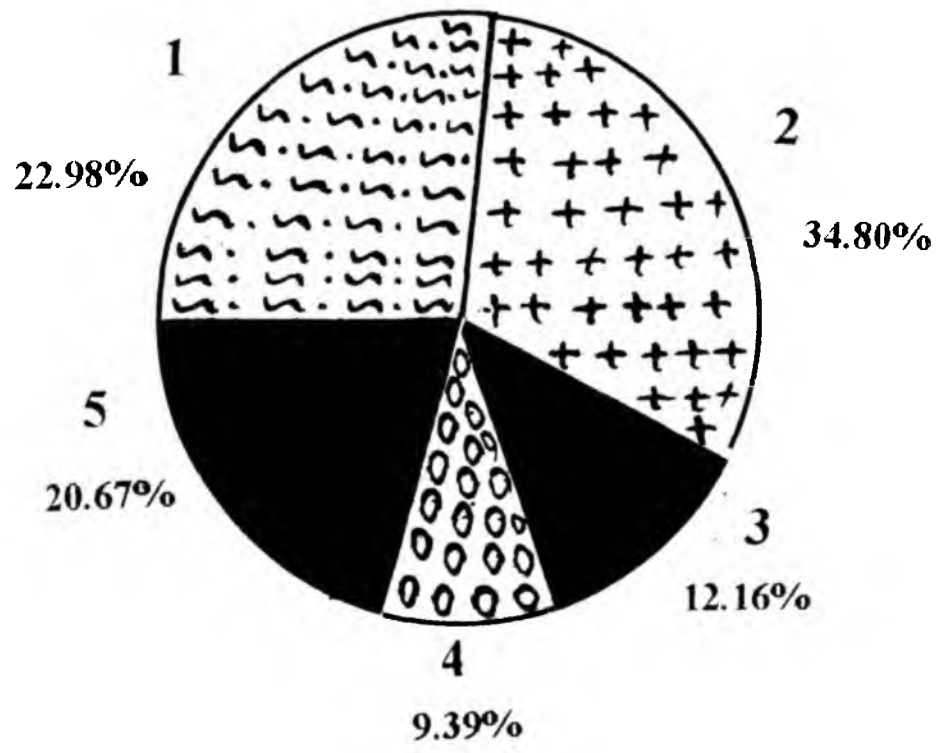

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.4 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2000-2001 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 27.37 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 32.50 प्रतिशत, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 20.52 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 11.87 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 7.44 प्रतिशत रहा।

प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें फलोत्पादन, उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 1990-91 में 26.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2000-2001 में 22.5 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/सेब उत्पादन में आया तनिक भी उत्तार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990-91 में 35.1 प्रतिशत से घट कर 2000-01 में 27.4 प्रतिश्त रह गया। गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है में वर्ष 1990-91 के पश्चात् महत्वपूर्ण सुधार हुआ। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990-91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 32.5 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990-91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 6.1 प्रतिशत हो गया अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार यातायात, संचार बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवांए तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2000-2001 में 40.1 प्रतिशत रहा जब कि वर्ष 1990-91 में यह 38.4 प्रतिशत था।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.5 वर्ष 2000-2001 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न स्तरीय प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.0 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

2.6 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्सय, खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2000-2001 में 9.6 प्रतिशत की असाधारण वृद्वि हुई जिसका कारण सेब उत्पादन में हुई वृद्वि है।

गौण क्षेत्र

2.7 इस क्षेत्र में जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 2000-2001 में 5.5 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई ।

परिवहन संचार एवं व्यापार

2.8 वर्ष 2000-01 में इस क्षेत्र के अधीन विकास दर केवल 5.4 प्रतिशत रही ।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.9 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2000-2001 में 1.5 प्रतिशत रही।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.10 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2000-01 में 5.3 प्रतिशत है।

2.11 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विशलेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश कीं आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दरप्रतिशत	
	हि.प्र.	समस्त भारत
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना(1956-61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना(1961-66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना(1966-67 से 1968-69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना(1969-74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974-78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना(1978-79 से 1979-80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना(1980-85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवी पंचवर्षीय योजना(1985-90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना(1990-91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना(1991-92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवी पंचवर्षीय योजना(1992-97अस्थाई)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम् पंचवर्षीय योजना(1997-2002)	(+) 6.2	(+) 5.4
वर्ष 1997-98	(+) 6.4	(+) 5.0
वर्ष 1998-99	(+) 7.2	(+) 6.6
वर्ष 1999-2000(संशोधित)	(+) 6.1	(+)6.1
वर्ष 2000-2001 (द्रुत)	(+)6.0	(+)4.0
वर्ष 2001-2002(सम्भावित)	(+) 5.5	(+) 5.4

3. मुद्रा एंव बैंक

3.1 कृषि, उद्योग तथा स्वरोजगार गतिविधियों द्वारा आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों की विशेष भूमिका है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे किसानों, कारीगरों, व्यावसायिकों तथा स्वः रोजगारों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण देने की सामाजिक बैंकिग नीतियों तथा अन्य कार्यक्रम चलाने की योजनाएं तैयार की जाती हैं।

3.2 सितम्बर 2001 को राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण/सहकारी बैंकों सहित बैंकों की कुल 1,117 शाखाएं थी। इस समय हिमाचल प्रदेश में 19 वाणिज्यिक बैंकों की 653 शाखाएं है जिनमें से 639 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। एस.बी.आई., पी.एन.बी., यूको बैंक तथा एस.बी.ओ.पी. मुख्य बैंकों की 555 शाखाएं है। राज्य में इस समय दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (i) हिमाचल ग्रामीण बैंक तथा (ii) पर्वतीय ग्रामीण बैंक जिनकी क्रमशः 103 तथा 27 शाखाएं हैं। इस प्रकार वाणिज्य बैंकों की हिमाचल प्रदेश में कुल 783 शाखाऐं हैं।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक अल्पावधि ऋण ढांचे का एपैक्स बैंक है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों शिमला, किन्नौर बिलासपुर मण्डी, सिरमौर तथा चम्बा में इसकी 128 शाखाएं हैं। इस समय राज्य में दो केन्द्रीय सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक है जबकि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर कुल्लू, ऊना तथा लाहौल स्पिति में 138 शाखांए है तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक की सोलन जिले में 20 शाखाएं है।

सितम्बर 2001 तक इन बैंकों द्वारा की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

अग्रिम एवं जमा राशि

3.4 हिमाचल प्रदेश में स्थित लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत बैंकों में सितम्बर 2001 में शुद्ध पब्लिक जमा 10,047.12 करोड़ रूपए तथा कुल अग्रिम राशि 2,840.80 करोड़ रूपए थी। 2001-2002 वर्ष के दूसरे तिमाही के अन्त में बैंकों की कुल जमा राशी 18.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 1,543.68 करोड़ रूपये बढ़ गई और कुल अग्रिम 553.20 करोड़ रूपये बढे जोकि 24.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते है। उधार विस्तार के परिणाम स्वरूप बैंकों का उधार जमा राशी अनुपात सितम्बर 2000 में 26.9 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर 2001 में 28.3 प्रतिशत हो गया।

सारणी 3.1

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(करोड़ रूपयों)

	मार्च, 2001	जून, 2001	सितम्बर, 2001	वर्तमान स्थिति
1. जमा राशी (पी पी डी)				
ग्रामीण	6396.15	6485.57	6864.90	+379.33
अर्ध शहरी	3075.08	3106.09	3182.22	+76.13
कुल	9471.23	9591.66	10047.12	+455.46
2. अग्रिम (ओ/एस)				
ग्रामीण	1759.54	1892.06	1541.11	-350.95
अर्ध शहरी	975.10	888.57	1299.69	+411.12
कुल	2734.64	2780.63	2840.80	+60.17
3. जमा उधार अनुपात प्रतिशत (पीपीडी)				
ग्रामीण	27.51%	29.17%	22.5%	-6.67
अर्ध शहरी	31.71%	28.61%	40.8%	+12.19
कुल	28.87%	29.00%	28.3%	-0.70
4.बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बॉंड/प्रतिभूतियों में निवेश	1507.28	1689.34	1773.89	+ 84.55
5. जमा उधार अनुपात में निवेश प्रतिशत (आई सी डी)	44.79	46.60	45.9	-0.70
6. प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:				
(i) कृषि	393.40	427.95	423.97	-3.98
(ii) एस एस आई	326.58	315.39	320.39	+ 5.00
(iii) सेवाएं	915.85	865.16	967.71	+102.55
7. गरीबों को अग्रिम	551.12	569.13	576.37	+ 7.24
8. डी.आर.आई. अग्रिम	1.30	1.86	4.41	+ 2.55
9. सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में अग्रिम	245.18	129.77	183.55	+ 53.78
10. अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	1098.81	1172.13	1128.73	-4.34

प्राथमिकता क्षेत्र में उधार

3.5 राज्य में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा सितम्बर 2001 को समाप्त हाने वाली दूसरी तिमाही में कुल नए .उधार 764.97 करोड़ रूपए की वार्षिक वचनबद्धता की तुलना में 418.83 करोड़ रूपए दिए गए जो 54.75 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाते हैं। क्षेत्रवार प्रगति नीचे दर्शाई गई है:-

सारणी 3.2

	वार्षिक वचनबद्धता 2001-2002	शुद्ध उपलब्धि सितम्बर 2001 तक	प्रतिशत उपलब्धि
1. कृषि	216.92	98.89	46
2. एस.एस.आई	76.42	30.84	40
3. सेवाएं	316.84	165.52	52
कुल प्राथमिक क्षेत्र	610.18	295.25	48
गैर प्राथमिक	154.61	123.58	80
कुल योग:	764.79	418.83	55

सितम्बर 2001 तक प्राथमिकता क्षेत्र के उधार क्षेत्र में 48.39 प्रतिशत की उपलब्धि हुई। प्रचलित वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही तक एस.एस.आई. में 40.36 प्रतिशत की महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई।

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत बैंकों का योगदान

क. प्रधानमंत्री रोजगार योजना

3.6 हिमाचल प्रदेश में 3000 ऋण मामलों के लक्ष्य के विरूद्ध सितम्बर 2001 तक बैंकों ने 1,130 मामले इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए तथा कुल 802.02 लाख रूपये की स्वीकृति की तुलना में 499.72 लाख रूपये सितम्बर 2001 तक वितरित किए गये।

ख. स्वर्ण ज्यन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना

3.7 इस योजना के अन्तर्गत व्यैक्तिक स्व रोजगार के 2,726 मामले बैंकों में प्राप्त हुए जिनमें से 1,922 प्रस्ताव 549.14 लाख रूपये की राशी से स्वीकृत किए गये तथा सितम्बर 2001 तक 1,663 प्रस्तावों को 446.69 लाख रूपये वितरित किए गये। समूह योजनाओं के अन्तर्गत 345.37 लाख रूपये की राशी से 259 समूह ऋण मामले स्वीकृत किए गये तथा सितम्बर 2001 तक 248 समुहों को 270.27 लाख रूपये वितरित किए गये।

ग.स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना

3.8 गरीबी उन्मुलन और रोजगार सृजन की यह योजना प्रदेश के सभी शहरों में स्थानीय निकायों द्धारा चलाई जा रही है। अग्रिम बैंक द्वारा इस विषय पर व्यैक्तिक स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 236 ईकाइयों तथा डवाकरा के अन्तर्गत 57 ईकाईयों का वर्ष 2001-2002 के लिए लक्ष्य रखा गया है।

घ. मैला ढोने वाले लोगों की मुक्ति व पुर्नवास

3.9 इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर 2001 तक विभिन्न बैंकों में 54.03 लाख रूपये की राशी से 160 मामले स्वीकृत किए गये जिनमें से 154 मामलों को 52.88 लाख रूपये की राशी वितरित की गई।

3.10 उपरोक्त के अतिरिक्त के.वी.आई.एस. `मार्जन मनी स्कीम ' के अन्तर्गत सितम्बर 2001 तक 1003 लाख रूपये की राशी से 179 मामले स्वीकृत किए गए जिनमें से 172 मामलों को 901 लाख रूपये की राशी दी गई।

नाबार्ड

3.11 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में वाटर शैड डब्लैपमैंट, ग्रामीण ढांचा, छोटे उधार ग्रामीण और कृषि क्षेत्र, छोटी सिंचाई के अतिरिक्त ग्रामीण उधार देने के तरीकों का राज्य में विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य में पर्याप्त सहयोग दिया है। नाबार्ड द्वारा अत्याधिक व क्रियाशील सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

ग्रामीण सुविधा संरचना

3.12 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में ग्रामीण सुविधा संरचना फंड (आर.ई.डी.एफ.)

की स्थापना की थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्र में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तगर्त पंचायती राज संस्थाओं सैल्फ हैल्प ग्रुप, तथा गैर सरकारी संगठनों को स्थान विशेष सुविधा संरचना के विकास हेतु लाया गया जिसका सम्बन्ध समाज तथा ग्रामीण अर्थवस्था से.है।

3.13 दिसम्बर 2001 तक सरकार को विविध क्षेत्र में 2433 परियोजनाओं जैसे सिंचाई, सड़क व पुल, पीने का पानी, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, प्राथमिक पाठशाला भवनों का निर्माण तथा सूचना प्रौद्योगिकी की योजना " लोक मित्रां" के विकास हेतु 531.26 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

314 वर्तमान वर्ष् में दिसम्बर 2001 तक ग्रामीण सुविधा संरचना विकास फंड के अन्तर्गत 76.95 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए तथा इस राशि के वित्तीय वर्ष के अन्त तक 150.00 करोड़ रूपये होने की संभावना है। हिमाचल सरकार को इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2001 तक कुल 292.36 करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं।

3.15 स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन/पूर्ण होने के उपरान्त 29,635 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई, 2,327 कि.मी. सड़कें पक्की करना, 3,461 मी. लम्बे पुलों का निर्माण, 2,256 हैक्टेयर भूमि का बाढ़ नियंत्रण व 133 गांवों को जल संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से अनेक आर्थिक व सामाजिक लाभ भी प्राप्त होंगे। इस योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों व पुलों से 1,812 गांवों को अच्छी सम्पर्क सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

पुनः वित्त सहायता

3.16 लघु सिचांई, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र रचना, पथ परिवहन, भूमि विकास, पशुपालन, लघु ऋण, एस जी एस वाई, कृषि ऋण इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता वर्ष 2000-2001 के 89.00 करोड़ रूपए से बढ़कर प्रचलित वर्ष में 104.00 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2002-2003 में 120 करोड़ रूपए होने की सम्भावना है। नाबार्ड, कृषि, सिंचाई, बागवानी परियोजनाओं विशेष कर चाय, औषधी, ऐरोमैटिक बागवानी के लिए अधिक ऋण प्रवाह पर बल दे रहा है।

लघु ऋण

3.17 स्वयं सहायता संगठन आन्दोलन सारे प्रदेश (जिला किन्नौर के अतिरिक्त) में फैल गया है, जिसने अब सशक्त आधार बना लिया है। इस आन्दोलन को उच्च शिखर पर पंहुचाने में मानव संसाधन और वित्तीय उत्पाद का विशेष योगदान रहा है। इस आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों को 3.43 लाख रूपये की सहायता दी गई हैं। इस समय प्रदेश में 11,000

स्वयं सहायता संगठन कार्यरत हैं जिनको समाज व महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर तक 1,518 स्वयं सहायता संगठन की ऋण इकाईयां थी जिनको लगभग 3.00 करोड़ का बैंक ऋण दिया गया। कुल मिलाकर स्वयं सहायता संगठन की 4,291 इकईयां ऋण से सम्बन्धित थी। वर्तमान में 375 बैंक शाखांए इस आन्दोलन से जुड़ी हुई हैं। बैंकों को 5.00 करोड़ रूपये की पुनः वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.18 वर्ष के दौरान उन ग्रामीण नवयुवकों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं, 7 ग्रामीण उद्यमी विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए गए। जिनमें से 31 दिसम्बर,2001 तक 5 परियोजनाएं संचालित की गई है। इस परियोजना के लिए 3.29 लाख रूपये गैर सरकारी संगठन व व्यवसायिक संगठन के लिए स्वीकृत किए गए। इसके अन्तर्गत वाईट मैटल के गहने, गलीचा बुनना, कटाई व सिलाई इत्यादि उद्यमों को लिया गया है। अप्रैल, 2001 से जिला सोलन में जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना प्रारम्भ की गई तथा मण्डी जिला में परियोजना आगामी वर्ष से लागू की जाएगी। सोलन, कुल्लू और कांगड़ा जिले में कलस्टर विकास की पहल करने के लिए समर्थन दिया गया।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.19 नाबार्ड ने वर्ष 2002-2003 के लिए कार्यक्षम ऋण सुविधा सुनिश्चित की है तथा इस समय 10वीं पंच वर्षीय योजना के आधार स्तर पर ऋण प्रवाह का अनुमान 980 करोड़ रूपये लगाया गया है। यह ऋण प्रवाह मुख्यतः कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र गैर फार्म क्षेत्र व अन्य चिन्हित प्राथमिक क्षेत्र में हैं।

3.20 नाबार्ड राज्य में वित्तीय संस्थाओं विशेषकर सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता देता रहा।

4. भाव एवं नागरिक आपूर्ति

क. भाव स्थिति

4.1 जन साधारण के लिए मुद्रा स्फीति एक गम्भीर समस्या है। थोक भावों में वृद्धि की दर या मुद्रा स्फीति जो 1996-97 में 6.9 प्रतिशत की एक उच्च सीमा तक पहुँच गई थी वर्ष 2001-2002 में 29.12.2001 तक 1.8 प्रतिशत थी। पिछले कुछ वर्षों के थोक मूल्य सूचकांक नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

सारिणी 4.1

थोक मूल्य सूचकांक आधार 1993-94=100

	थोक मूल्य सूचकांक	
वर्ष	अन्तिम सप्ताह	सप्ताहों की औसत
1993-94	100.0	100.0
1994-95	117.1	112.6
1995-96	116.1	121.6
1996-97	124.1	127.2
1997-98	130.7	132.8
1998-99	141.7	140.7
1999-2000	150.9	145.3
2000-2001 (30.12.2000 तक)	159.2	155.7
2001-2002 (29.12.2001 तक अस्थाई)	161.7	161.3

4.2 पिछले छः वर्षों का माहवार थोक मूल्य सूचकांक निम्न सारणी में दर्शाया गया है:-

सारणी 4.2

थोक मूल्य सूचकांक आधार 1993-94=100

माह	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	मुद्रास्फीति दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
अप्रैल	123.7	130.9	136.9	142.4	151.7	159.9	5.40
मई	124.5	130.8	138.2	142.8	151.8	160.3	5.60
जून	125.1	131.4	139.8	143.3	152.7	160.8	5.30
जुलाई	127.0	131.6	140.9	143.7	153.1	161.1	5.22
अगस्त	127.8	132.0	140.6	144.6	153.4	161.6	5.35
सितम्बर	128.1	132.9	140.8	145.3	154.7	161.9(अ)	4.65
अक्तूबर	127.8	133.4	142.0	146.9	157.9	162.5(अ)	2.91
नवम्बर	128.0	133.1	142.6	147.0	158.2	162.0(अ)	2.40
दिसम्बर	128.5	133.7	142.1	146.1	158.8*	161.7(अ)*	1.80
जनवरी	128.3	134.8	140.9	145.9	158.6	..	..
फरवरी	128.6	134.2	141.4	146.4	158.6	..	..
मार्च	128.8	134.4	141.6	149.5	159.1	..	..
औसत	127.2	132.8	140.7	145.3	155.7	..	..

अ- अन्नतिम * दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह

4.3 उपरोक्त तालिका से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2000-2001 के शुरू में मुद्रा स्फीति की दर 6.5 प्रतिशत थी फिर घट कर अगस्त, 2001 में 6.1 प्रतिश्त हो गई तथा जनवरी, 2001 तक उसमें कुछ वृद्धि होती रही। इसके पश्चात यह पुनः घटनी शुरू हो गई तथा मार्च, 2001 में 6.4 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2000-2001 में औसतन मुद्रा स्फीति की दर 7.2 प्रतिशत रही। मुद्रा स्फीति (आधार 1993-94 =100) जो कि अप्रैल, 2001 में 5.40 प्रतिशत थी घटकर जुलाई में 5.22 प्रतिशत हो गई तथा नवम्बर 2001 में 2.40 प्रतिशत रही। दिसम्बर 2001 (अन्तिम सप्ताह) में बिन्दुवार आधार पर मुद्रा स्फीति की दर 1.8 प्रतिशत रही।

4.4 हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर निगरानी के कारण कीमतों में बढ़ौतरी नहीं होने दी गई । ऐसा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी व आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 3,955 उचित मूल्य की दुकानों से सम्भव हुआ । इसके साथ-साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा अन्य अनाचारों द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है । वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा गया ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। सरकार द्धारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अखिल भारतीय थोक मूल्य सूंचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा जो कि सारणी 4.3 से स्पष्ट है कि अप्रैल 2000 से अप्रैल 2001 तक थोक भाव सूचंकांक में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल 4.2 प्रतिशत और अक्तूबर 2000 से अक्तूबर

मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक 1993-94= 100

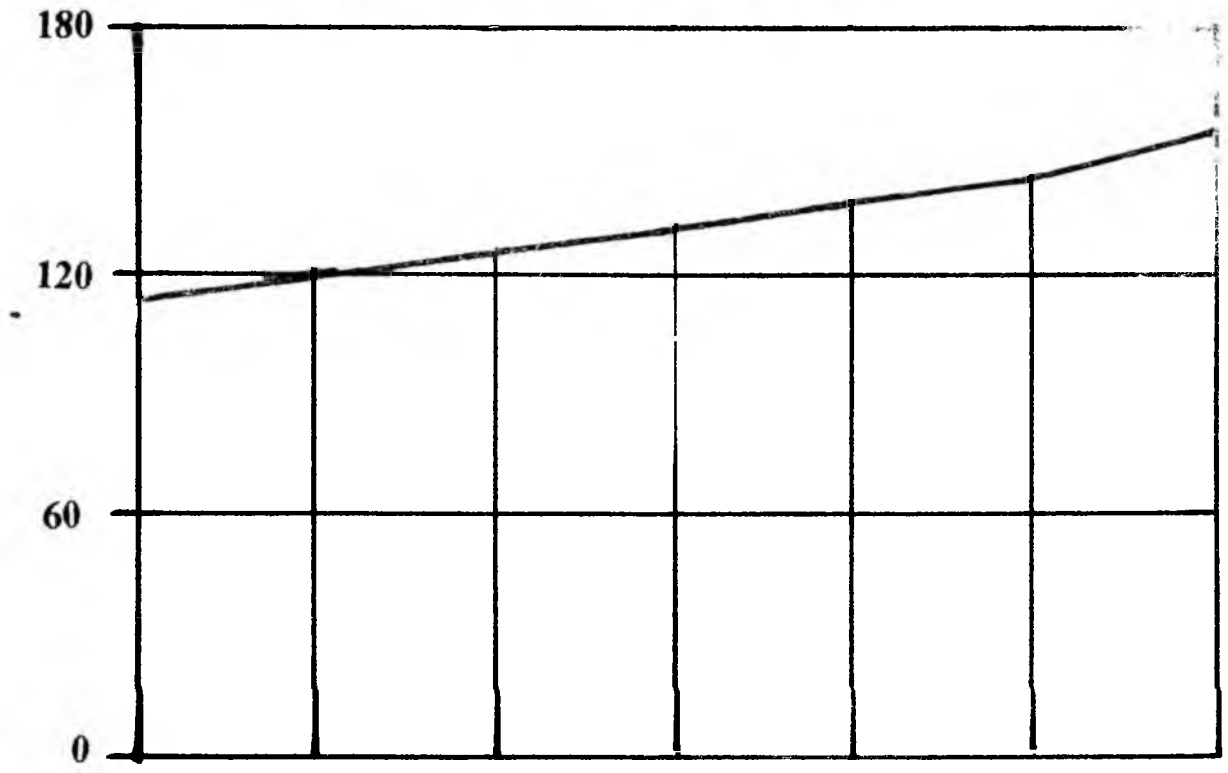

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हिमाचल प्रदेश 1982=100

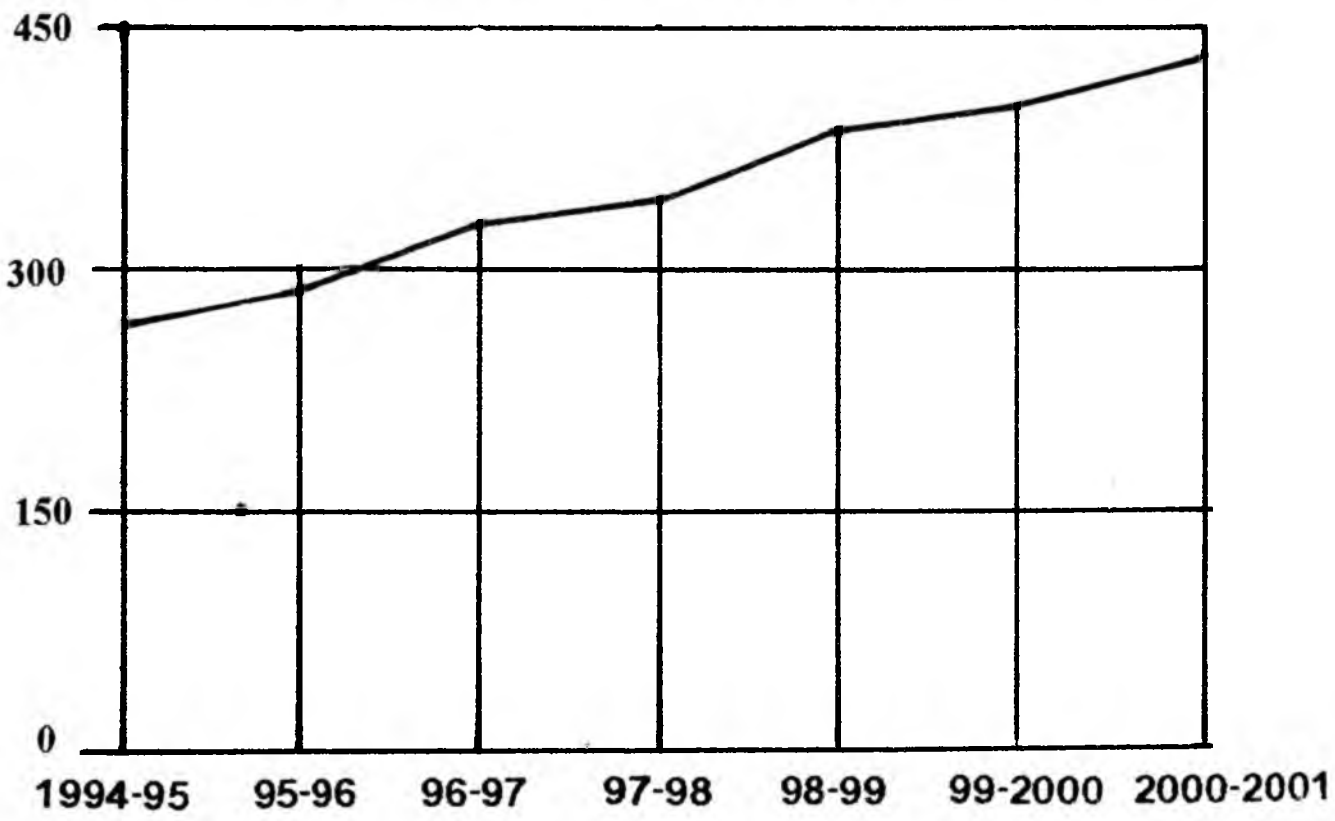

2001 में क्रमशः 2.9 प्रतिशत की तुलना में 2.0 प्रतिशत रहा।

सारणी 4.3

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100)
(वितीय वर्ष माहवार औसत अनुसार)

माह	1991 -92	1992- 93	1993 -94	1994- 95	1995 -96	1996 -97	1997 -98	1998 -99	1999- 2000	2000- 2001	2001- 2002	पिछले वर्ष से परिवर्तन (%)
अप्रैल	200	223	237	261	287	306	340	363	404	428	446	4 2
मई	197	222	239	262	287	306	331	370	400	426	446	4 7
जून	199	221	240	265	288	308	331	385	399	428	446	4.2
जुलाई	205	226	247	269	293	317	339	393	406	436	447	2 5
अगस्त	210	231	249	272	296	321	341	395	410	437	452	3 4
सितम्बर	216	234	253	277	301	327	346	401	413	433	451	4 2
अक्तूबर	217	233	255	282	301	328	350	413	416	442	451	2.0
नवम्बर	216	232	255	283	304	331	349	415	420	443	454	2 4
दिसम्बर	213	230	254	280	299	332	351	403	413	440	..	..
जनवरी	217	231	253	279	294	333	365	400	415	440	..	..
फरवरी	221	232	257	279	296	333	367	402	415	441	..	..
मार्च	222	235	258	284	299	336	364	402	418	443	..	..
औसत	211	229	250	274	295	323	348	395	411	436	..	..

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.5 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 3,955 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुंए जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चालू करने के लिए पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली नीति 1997 की जगह संशोधित नीति मार्च,2001 अपनाई गई है। जिसमें वितरण प्रणाली को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है जैसे गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा इत्यादि। उपरोक्त श्रेणियों के लिए मात्रा एवं मूल्य भिन्न-2 रूप से श्रेणीबद्व किए गए हैं।

4.6 वर्ष 2001 में जनवरी से नवम्बर तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थो की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित की गईः-

(मी.टन/कि.लीटर)

मद	उपभोक्ताओं का वर्गीकरण			
	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा
1. गेहूं	12175	15857	6230	394
2. चावल	2868	22394	8831	368
3. आटा	2488	..	..	..
4. चीनी	51024	..	..	..
5. खाद्य तेल	46	..	..	..
6. मिट्टी का तेल	44893	..	..	..

4.7 लेवी चीनी उपभोक्ताओं को 700 ग्राम प्रतिव्यक्ति 13.25 रूपए प्रति किलोग्राम प्रतिमाह वितरित की गई। वर्ष 2001 में जनवरी से नवम्बर तक 51,024 मिट्रिक टन लेवी चीनी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई गई। सरकारी तेल कम्पनियां जनसाधारण को खाना बनाने के लिए विभिन्न कम्पनियों द्वारा गैस उपलब्ध करवा रही है। जहां पर यह कम्पनियां लाभप्रद नहीं है वहां यह गैस हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। इस राज्य में 90 गैस एजैन्सियां कार्यरत है। उपरोक्त के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में 22,611 क्विंटल गेहूँ, 10,691 क्विंटल आटा, 23,331 क्विंटल चावल, 12,168 क्विंटल चीनी, 947 क्विंटल खाद्य तेल तथा 1324 किलो लीटर मिट्टी का तेल आंवटित किया।

5. कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र

कृषि

5.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे इसका महत्वपूर्ण स्थान है प्रदेश में लगभग 71 प्रतिशत श्रमिकों को कृषि से ही रोजगार उपलब्ध होता है । राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 22.5 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.99 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 8.63 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है । प्रदेश में औसतन जोत 1.2 हैक्टेयर है। कृषि जनगणना 1995-96 के अनुसार भू-जोतों का वितरण जैसा कि नीचे दी गई सारणी 5.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 84.5 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की हैं। लगभग 14.9 प्रतिशत मझोले व 0.6 प्रतिशत जोतें बडे किसानों की हैं।

सारणी 5.1

भू जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार हैक्टेयर	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	जोत का औसत आकार
1.0 से कम	सीमान्त	5.56 (64.4%)	2.30 (23.0%)	0.4
1.0-2.0	लघु	1.73 (20.1%)	2.41 (24.1%)	1.4
2.0-4.0	अर्ध मध्यम	0.95 (11.0%)	2.55 (25.6%)	2.7
4.0-10.0	मध्यम	0.34 (3.9%)	1.95 (19.5%)	5.7
10.0 व अधिक	बड़े	0.05 (0.6%)	0.78 (7.8%)	15.6
	जोड़	8.63	9.99	1.2

5.2 कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेहूं तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल सरसों तथा तोरिया रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसले हैं। उद्धद बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे (i) उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाड़ी क्षेत्र (ii) उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य उप पर्वतीय क्षेत्र (iii) नमी वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र (iv) शुष्क तापमान वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल। प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर , एकीकृत, किटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण उपायों द्वारा बेमौसमी

सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों में होती है। राज्य में औसतन 152 सैंटीमीटर वर्षा होती है सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा में तथा उससे बाद शिमला जिले में होती है।

मौनसून 2001

5.3 कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2001 में मौनसून के मौसम (जून-सितम्बर) में हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, तथा कांगड़ा में सामान्य वर्षा हुई तथा ऊना में सामान्य से अधिक रही। चम्बा, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति जिले में कम वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा की 86 प्रतिशत बारिश मौनसून मौसम में हुई। सारणी 5.2 में विभिन्न जिलों में मौनसून का कार्य सम्पादन दर्शाया है।

सारणी 5.2

मौनसून वर्षा

(जून - सितम्बर)

जिला	वास्तविक	सामान्य	अधिकतम/न्यूनतम	
	मि.मी.	मि.मी.	कुल मि.मी.	प्रतिशतता
बिलासपुर	821	1026	-205	-20
चम्बा	543	949	-406	-43
हमीरपुर	1039	1075	-36	-3
कांगड़ा	1514	1684	-170	-10
किन्नौर	122	237	-115	-49
कुल्लू	503	483	20	4
लाहौल-स्पिति	102	170	-68	-40
मण्डी	1157	1201	-42	-4
शिमला	515	715	-200	-28
सिरमौर	1113	1536	-423	-27
सोलन	632	1098	-466	-42
ऊना	1156	861	295	34

टिप्पणीः

सामान्य - 19प्रतिशत से + 19 प्रतिशत

अधिक 20 प्रतिशत से अधिक

कम - 20 प्रतिशत से - 59 प्रतिशत

अतिकम - 60 प्रतिशत से - 99 प्रतिशत

फसल सम्पादन 2000-2001

5.4 हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वर्ष 2000-2001 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 22.5 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002 के दौरान बे-मौसमी सब्जियों, आलु, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र लाकर जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभाकारी प्रदर्शन व प्रसाण द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। उपरोक्त प्रयत्नों के बावजूद वर्ष 2000-2001 कृषि क्षेत्र में कम उत्पादन वाला वर्ष रहा जैसे कि वर्ष 1999-2000, खाद्यान्न के 14.46 लाख मि. ट. उत्पादन के सम्भावित लक्ष्य के प्रति 12.08 लाख मि. टन उत्पादन रहा था लगभग 16.5 प्रतिशत की कमी देखी गई। 1999-2000 के 1.82 मि.ट. आलू उत्पादन के विरुद्ध वर्ष 2000-2001 में संभावित उत्पादन केवल 1.60 लाख मि.ट. था। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 1999-2000 के 5.20 लाख मि.ट. की तुलना में इस वर्ष 5.80 लाख मि. ट. था।

2001-2002 का लक्ष्य

5.5 वर्ष 2001-2002 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 14.37 लाख मिट्रिक टन होने की संभावना है। फसलवार उत्पादन लक्ष्य सारणी 5.3 में दर्शाये गये है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मौनसून पर निर्भर करती है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। पूर्व मौनसून, बौछारें निर्धारित समय पर हुई जिससे बिजाई का कार्य समय पर पूर्ण किया गया। धान की बिजाई/प्रतिरोपण समय पर की गई। लगभग 82 हजार हैक्टेयर क्षेत्र धान के अन्तर्गत लाया गया जिसमें 1.50 लाख मिट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावना है। मक्की, अन्य छोटे अनाज तथा रागी इत्यादि की बिजाई का कार्य समय पर किया गया तथा इन फसलों के अधीन क्षेत्र सामान्य ही रहा। विभाग ने अधिक उपज देने वाली किस्मों को उन्नत करने के लिए लगभग 7500 क्विंटल मक्की के उन्नत किस्म के बीज वितरित किए। रागी तथा अन्य छोटे अनाज का सामान्य उत्पादन होने की आशा है। वर्तमान में प्रदेश सुखे की चपेट में होने के कारण रबी की बिजाई में विशेषकर निचले क्षेत्रों में बाधा आ रही है। अक्तूबर तथा नवम्बर 2001 में हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भान्ति शून्य वर्षा हुई। गेहूँ की बिजाई नमी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई। सब्जियां यद्यपि सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं प्रभावित नहीं होगी किन्तु रबी फसलें सूखे के कारण बुरी तरह प्रभावित है क्योंकि बिजाई का समय साधारणतया अक्तूबर से शुरू होता हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षो के खाद्यान्न उत्पादन तथा प्रचलित वर्ष की सम्भावित उत्पादन के आंकड़े सारणी 5.3 में दर्शाये गए है:-

सारणी 5.3

खाद्यान्न उत्पादन

('000 टनों में)

फसल	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)	2001-2002 (संभावित)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
चावल	120.44	117.00	120.37	124.89	130.00
मक्की	620.68	662.28	681.42	683.64	700.00
रागी	4.25	4.16	4.44	4.16	4.50
अनाज	7.38	7.23	7.41	8.00	8.00
गेहूं	641.31	481.27	583.30	350.00	550.00
जौं	41.36	27.76	32.50	25.00	25.00
चना	2.50	1.29	1.53	0.04	2.50
दालें	10.21	12.03	15.17	12.04	17.00
कुल खाद्यान्न	1448.11	1313.02	1446.14	1207.77	1437.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

5.6 विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमांए हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पँहुच गया है जहां भूमि को इस उद्धेश्य हेतू बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदले हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र धीरे-2 कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997-98 में 853.58 लाख हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 1998-99 में 836.97 हैक्टेयर तथा वर्ष 1999-2000 में 822-42 हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जोकि सारणी 5.4 से पता चलता है:-

खाद्यान्न उत्पादन

'000 टन में

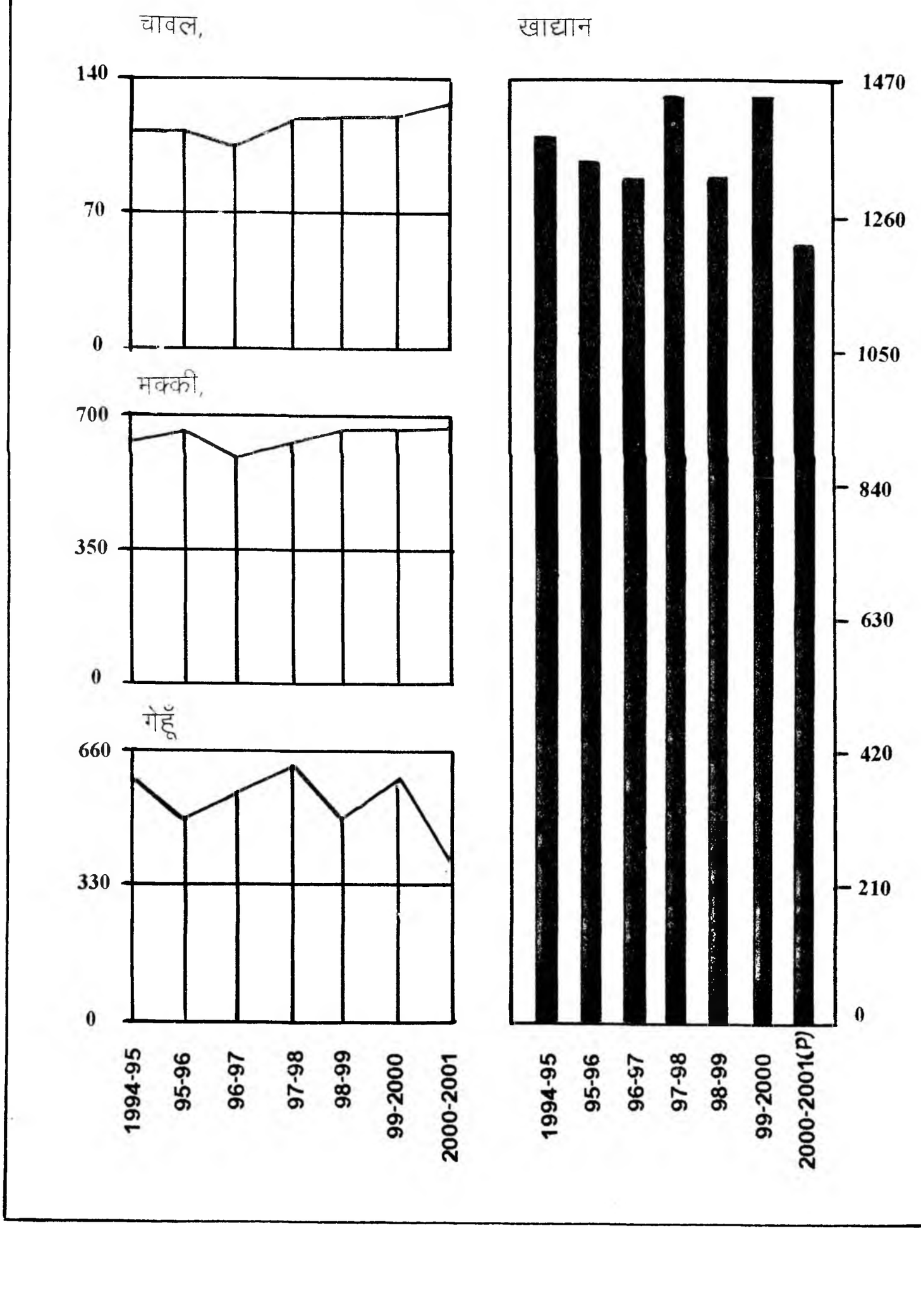

सारणी 5.4

खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मिट्रिक टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मिट्रिक टन्)
1990-91	874.2	1433.3	1.64
1993-94	855.6	1237.2	1.45
1994-95	855.5	1406.4	1.64
1995-96	848.9	1363.3	1.61
1996-97	838.6	1318.3	1.57
1997-98	853.6	1448.1	1.70
1998-99	837.0	1313.0	1.57
1999-2000	822.4	1446.1	1.76

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में (एच.वाई.वी.पी.)

5.7 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान व गेहूँ के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2001-2002 के लिए प्रस्तावित क्षेत्र निम्न सारणी 5.5 मे दिया गया है।

सारणी 5.5

अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र

(,000 हैक्टेयर)

वर्षा	मक्की	धान	गेहूँ
1996-97	162.41	78.43	360.47
1997-98	166.99	73.95	345.85
1998-99	191.69	80.55	378.26
1999-2000	193.74	74.31	366.52
2000-2001(संभावित)	219.00	73.83	323.00
2001-2002(लक्ष्य)	220.00	78.00	325.00

प्रदेश में 417.90 हैक्टेयर क्षेत्र में फैले बीज बढ़ाने के 25 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों के खेतों में बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त 16 आलू विकास केन्द्र 5 सब्जी विकास केन्द्र तथा 2 अदरक विकास केन्द्र प्रदेश में इन फसलों की बीज बढौतरी के लिए स्थापित किए गए हैं। बीज आलू के उत्पादन को पूरा करने के लिए ओमला. ड्वार में एक आलू विकास फार्म विकसित किया जा रहा है।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

5.8 फसलों की पैदावार बढ़ाने के उद्धेश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बिमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारो, पिछड़े क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लद्यु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिये जाते हैं। अक्तूबर 1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। वर्ष 2000-2001 में लगभग 408 हजार हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण उपाय के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष 2001-2002 के लिए 420 हजार हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

5.9 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते है तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाता है। प्रति वर्ष लगभग 65-70 हजार मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। वर्ष 2001-2002 में 60,000 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण होने की सम्भावना है तथा वर्ष 2002-2003 में 68,000 नमूनों के विश्लेषण का लक्ष्य है।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

5.10 पारम्परिक ईद्यन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रो ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षत्रों में महत्ता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से दिसम्बर 2001 तक राज्य में 41,228 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके है। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस के उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2000-2001 में राज्य में 692 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए हैं तथा वर्ष 2001-2002 में 550 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

5.11 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें दशक के अन्त में तथा 60वें दशक के शुरू में हिमाचल प्रदेश में उर्वरक के प्रदर्शन शुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। वर्ष 1985-86 के 23,664 टन उर्वरक के स्तर से बढ़ कर वर्ष 2000-2001 में 35,552 टन हो गया तथा नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 40,165 टन होने की सम्भावना है। राज्य सरकार राज्य में उर्वरक की एक जैसी कीमत रखने के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों की ढुलाई के लिए 100 प्रतिशत उपदान देती है। राज्य सरकार

कैन, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट पर 405 रूपए प्रति मिट्रिक टन तथा मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 12 :32:16 के अनुपात पर 740 रूपए प्रति मिट्रिक टन उपदान देती है। चाय के उत्पादकों को उर्वरक की कीमत पर 8 हैक्टेयर तक के राज्य बागानों/बगीचों पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। वर्ष 2001-2002 में न्यूट्रीऐंटस के रूप में लगभग 40,165 मिट्रिक टन वितरित किए जाने की सम्भावना है। उर्वरक उपभोग निम्नलिखित सारणी 5.6 में दर्शाया गया है:-

सारणी 5.6

उर्वरक उपभोग

वर्ष	यूनिट	नाईट्रोजिनियस	फोसफेट	पोटास	कुल
1993-94	मिट्रिक टन	25149	2486	1697	29332
1994-95	मिट्रिक टन	24849	2403	1995	29227
1995-96	मिट्रिक टन	24860	2567	2251	29678
1996-97	मिट्रिक टन	27319	3922	3207	34448
1997-98	मिट्रिक टन	27002	4382	3468	34852
1998-99	मिट्रिक टन	29140	5219	4198	38557
1999-2000	मिट्रिक टन	27593	5762	3988	37343
2000-2001*	मिट्रिक टन	24418	6540	4594	35552
2001-2002**	मिट्रिक टन	27615	7320	5230	40165

*संभावित **लक्ष्य

कृषि ऋण

5.12 विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण ग्रामीण परिवारों के लिए पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही मुख्य स्त्रोत है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पत्ति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में ऋण लेना बहुत मुश्किल है। फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ब्याज उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जोकि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है, उनको इनपुट की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण बेशक दिए जा रहे है परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर फसलों में जोकि बीमा योजना के अन्तर्गत आते है, बढ़ाने की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से देने के लिए नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्धेश्य है।

किसान क्रैडिट कार्ड (के.सी.सी.)

5.13 यह योजना पिछले 4 वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 890 से भी अधिक बैंक शाखाएं

इस योजना को कार्यान्वित कर रही हैं। सितम्बर 2001 तक 50,000 लक्ष्य के प्रति 41,499 किसान क्रैडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए।

फसल बीमा योजना

5.14 सभी फ़सलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। इस योजना में सभी ऋणी तथा गैर ऋणी किसान सम्मिलित किए जाएंगें तथा सरकार 50 प्रतिशत प्रीमियम देगी। शुरू में मक्की, चावल, जौ तथा आलू की फसलों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है परन्तु अन्य वार्षिक उद्यान फसलों को अगले तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। खी, 2000-2001 गेंहूं की फसल के लिए 864 किसानों का बीमा कराया गया तथा 42.50 लाख के दावों का भुगतान किया गया।

बीज प्रमाणीकरण

5.15 कृषि मौसम स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथ उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण एजैंन्सी उत्पादकों की रजिस्टर कर रही हैं।

कृषि विपणन

5.16 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन एक्ट 1969 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसूचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्धेश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। 41व्यवस्थित मण्डियां स्थापित की गई है जो किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं

कृषि कार्यक्रम में महिलाएं

5.17 महिलाओं के इस पारम्परिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान व सशक्त बनाने के कार्यक्रम को परिचालित करने के लिए "कृषि में महिलाएं" नामक पायलट योजना विकास खण्ड मशोबरा, ठियोग व रामपुर में शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ग्रुपों में संगठित किया जा रहा है ताकि कृषि प्रौद्योगिकी को उनके सहयोग व माध्यम द्वारा सुचारू किया जा सके।

चाय खेती

5.18 चाय खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस फसल के लिए नीति अधिसूचित की है तथा चाय खेती के लिए गैर-पारम्परिक क्षेत्रों, चम्बा, कांगड़ा तथा मण्डी में 2000 हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर ली गई है।

उद्यान

5.19 हिमाचल प्रदेश का कृषि जलवायु उप-उष्ण कटिबन्ध से लेकर समशीतोष्ण व शीत मरूस्थल तक के जलवायु की विभिन्नताओं को अपने में समेटे हुए हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता उपजाऊ गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा उष्ण कटीबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हौप्स की खेती के लिए भी उपयुक्त है।

5.20 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950-51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ। यह बढ़ कर वर्ष 2000-2001 में 212951 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा दिसम्बर 2001 तक कुल फल उत्पादन 2.16 लाख टन हुआ। वर्ष 2001-2002 में 6000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 2001 तक 3,460 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अन्तर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 8.65 लाख पौधे वितरित किए गए।

5.21 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अन्तर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 78 प्रतिशत है। वर्ष 1950-51 में सेबों के अन्तर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि 1960-61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2000-2001 में 88,673 हैक्टेयर हो गया।

5.22 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अन्तर्गत वर्ष 1960-61 का 900 हैक्टेयर क्षेत्र वर्ष 2000-2001 में बढ़ कर 32,400 हैक्टेयर हो गया, सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960-61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2000-2001 में 16,396 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एंव उपोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960-61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2000-2001 में क्रमशः 39,138 हैक्टेयर तथा 36,344 हैक्टेयर हो गया। अन्य फलों के उत्पादन में पिछले वर्षो में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया।

5.23 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास के रूख में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ-व्यवस्था के उदारीकरण के परिणाम-स्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब उद्योग की प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने उद्यान विभाग व सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब

विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

5.24 हाल ही में आम एक मुख्य फल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बेहतर कीमतें मिल रहीं हैं। मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन तथा स्ट्राबैरी की फसल खेती के लिए कृषि मौसम बिलकुल उपयुक्त है। पिछले तीन सालों तथा प्रचलित वर्ष के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 5.8 में दर्शाए गए है:-

सारणी 5.8

फल उत्पादन

(हजार टन)

मद	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (दिसम्बर तक)
सेब	393.65	49.13	376.73	169.20
अन्य समशीतोष्ण फल	17.97	17.90	20.45	22.50
सूखे मेवे	3.07	1.89	2.75	2.60
नीबू प्रजाति	3.11	9.26	11.06	8.00
अन्य उपोष्णीय फल	19.87	11.23	17.04	14.00
कुल	447.67	89.41	428.03	216.30

5.25 वर्ष 2001-2002 में लगभग 1.88 लाख टन फलों का निर्यात राज्य से हुआ। फल उत्पादकों को अपने उत्पादन फलों को पैक करने की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक पग उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रगतिनगर में स्थापित कार्टन फैक्टरी में प्रचलित वर्ष के दौरान लगभग 37.05 लाख टैलीस्कोपी कार्टन का निर्माण बागवानों को बांटने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त 14.90 लाख टेलीस्कोपी कार्टन, 2.27 लाख 10 किलोग्राम के कार्टन तथा 1.00 लाख 5 किलोग्राम के कार्टन निजि कार्टन उत्पादकों से कन्साईनमैंट आधार पर विनिर्मित कर फल उत्पादकों में बांटे गए। इक्यूलिपटस तथा पापुलर वृक्षों के लगभग 10 लाख बक्से भी राज्य में बाहर से लाए गए।

5.26 एच. पी. एम. सी. एक वाणिज्यिक उपक्रम जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पंहुचे उनके विद्यायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई थी। एच. पी. एम. सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है। वर्तमान वर्ष में नवम्बर 2001 तक एच. पी. एम. सी. ने 19.00 करोड़ रूपये की अस्थाई सेल/आय दर्ज की। नवम्बर 2001 तक पिछले वर्ष इसी समय 637.00 लाख रूपये की तुलना में तैयार किए गए उत्पादों की सेल 835.00 लाख रूपये थी। मण्डी मध्यस्था योजना के अन्तर्गत एच.पी.एम.सी. ने 7037 मि.ट. सेबों की खरीद की तथा 151.00 मि.ट.

फल उत्पादन

उत्पादन '000 टन में

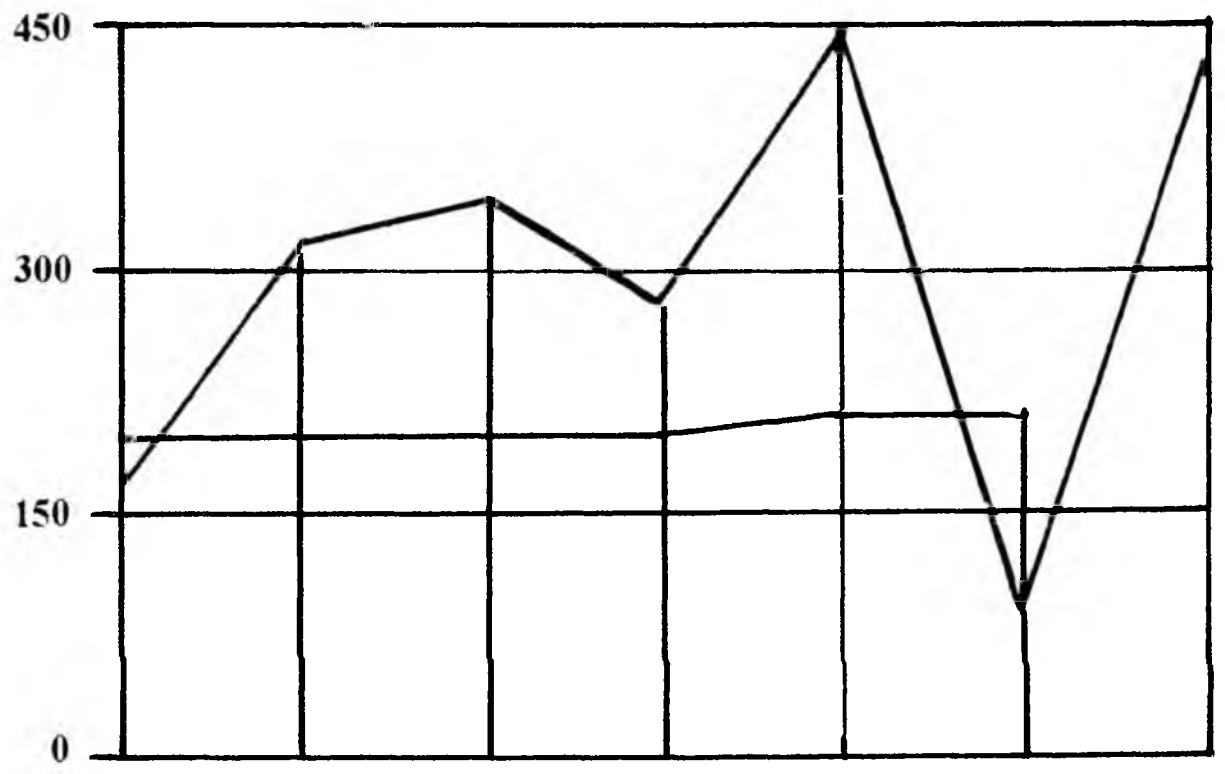

क्षेत्रफल '000 हैक्टेयर

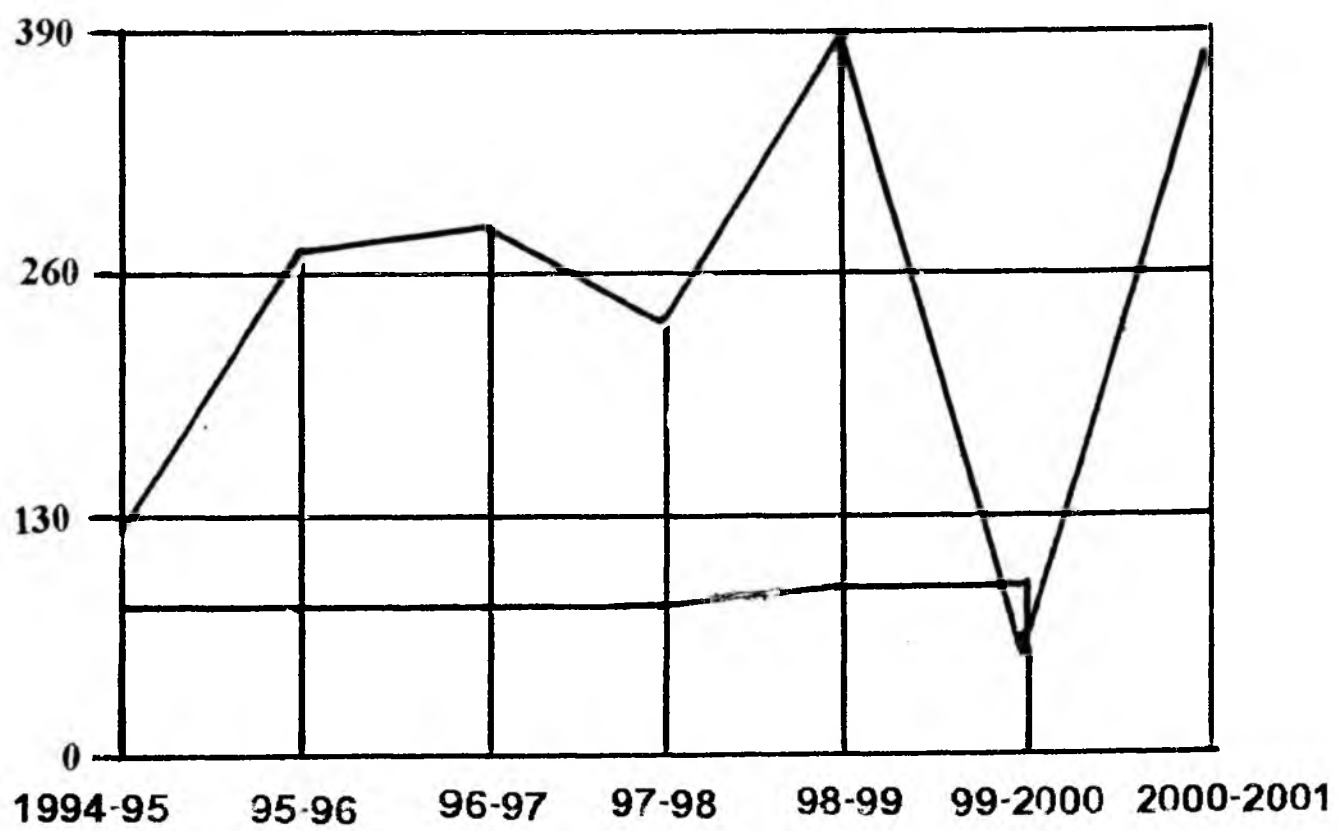

सेब

सभी फल

नीबूं प्रजाति के फलों की खरीद की। इसके अतिरिक्त् 216 मि.ट. सेब जम्मू तथा काश्मीर राज्य से खरीदे गए। निगम ने वर्ष के दौरान 634 मि.ट. कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया। एच.पी.एम.सी. ने अच्छी श्रेणी के सेबों के 11657 बक्से सीधे उत्पादकों से खरीदे जो टर्मिनल मण्डियों, चण्डीगढ़, दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, बंगलौर, कोलकाता व हैदराबाद में बेचे जा रहे हैं। घरेलू मण्डी में आयातित सेबों का मुकाबला करने के लिए एच.पी.एम.सी. ने प्रथम बार प्रयोग के रूप में ऊंचें क्षेत्रों से अच्छी श्रेणी के सेबों को विधायन एवं शीत-भण्डारण के लिए खरीद की है।

5.27 बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कुल 15 हैक्टेयर क्षेत्र को फूलों की खेती के अन्तर्गत लाया गया तथा दिसम्बर 2001 तक प्रदेश् में 48 फूल उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत की गई। खुम्ब उत्पादन, मौन पालन उत्पादन को बढ़ावा दे कर उद्यान उद्योग में विविधता लाई जा रहीं है। वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित 2 विभागीय मशरूम विकास परियोजनाओं में 300 मीट्रिक टन पास्चूराईजड खाद तैयार की गई तथा मशरूम उत्पादकों को बांटी गई जिससे 2,500 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। मौन पालन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचलित वर्ष में दिसम्बर 2001 तक 329 मौन वंश मौन पालकों को वितरित किए गए तथा 600 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 188 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ।

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

5.28 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एंव फसलों तथा सांझी सम्पति साद्यनों (जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि) में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे व घास जो कि सांझी सम्पति साद्यनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करता है। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा, घास तथा फसल अवशेष प्रदान करते है जोकि खेतों में खाद का काम करते है तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थव्यवस्था को कायम रखनें में विशेष सहायक है। वर्ष 2000-2001 में 7.60 लाख मीट्रिक टन दूध, 81.56 मिलियन अंडे, 1,582 मीट्रिक टन ऊन 3,434 मीट्रिक टन मीट का उत्पादन हुआ जिसके वर्ष 2001-2002 में क्रमशः 7.75 लाख मि. टन दूध, 60.56 मिलियन अंडे तथा 1650 टन ऊन के उत्पादन होने की आशा है। सारणी 5.9 दुध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 5.9

दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन `000 टन	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)
1996-97	698.0	344
1997-98	714.0	331
1998-99	724.0	329
1999-2000	740.0	330
2000-2001	760.0	343
2001-2002	775.0	343

5.29 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में (1) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, (2) गोजातीय विकास, (3) भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास, (4) कुक्कुट विकास, (5) पशु आहार व चारा विकास तथा (6)पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों पर ध्यान दिया जा रहा है।

5.30 पशु स्वास्थ्य एंव रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 7 पोलीक्लीनिक, 302 पशु चिकित्सालय, 25 केन्द्रीय पशु औषद्यालय, तथा 1,435 पशु औषद्यालय/केन्द्र कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3,500 पशुओं के लिए एक पशु चिकित्सा संस्थान कार्यरत है।

5.31 राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा) नगवाई(मण्ड़ी) ताल(हमीरपुर) कड़छम(किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2001-2002 में इन फार्मों में 1890 भेड़ें पाली गई तथा 225 नर मेंढें भेड़ पालकों को वितरित किए जाने की संभावना है। प्रदेश में शुद्व नसल के मेंढ़ों सोवियत मैरीनों तथा अमेरीकन रैम्बूलेट की प्रसिद्वता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नसल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं।

5.32 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षो में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जोकि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गऊओं को क्रासब्रीड गऊओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। वर्ष 1982 से 1992 के बीच में दूध देने वाले पशुओं की संख्या में बहुत कम (1 प्रतिशत से कम) बढौतरी हुई परन्तु इसी दौरान क्रासब्रीड गऊओं की संख्या में 17प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्रासब्रीड गऊओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गऊएं अधिक समय

तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है।

दूध पर आधारित उद्योग

5.33 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक फैडरेशन हिमाचल प्रदेश में डेरी सहकारिता के आनन्द पैटरन पर अपने 3 केन्द्रों चक्कर (मण्डी), टुटू (शिमला) तथा ढगवार (कांगड़ा) द्वारा डेरी विकास कार्यक्रम चला रहा है। यह 40,000 लीटर प्रतिदिन की कुल उत्पादन क्षमता से 3 दुग्ध प्लांट चला रहा है।

5.34 हिमाचल प्रदेश दुग्ध फैडरेशन राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम द्वारा पिछड़े व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले दुग्ध उत्पादकों को अधिक दूध के वितरण के लिए पारितोषिक प्रदान करता है। इन दुग्ध उत्पादकों में से अधिकतर छोटे व सीमान्त किसान हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15.11.99 से दुग्ध क्रय मूल्य 2 रूपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है।

5.35 संगठित क्षेत्र (दुग्ध फैडरेशन) में विभिन्न दुग्ध उत्पादों के अनुमानित उत्पादन जिसमें बाजार में दूध बेचना, पनीर, मक्खन, घी तथा एस.एफ.एम. बोतले शामिल हैं सारणी 5.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.10

दूध पर आधारित उद्योग का उत्पादन

उत्पाद	यूनिट	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (दिसम्बर तक)
1.	2.	3.	4.	5.
बेचा गया दुध	लाख लीटर	71.11	75.00	58.00
पनीर	मिट्रिक टन	4.30	24.46	23.61
मक्खन	मिट्रिक टन	5.4	4.02	3.96
घी	मिट्रिक टन	34.32	34.91	28.54
एस.एफ.एम.	लाख बोतलें	0.34	0.52	0.32

मत्स्य एवं जलचर पालन

5.36 हिमाचल प्रदेश विशाल एवं मत्स्य स्त्रोतों से परिपूर्ण राज्य है। जिसमें नदी नालों, जलाशयों, तालाबों और प्राकृतिक झीलों का जाल बिछा है। नदीय लक्यूस्ट्राईन, रिक्रीएशन और पौंड फिशरीज में वर्गीकृत राज्य के जल स्त्रोतों में मत्स्य विकास व रोजगार अर्जित करने की काफी संभावना है। प्रदेश में

लगभग 12,000 मछुआरा परिवार अपनी रोजी के लिए मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है।

वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक मछली उत्पादन में 20 प्रतिशत बढ़ौत्री दर्ज की गई। वर्ष के दौरान मत्स्य बीज उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की 23 मिलियन मत्स्य बीज उत्पादन की तुलना में 25 मिलियन पंहुच गया। प्रचलित वर्ष में राज्य के जलाशयों से रिकार्ड उत्पादन की संभावना है। जनवरी 2002 के मध्य तक 1208 टन उत्पादन जिसका मूल्य 314.90 लाख रूपये है पहले ही कर लिया है तथा वर्ष के अन्त तक इसके 1600 टन तक पंहुचने की आशा है। जनवरी के मध्य तक गोविन्द सागर से पिछले रिकार्ड उत्पादन 837 टन को पार करते हुए 900 टन उत्पादन पहले ही कर लिया गया है तथा वर्ष के अन्त तक 1200 टन रिकार्ड स्तर तक उत्पादन होने की आशा है। वर्ष के दौरान विभागीय व निजी फार्मों से 17 टन ट्राउट का रिकार्ड उत्पादन लक्ष्य भी प्राप्त किया गया। जिसके आधार स्वरूप भारत सरकार द्वारा "ठण्डा जल मत्स्य पालन" नामक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित आंरभिक परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अधीन ट्राउट फार्मों का पुर्नउद्धार किया जा रहा है और ट्राउट मत्स्य पालकों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। भारत -नार्वे ट्राउट कृषि परियोजना के द्वितीय चरण के अधीन नोराड द्वारा "संस्थागत सहायोग परियोजना" स्वीकृत की गई है। जिसमें ट्राउट स्वास्थ्य एवं पोषण बारे नार्वेजियन वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाएगा। ट्राउट स्ट्रीम आवास सुधार के लिए प्रथम बार 100 प्रतिशत सहायता के अन्तगर्त 6.00 लाख रूपये का प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। रावी एवं सतलुज नदियों में मनोरंजन मत्स्यकी की विकसित करने एवं सुकेती खड्ड के तटों पर मत्स्य पालन करने हेतू विभाग द्वारा एक महत्वकांक्षी योजना तैयार की गई है जिनका पूरा व्यय एन.जे.पी.सी., बी.बी.एम.बी. तथा एन.एच.पी.सी. द्वारा वहन कियां जाएगा। मछुआरा कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत मछुआरों को 20.75 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई।

सिंचाई

5.37 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलें तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड्ता है। राज्य योजना में सिंचाई की संम्भावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

5.38 हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न एजैन्सियों की लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

5.39 राज्य में कांगड़ा जिले में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र में सम्भावित सिंचाई की जाएगी।

5.40 राज्य में पांचवी योजना में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया। तब से 4 मध्यम परियोजनांओं में अब तक राज्य में 11,236 हैक्टेयर क्षेत्र में सी.सी.ए. सृजित करने का कार्य पूर्ण किया गया। गिरी सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 5263 हैक्टेयर), बल्ह घाटी परियाजना (सी.सी.ए. 2410 हैक्टेयर), भमौर साहिब चरण-I (सी.सी.ए. 923 हैक्टेयर) परियोजनाएं पूर्ण की गई। भमौर साहिब चरण -II (सी.सी.ए. 2640) परियोजना जून, 1998 में पूर्ण की गई।

5.41 निर्धारित सिंचाई संम्भावनाएं तथा सी.सी.ए. का सृजन निम्न सारणी में दिया गया है:-

सारणी 5.11

निर्धारित सिचाई संम्भावनाए तथा सीसीए सृजित

मद	यूनिट	क्षेत्र
कुल भौगोलिक क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	55.67
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	5.83
अन्तिम उपलब्ध सिंचाई सम्भावनाएं		
(क) मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	लाख हैक्टेयर	0.50
(ख) लद्यु सिंचाई	लाख हैक्टेयर	2.85
सृजित सीसीए		
31.3.99 तक	लाख हैक्टेयर	1.91
31.3.2000 तक	लाख हैक्टेयर	1.93
31.3.2001 तक (अनु)	लाख हैक्टेयर	1.95

नोटः ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके सी.सी.ए. 10,000 हैक्टेयर से अधिक हो मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत तथा 2,000 हैक्टेयर से अधिक सी.सी.ए. तथा 10,000 हैक्टेयर तक की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं है। लद्यु सिंचाई परियोजनाएं 2,000 हैक्टेयर से कम सी.सी.ए. वाली है।

वर्ष 2001-2002 की योजनावार उपलब्धियां तथा वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित है:-

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

5.42 वर्ष 2001-2002 में 1180 लाख रुपए के प्रावधान से 100 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। नवम्बर 2001 के अन्त तक 632.31 लाख रुपये की लागत से 50 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई। वर्ष 2002-2003 में 1218.00 लाख रूपए के निर्धारित प्रावधान से 300 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-12133
DOC, No..... 04-12-2003
Date.....

लघु सिंचाई

5.43 वर्ष 2001-2002 में राज्य क्षेत्र में 4200.56 लाख रुपये का प्रावधान है जिससे 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए रखे गए है। दिसम्बर 2001 तक 1619 हैक्टेयर क्षेत्र 2921.66 लाख रूपए के व्यय से इसके अन्तगर्त लाया गया। वर्ष 2002-03 में 6,058.90 लाख रूपये का परिव्यय करके 2000 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अर्न्तगत लाने का अनुमान है।

जल वितरण क्षेत्र

5.44 वर्ष 2001-2002 के दौरान 269.60 लाख रुपए जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, के अन्तर्गत 1,000 हैक्टेयर भूमि में फिल्ड चैनल तथा 1,000 हैक्टेयर भूमि में बाराबन्दी का प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर 2001 तक 981 हैक्टेयर भूमि में फिल्ड चैनल तथा 1206 हैक्टेयर बाराबन्दी के अन्तर्गत लाए गए। इस पर 134.26 लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 में जल वितरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 175 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

बाढ़ नियंत्रण

5.45 वर्ष 2000-2001 में 500 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियत्रंण कार्य के अन्तर्गत लाने के लिए 631.92 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें से दिसम्बर 2001 तक 339.91 लाख रूपए व्यय करके 301 हैक्टेयर भूमि को बचाया जा चुका है। वर्ष 2002-2003 के लिए 500 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत लाने के लिए 1243.02 लाख रूपए का लक्ष्य रखा गया है।

वन

5.46 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 66.5 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्देश्य वनों के उचित उपयोग के साथ-साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है। इन्ही नीतियों को पूर्ण रुप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं:-

वन रोपण

5.47 वन रोपण का कार्य फलोत्पादक वन योजना तथा भू-संरक्षण योजना के अर्न्तगत किया जा रहा है । फलोत्पादक वन योजना में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों, आर्थिक वन रोपण, चरागाह में सुधार, ईंधन व चारा तथा गौण वन उपज इत्यादि आते हैं। सितम्बर 2001 तक 564.59 रुपए की लागत से 8,533 हैक्टेयर क्षेत्र फलोत्पादक वन योजना के अर्न्तगत लाया गया।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति संरक्षण

5.48 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आखेट स्थलों में सुधार लाना है ताकि विभिन्न लुप्त होने बाले पशु- पक्षियों की प्रजातियों को बचाया जा सकें। सितम्बर, 2001 तक 153.53 लाख रुपये केन्द्रीय भाग सहित की राशि उपयोग में लाई गई ।

वन सुरक्षा

5.49 वनों पर आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके तथा अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक सभी वन मण्डलों को उपलब्ध करवाई जाए। जहां आग एक विध्वंसक तत्व है तथा वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इसके लिए सितम्बर 2001 तक 5.30 लाख रूपये व्यय किए जा चुके थे।

बाहय सहायता प्राप्त योजनाएं

भारत-जर्मनी इको विकास परियोजना (चंगर क्षेत्र परियोजना)

5.50 भारत-जर्मन आर्थिक विकास परियोजना पालमपुर उप-मण्डल के चंगर क्षेंत्र में फैडरल रिपब्लिक आफॅ जर्मनी के सहयोग से कार्य कर रही है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 50.00 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अन्तर्गत वन, कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसे विभाग एक दूसरे के तालमेल से काम करेंगे । वर्ष 2001-2002 में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 180.00 लाख रुपये रखे गए हैं जिसमें से सितम्बर 2001 तक 60.00 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना (डी.एफ. आई.डी.आई.) यू.के.

5.51 यह परियोजना जिला मण्डी व कुल्लू में अक्तूबर 1994 में आरम्भ की गई थी जो मार्च, 2001 तक पूर्ण कर ली गई है। इस परियोजना के लिए कुल 2172.40 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था जिसमें से मार्च 2001 तक 2171.24 लाख रूपये व्यय किए गये। परियोजना का मुख्य उद्देश्य संयुक्त वन व्यवस्था प्रक्रिया के द्वारा वन योजना को बनाए रखना था। फेज-2 "हिमाचल प्रदेश वन क्षेत्र सुधार परियोजना " नामक परियोजना की 2002 से 2006 तक 4 वर्ष अवधि होगी तथा इसकी कुल लागत 60.00 करोड़ रूपये होगी। सहायता एजेंसी द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है लेकिन अभी अनुबंध ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

हिमालयन हिल्ज के लिए वाटरशैड विकास परियोजना
(कंडी परियोजना)

5.52 एकीकृत वाटरशैड विकास परियोजना कण्डी विश्व बैंक की मदद से 1990-91 में पांच नदियों घग्घर (सोलन), सिरसा (सोलन), स्वां (ऊना), चक्की (कांगड़ा) तथा मारकण्डा (सिरमौर) के जल ग्रहण क्षेत्रों में 59.90 करोड़ की लागत से शुरू की गई। परियोजना का प्रथम चरण मार्च, 1999 में पूर्ण हो चुका है तथा उसी समय से द्वितीय चरण का कार्य 170 करोड़ रूपए की लागत से शुरू किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समाजिक व आर्थिक उद्धार करना है तथा उपयुक्त भूमि तथा आद्रता संरक्षण उपायों द्वारा पर्यावरण की ह्रास प्रक्रिया को कम करना है। इस परियोजना के अधीन वन, कृषि व पशुपालन विभाग एक दूसरे के तालमेल से काम करते हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए इस परियोजना के अर्न्तगत वन रोपण, भू-संरक्षण कार्य, उद्यान व कृषि गतिविधियां, तालाब के किनारों का संरक्षण तथा सिविल कार्यों के लिए 2,578.00 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए जिसमें से सितम्बर 2001 तक 900.88 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

6. उद्योग एवं रोजगार

उद्योग

6.1 हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षो में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न कार्यकलापों के अनुवर्ती लाइसैंसों को खत्म करने के परिणाम स्वरूप हमारे राज्य में निवेश प्रवाह कई गुणा बढ़ रहा है। विभाग को प्रदेश में नई औद्यौगिक इकाईयों की स्थापना के लिए उद्यमियों से अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इस समय प्रदेश में 191 मध्यम व बड़े तथा लगभग 29,200 लघु पैमाने के उद्योग कार्यरत है जिनमें लगभग 3,031 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का वार्षिक उत्पाद लगभग 4,800 करोड़ रुपये है और यह उद्योग लगभग 1.55 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं एवं समीक्षा प्राधिकरण (आई पारा) को समाप्त कर दिया है और अब उद्योगपतियों को मध्यम एवं बड़े क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के विभिन्न विभागों/एजैन्सियों में अनापति पत्र लेने हेतु सरकार ने उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर मात्र एक ही व्यक्ति से अनापति पत्र प्राप्त करने की प्रथा प्रारम्भ कर दी है। चालू वर्ष में दिसम्बर 2001 तक मध्यम एंव बड़े क्षेत्र में 20 पारियोजनाओं को जिनमें लगभग 243.85 करोड़ रुपये का निवेश होगा, पंजीकृत किया गया है। इससे लगभग 2,350 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। प्रदेश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं । जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम का उद्देश्य गावं तथा छोटे उद्यमियों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं/सेवाएं तथा सहायता प्रदान करना हैं। वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक 497 लघु उद्योगों का स्थाई पंजीकरण किया गया, इनमें 2,436 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए।

6.2 इसके अतिरिक्त 3 मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की आद्यौगिक इकाईयों जिनमें 52.82 करोड़ का पुनःनिवेश तथा 335 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं स्थापित किए गए हैं। उद्यमियों को साधन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए (i) परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, पांवटा साहिब, मैहतपुर शमशी, नगरोटा वगवां, बिलासपुर रिकौंग पिओ, संसारपुर टैरस, चम्बाघाट इलैक्ट्रोनिक कम्पलैक्स (सोलन) , मण्डी, नेरचौक, परैल-भांवला, हमीरपुर शोघी, चम्बा, अम्ब, टाहलीवाल तथा काला अम्ब में औद्योगिक क्षेत्र, (ii) धर्मपुर कांगड़ा, ज्वाली, मेहगल, सेहगलू तथा देहरा-गोपीपुर में औद्योगिक वस्तियां स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में और भी औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदाएं विकसित किए जा रहे हैं।

6.3 शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार सहायता प्राप्त करवाने हेतू प्रधानमंत्री रोजगार योजना समस्त प्रदेश में शुरु की गई है। इस वर्ष के अन्तर्गत 3,000 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक 1,902 मामलों को 1366.77 लाख् रुपये की धनराशि के ऋण स्वीकृत किए गए तथा 1,432 प्रार्थियों को 991.34 लाख रुपये के ऋण की धनराशि वितरित की गई। शेष मामले विचाराधीन हैं।

6.4 विभाग पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों/युवतियों को उन्हें आत्मनिर्भर करने हेतू प्रशिक्षण प्रदान करवाता है। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक जागरूकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को आत्मनिर्भर करने हेतू छोटे लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न नई औद्योगिक तकनीकी, सुविधाओं, औद्योगिक नीति व नियमों से भी जागरूप करवाया जाता है ताकि वे उनके आधार पर लघु उद्योग स्थापित कर सकें। इन प्रशिक्षणों की अवधि 3 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक रखी जाती है, जो कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है। वर्ष 2001-2002 में 31.12.2001 तक उद्यमियता विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक सचेत कार्यक्रम तथा औद्योगिक सचेत कार्यशाला कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतू 11 कार्यक्रमों का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 8 औद्योगिक सचेत कार्यक्रम किए गए, जिनमें 189 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया 1

औद्योगिक नीति

6.5 हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शीघ्र औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी है जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना है तथा समुचित आधार पर आर्थिक विकास करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतू प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति दिशा-निर्देश-1999 की रचना की है। इस नीति के मुख्य निम्न उद्देश्य हैं -

(i) रोजगार तथा आय वृद्धि हेतू अधिक इकाईयों को आकर्षित करने के लिए उच्च क्षमता वाले औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष गुणवता पूर्ण संसाधनों का विकास।

(ii) प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित आर्थिक व सामाजिक विकास।

(iii) छोटे तथा लद्यु औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना जो राज्य में कम निवेश द्वारा ही काफी मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और राज्य के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है।

(iv) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार हिमाचलियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(v) औद्योगिकीकरण को इस प्रकार से नियन्त्रित करना कि पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित रहे।

रेशम उद्योग

6.6 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है । रेशम के कीड़ें को पालने तथा कोकून को बेचने से वे अपनी आय में वृद्धि

करते हैं। वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक 0.97 लाख किलोग्राम कोकून का उत्पादन किया गया तथा 5.00 लाख कार्य दिवस पैदा किए गए।

कला एंव प्रदर्शनी

6.7 राज्य में औधोगिक ईकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश ने राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न मेलों, त्यौहारों व प्रदर्शनियों में भाग लिया है। चालू वर्ष के दौरान प्रदेश ने नई दिल्ली मे आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, कुल्लू के दशहरा मेले व रामपुर के लवी मेले में अपने राज्य में उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन किया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

6.8 हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। इस समय प्रदेश में लगभग 0.50 लाख हथकरघे हैं जो मुख्यत: ऊन पर आधारित हैं। इस समय बाजार विकास सहायता, वर्क शेड-कम-हाऊसिंग योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना तथा प्रोजैक्ट पैकेज योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत बुनकरों को हथकरघा उत्पादन को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष् में 450 बुनकरों को प्रदेश की 11 हथकरघा एजैंसियों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की गई है ज़िसकी प्रोजैक्ट लागत 25 लाख रूपये है।

रोजगार

6.9 1991 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 34.41 प्रतिशत मुख्य कामगार 8.42 प्रतिशत सीमान्त कामगार तथा शेष 57.17 प्रतिशत गैर कामगार थे। मुख्य कामगारों में से 63.25 प्रतिशत काश्तकार 3.30 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.43 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 32.02 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में रोजगार सहायता/ 3 सूचना क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालय सेजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 53 उप-रोजगार कार्यालयों द्वारा हिमाचलवासियों को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों, संस्थाओं तथा निजि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु वर्ष के दौरान प्रदान की गई।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

6.10 1.1.2001 से 30.11.2001 के समय में कुल 1,32,431 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 3,018 व्यक्तियों को रोजगार मिला । विभिन्न नियुक्तकों द्वारा इस अवधि में अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 1,764 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 30 नवम्बर 2001 तक सक्रिय पंजी में कुल संख्या 9.11 लाख थी।

रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम

6.11 वर्ष 1960 से रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े

जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। 31.12.2000 को प्रदेश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कुल 3.03 लाख कर्मी थे।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

6.12 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में लगी एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष् 2001 में भी अपनी सेवाऐं अर्पित करता रहा है। कक्ष का कार्य क्षेत्र केवल उपरोक्त संस्थानों तथा औद्योगिक ईकाईयों को तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को उपलब्ध करवाने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इस कक्ष में निजी क्षेत्र में अकुशल कामगारों की मांग को प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पूरा करने के लिए साथ-साथ सहायता करता रहा है। इस प्रकार रोजगार सेवा की एक विशेष सुविधा रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुकूल निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति हेतू तथा इस क्षेत्र के नियोक्ताओं को योग्य एवं प्रशिक्षित कामगार निशुल्क एवं समयानुसार उपलब्ध करवाने में सहायता करता रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 30.11.2001 तक 10,830 तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग के आवेदकों का पंजीकरण उनके मूल रोजगार कार्यालयों से प्राप्त अनुलिपि कार्डों के आधार पर किया गया। 30.11.2001 तक निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 2674 रिक्तियां अधिसूचित की गई जिसमें 529 रिक्तियां तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग की थी। केन्द्रीय रोजगार कक्ष द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, कुशल वर्ग सहित कुल 9,719 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया जिनमें से 2711तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग के थे। 30..11.2001 तक प्रदेश में 433 व्यक्तियों को विभिन्न निजि क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों में रोजगार प्राप्त हुआ जिनमें से 284 व्यक्ति तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग के थे।

विकलांगों के लिए विशेष कक्ष

6.13 जनवरी, 2001 से दिसम्बर 2001 के अन्तर्गत सक्रिय पँजी में 1,301 विकलांगों को और पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 9,339 हो गई थी। 70 विकलांग व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई। 203 आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित हुई जिसके प्रति 243 विकलांग प्रत्याशियों के नाम सम्प्रेषित किए गए।

न्यूनतम मजदूरी

6.14 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड बनाया है जो कि अनुसूचित रोजगारों के अन्तर्गत मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर तथा उसके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता हैं। इस बोर्ड की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने मजदूरों की सभी 24 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को 1.1.1999 को 45.75 रूपये से बढ़ाकर 51.00 रूपये प्रतिदिन कर दिया है जो कि 1.8.2001को पुनः बढ़ाकर 55 रूपये प्रतिदिन कर दिया है।

श्रमिक कल्याण उपाय

6.15 बन्धुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) एक्ट, 1976 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति के अतिरिक्त उप मण्डल एंव जिला स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगडे निपटाने के लिए श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्याय अधिकरण जिनका मुख्यालय शिमला है, का गठन किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जिला एंव सत्र न्यायधीश के पद के बराबर श्रम अदालत/औद्योगिक न्याय अधिकरण का एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, मेहतपुर, नालागढ़, पांवटा साहिब, काला अम्ब और शिमला शहर में लागू हैं। लगभग 53 उद्यम व 2,439 मजदूर इस योजना के अन्तर्गत लाए गए है। इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत 117 उद्यमों में कार्यरत 2,602 मजदूरों को लाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 में 30 मजदूर संघों का पंजीकरण ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत किया गया व विभिन्न औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित प्राप्त 409 मामलों में से 294 मामले श्रम न्यायालय को निर्णय हेतु भेजे गए।

7. विद्युत

7.1 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का, अन्वेषण, निष्पादन और इसके अलावा संचारण एवं वितरण कर रही है । यह बहुत ही संतोषजनक बात है कि अत्याधिक पहाड़ी क्षेत्र के बावजूद प्रदेश के सभी आबाद गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है ।

7.2 प्रारम्भिक जल, विज्ञान तलरुप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 20,300 मैगावाट आंका गया है । इसके अतिरिक्त प्रदेश नदी क्षेत्रों में अभी ऐसे स्थानों की पहचान बाकी है जिन पर लघु व सूक्ष्म परियोजनाओं के साथ-2 मध्यम और बड़ी परियोजनाएं बना कर विद्युत क्षमता में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है । थरमल व अणुशक्ति-उत्पादित विद्युत की लागत बढ़ने के कारण बहुत सी चिन्हित परियोजनाएं जिनको उत्पादन की अस्थिर व अधिक लागत के कारण उपरोक्त जल-विद्युत क्षमता में शामिल नहीं किया गया था, भी भविष्य में कार्यन्वित हो जांएगी । इन दो पहलुओं को देखते हुए हिमाचल की कुल जल विद्युत क्षमता का अनुमान 25,000 मैगावाट व इससे भी अधिक आंका जा सकता है । कुल क्षमता में से अभी तक केवल 3,942.07 मैगावाट क्षमता का दोहन किया गया है जिसमें से हिमाचल प्रदेश के अधीन केवल 326.80 मैगावाट है, क्योंकि विद्युत क्षमता के एक बड़े भाग का दोहन केन्द्रीय सरकार व अन्य अभिकरणों द्वारा किया गया है । राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता उतरीय क्षेत्र के विद्युत विकास कार्य में प्रमुख भूमिका निभा सकती है जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

7.3 प्रदेश में छठी पंच वर्षीय योजना से जल विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इससे न केवल राज्य की बढ़ती मांग पूरी होगी बल्कि उत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी । इन तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए बड़े, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म परियोजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ करने का राज्य में चरणवद्ध कार्यक्रम बनाया गया तथा साथ ही साथ पहले से आरम्भ की गई परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाएगा । प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वकांक्षी योजना को सरकारी क्षेत्र में तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत दसंवी पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में 459 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत वृद्वि की जायेगी जबकि यह उपलब्धियां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 139.5 मैगावाट, आठ्वीं पंचवर्षीय योजना में 27.30 मैगावाट तथा नौंवी पंचवर्षीय योजना में 33.50 मैगावाट थी।

7.4 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए इन परियोजनाओं से विद्युत प्रवाह व उसका राज्य में उपयोग हेतु विद्युत संचारण तथा वितरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

7.5 ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश ने आसाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं । इस तथ्य के

विद्युत उपभोग

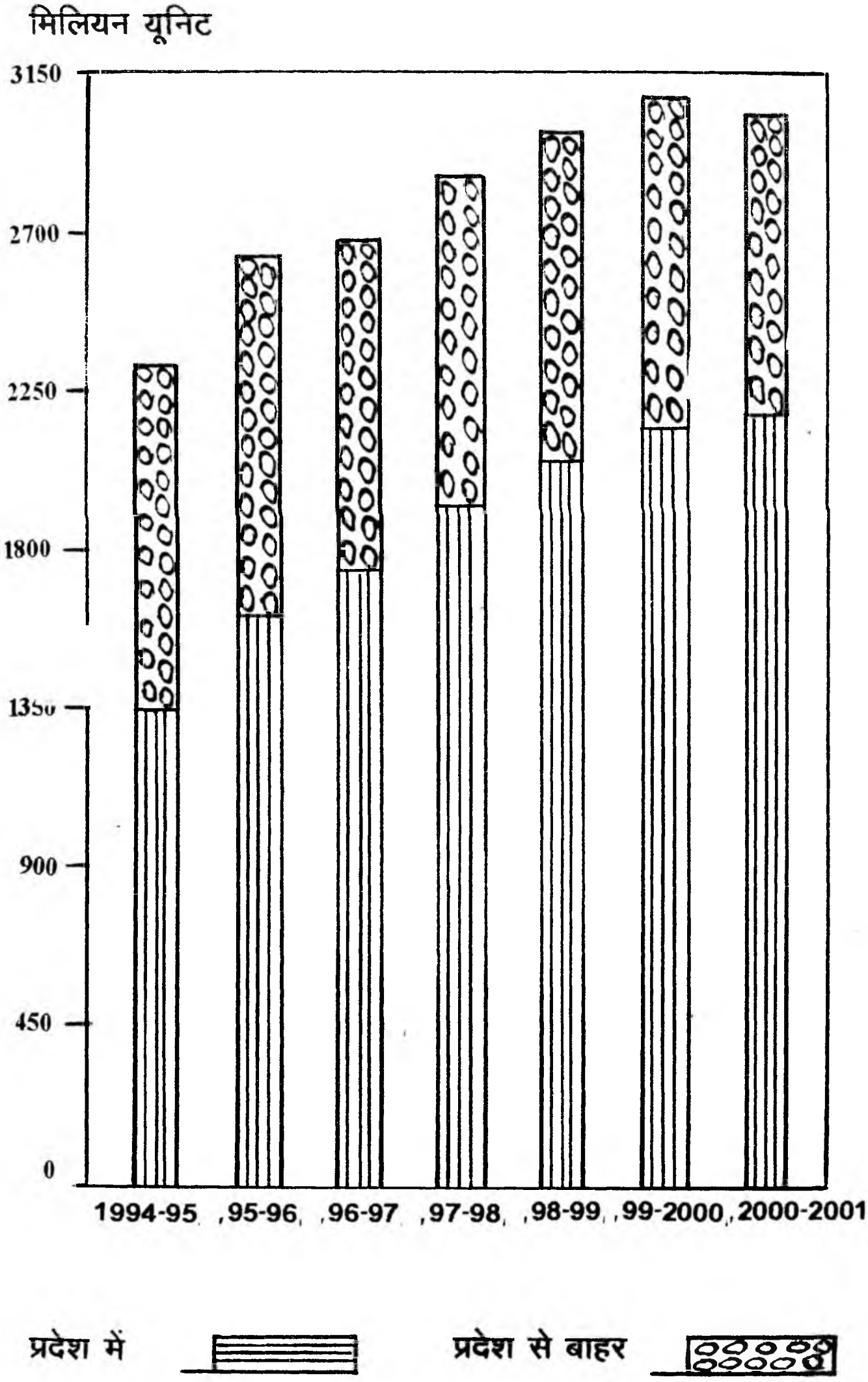
मिलियन यूनिट
3150
2700
2250
1800
1350
900
450
0
1994-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-2000
2000-2001
प्रदेश में
प्रदेश से बाहर

बावजूद कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य देर से आरम्भ हुआ तथा कठिन क्षेत्र व पहाड़ी होते हुए भी यह संतोषजनक बात है कि जून,1988 के अन्त तक सभी आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। गहन विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बचे हुए घरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा राज्य में बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता तथा उपलब्धता बनाये रखने का कार्य भी चल रहा है।

7.6 उत्पादन, संचार वितरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

उत्पादन

चालू परियोजनाएं

लारजी हाईडल प्रौजेक्ट(126 मैगावाट)

7.7 इस परियोजना को वर्ष 1987 के दौरान सी.ई.ए. और योजना आयोग से स्वीकृति मिल गई है जिस पर अप्रैल,1984 भाव स्तर पर 168.85 करोड़ रुपए लागत से 126 मैगावाट विद्युत उत्पादन हो सकेगा (3x42 मैगावाट)। मार्च ,1999 के भावों पर इस परियोजना पर पावर हाऊस वसबार पर 796.98 करोड़ रुपए संशोधित व्यय होने का अनुमान है। यह परियोजना राज्य क्षेत्र में शुरु की गई है। इस व्यय को राज्य योजना एवं वित्त संस्थानों से ऋण द्वारा पूरा किया जायेगा। इस परियोजना की पहली इकाई मार्च,2004 तक विद्युत उत्पादन शुरू कर देगी। दूसरी और तीसरी इकाईयां भी क्रंमशः मई,2004 तथा जुलाई, 2004 में उत्पादन शुरू कर देंगी।

खौली हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट(12 मैगावाट)

7.8 खौली हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट, जिला काँगड़ा की शाहपुर तहसील में खौली नदी जो कि गज खड्ड की सहायक नदी है, पर स्थित है। जून, 1999 के भावों पर इस परियोजना पर 72.07 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। इसका कार्य राज्य विद्युत परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिसकी निधि से मार्च, 2004 तक पूर्ण होने की संभावना है।

उहल स्तर- III(100 मैगावाट)

7.9 उहल स्तर -III विद्युत परियोजना मण्डी जिला में जोगिन्द्रनगर के समीप स्थित है। यह उहल परियोजना के दो अन्य स्तरों, शानन (100 मैगावाट) तथा बस्सी (60 मैगावाट) से निकली जलधारा पर स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के मार्च,2006 तक आरम्भ होने की सम्भावना है।

कशांग स्तर-I (66 मैगावाट)

7.10 कशांग स्तर -I विद्युत परियोजना जिला किन्नौर में सतलुज नदी पर जो कि कशांग और करांग जलधारा/खड्ड की सहायक नदी है, पर स्थित है। कशांग जल विद्युत परियोजना (66 मैगावाट) के पूर्ण प्रक्षेपण को हि. प्र. राज्य विद्युत परिषद द्वारा टैक्नोइकनोमिक मंजूरी दी जा चुकी है।

धन का प्रबन्ध व वैधानिक मान्यता के उपरान्त इसे सरकारी क्षेत्र में ले लिया जायेगा।

घानवी स्तर -II जल विद्युत परियोजना(8 मैगावाट)

7.11 यह परियोजना घानवी खड्ड, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है पर बनाई जा रही है, जो 8 मैगावाट विद्युत उत्पादन करेगी। इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में हिमाचल राज्य विद्युत परिषद द्वारा किया जा रहा है।

शालवी जल विद्युत परियोजना (7 मैगावाट)

7.12 यह परियोजना जिला शिमला में शालवी खड्ड, जो कि यमूना नदी की सहायक नदी है, पर स्थित है। इस परियोजना को हि.प्र. राज्य विद्युत परिषद द्वारा टैक्नोइक्नोमिक निकासी प्राप्त हो चुकी है।

मीनी माइक्रो हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट

7.13 चार लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं होली (3 मैगावाट) साल-II (2 मैगावाट) तथा भावा विकास पावर हाऊस योजना (3 मैगावाट) और गुम्मा (3 मैगावाट) 48.66 करोड़ रुपए की लागत से जो अब संशोधित 68.05 करोड़ रुपए है टर्नकी बेसिस पर विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसके लिए एम एन ई एस भारत सरकार ने 16.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। शेष राशि राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाएगी। इन सभी परियोजनाओं में साल-II सितम्बर 1999, गुम्मा (3 मैगावाट) अगस्त,2000 मे चालू की जा चुकी है जबकि होली और भावा प्रौजैक्ट 2001 -2002 मे पूर्ण हो जाऐगें।

नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना (1,500 मैगावाट)

7.14 नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना जिसकी 1,500 मैगावाट क्षमता है का कार्य संयुक्त रुप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 1:3 की भागीदारी में नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम (सीमित) के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना से 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में 6700 मिलियन यूनिट तथा 50 प्रतिशत औसत वर्ष में 7, 447 मिलियन यूनिट उत्पादित होगें। हिमाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत विद्युत निशुल्क तथा इसके अतिरिक्त शेष 88 प्रतिशत का 25 प्रतिशत उत्पादित लागत पर मिलेगी। उत्पादन कार्य हेतु इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 437 मिलियन यू.एस.डालर का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है और शेष राशि द्विपक्षीय फन्डिग द्वारा अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त की जा चुकी है व प्राप्त की जा रही है। इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत जून, 1998 की कीमत स्तर पर 7,666.00 करोड़ रुपए है।

कौल डैम (800 मैगावाट)

7.15 प्रदेश सरकार ने कौल डैम एच.ई.पी.800 मैगावाट को केन्द्रीय क्षेत्र में भारत सरकार के उपक्रम एन0टी0पी0सी0 को देने का निर्णय लिया है। इसके लिए फरवरी 2000 में

हिमाचल सरकार तथा एन0टी0पी0सी0 द्वारा अनुबन्ध प्रक्रिया शुरु की गई है। इसके दसवें पंचवर्षीय योजनाकाल में पूरा होने की सम्भावना है। इस समय इस परियोजना पर संरचना,, भू-अर्जन और केन्द्रीय विद्युत परिषद द्वारा परियोजना की निकासी के कार्य प्रगति पर हैं।

पार्वती हाइड्रो इलैक्ट्रिकल प्रोजैक्ट(2051 मैगावाट)

7.16 पार्वती हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट तीन स्तरों में पहला स्तर (750 मैगावाट), दूसरा स्तर (800 मैगावाट) और तीसरा स्तर (501 मैगावाट) पार्वती नदी जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है, पर बनाया जाएगा। इसके लिए 20.11.98 को हिमाचल सरकार और नैशनल हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर निगम के बीच समझौता हो गया है। दूसरे स्तर का कार्य शुरु किया जा चुका है। इस परियोजना की नींवं नवम्बर 1999 में रख ली गई है। परियोजना के दसरे स्तर के कार्य नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर निगम द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर शुरू किए जा चुके हैं। जून, 2001 में परियोजना को एम. ओ. ई. एफ. द्वारा पर्यावरण निकासी भी प्राप्त हो चुकी है।

चमेरा-III(हिबरा) जल विद्युत परियोजना (231 मैगावाट)

7.17 इस परियोजना पर हाल ही में जुलाई,2001 को हिमाचल प्रदेश सरकार और मैसर्ज एन.एच.पी.सी. के बीच समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इस परियोजना के जुलाई,2004 तक पूरा होने की संभावना है। इस पर कार्य समय से पहले प्रगति पर है।

7.18 वर्ष 2000-2001 के दौरान विद्युत उत्पादन 1,153.3 मिलियन यूनिट था जबकि इस वर्ष में दिसम्बर 2001 तक 985.7 मिलियन यूनिट हुआ। दिसम्बर 2001 तक 358 पम्पसैटों का उर्जयन किया गया ।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

7.19 केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारों के स्त्रोत सीमित होने के कारण भारत सरकार ने अब निजी क्षेत्र को बिजली के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है ताकि आने वाले समय में बिजली की कमी की पूर्ति हो सके। इसके फलस्वरुप प्रदेश सारकार ने सैद्धान्तिक रुप से निजी क्षेत्र को 7 जल विद्युत परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। इन परियोजनाओं की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :-

1. बासपा जल विद्युत परियोजना (300 मैगावाट)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अक्तूबर 1992 को मैसर्ज जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज के साथ एक कार्यान्वयन समझौता इस परियोजना को निजी क्षेत्र में चलाने के लिए हस्ताक्षारित कर दिया है। इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कम्पनी के साथ हस्ताक्षरित किया जाने वाला विद्युत क्रय समझौता जून, 1997 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना का कार्य जुलाई, 2003 में पूरा होने की सम्भावना है।

2. धमबाड़ी सुन्डा हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (70 मैगावाट)

मैसर्ज धमबाड़ी पावर कम्पनी के साथ अक्तूबर 1996 को समझौता हस्ताक्षरित किया गया। केन्द्रीय विद्युत परिषद ने अब इस परियोजना को जुलाई, 2001 में टैक्नोइक्नोमिक अनुमति जारी कर दी है।

3. कड़छम बाँगटू हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट(1000 मैगावाट)

सरकार ने मैसर्ज जय प्रकाश इंडस्ट्रीज सीमित के साथ 28.8.93 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया था। कम्पनी के द्वारा डी.पी.आर. और एच.पी.एस.ई.बी. की टिप्पणियाँ सी.ई.ए. को टैक्नोइकनोमिक अनुमति के लिए भेजी गई। कम्पनी से टैक्नोइकनोमिक अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा गया तथा नवम्बर 1999 में आई. ए. हस्ताक्षरित किया गया। इस परियोजना के नवम्बर 2009 तक पूरा होने की सम्भावना है।

4. नियोगल हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (15 मैगावाट)

मैसर्ज ओम पावर कारपोरेशन के साथ अगस्त, 1993 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। कार्यान्वित सम्बन्धी समझौता जुलाई, 1998 को हस्ताक्षरित हुआ। कम्पनी और एच.पी.एस.ई.बी. के साथ पी.पी.ए. दिसम्बर 1999 को हस्ताक्षरित किया गया । इस परियोजना को डी. ओ. ई. एफ. द्वारा पर्यावरण तथा वन अनुमति भी प्रदान की जा चुकी है।

5. एलियन दुंहगन हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (192 मैगावाट)

मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्ज के साथ अगस्त, 1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। कम्पनी लागत अनुमान तैयार करने के कार्य में लगी है। कार्यान्वित समझौता फरवरी, 2001 में हस्ताक्षरित किया गया। वन तथा पर्यावरण निकासी भी एम.डी.ई.एफ. द्वारा दी जा चुकी है।

6. मलाना हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (86 मैगावाट)

मैसर्ज मलाना पावर कम्पनी सीमित के साथ सितम्बर 1998 को कार्यान्वित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । इस परियोजना ने 5.7.2001 से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है।

7.20 हिमाचल पदेश सरकार ने अप्रैल/जून 1999 में निजी क्षेत्र में 8 परियोजनाओं के लिए 254 मैगावाट की कुल क्षमता के लिए इन्डीपैन्डैंट पावर प्रोडयूसरज से निविदाएं मांगी थी । इन सभी परियोजनाओं के एम. ओ. यू., जून, 2000 में हस्ताक्षरित हो गये हैं।

7.21 9 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जिनकी कुल क्षमता 448.5 मैगावाट बनती है, जुलाई, 2001 में विज्ञापित किए गए तथा इन निविदाओं की छानवीन प्रगति पर है।

हिम ऊर्जा

ऊर्जा के गैर परम्परागत, नए तथा नवीकरण साधनों का विकास

7.22 आर्थिक वृद्वि के साथ-2 तेजी से औद्योगीकरण, अच्छे रहन-सहन के स्तर तथा आधारभूत सुविधाओं में बढ़ौतरी के कारण ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ी है । पारम्परिक ऊर्जा

स्त्रोतों में कमी होने के कारण गैर पारम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे सौर जल तापीय संयन्त्र तथा अन्य ऊर्जा संयन्त्रों के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

7.23 नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों में सौर ऊर्जा के उपयोग का बहुत महत्व हैं। हिम ऊर्जा द्वारा (आई.आर.ई.पी.) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरण ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए, गैर पारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की वित्तीय सहायता से यह कार्यक्रम राज्य के 45 विकास खण्डों में पूर्ण रुप से चलाया जा रहा है। नवीकरण उर्जा स्त्रोत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत जैसे कि सोलर कुकर, सौर तापीय संयत्र, उन्नत किस्म के चूल्हे, उन्नत जल की चक्कियां, फोटोवोलटिक रोशनी इत्यादि को भी लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2001-2002 की दिसम्बर, 2001 तक की उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :-

सौर थर्मल विस्तार कार्यक्रम

7.24 वर्ष 2001 -2002 के दौरान दिसम्बर,2001 तक 260 सौर कुकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए गए। राज्य के विभिन्न भागों में 62 सौर जल तापीय संयंत्र जो कि विभिन्न क्षमताओं वाले हैं लगाए गए / आर्डर बुक किए जा चुके हैं। हिमाचल सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी भवनों व संस्थानों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम को स्थापित करना अनिवार्य है। पहले चरण में क्षेत्रीय हस्पताल धर्मशाला, राजभवन शिमला, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, हिमऊर्जा कार्यालय भवन शिमला, इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान शिमला तथा क्षेत्रीय हस्पताल खनेरी-रामपुर में सौर जल तापीय संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं जो कि संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। हिमाचल भवन चण्डीगढ़ में भी 12,000 लि.प्र.दि. क्षमता का सौर जल, तापीय संयंत्र स्थापित किया जा चुका है।

7.25 दिसम्बर,2001 तक प्रदेश के विभिन्न खण्डों में 715 सौर प्रकाश वोल्टिय लालटैन, 1535 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां उपदान पर वितरित की जा चुकी हैं तथा 165 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां भी सामुहिक प्रयोग के लिए स्थापित की जा चुकी है।

मिनी/माइक्रो परियोजनाएं

7.26 यू. एन. डी. पी.-जैफ कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 परियोजनाएं लिंगटी(400 किलोवाट) कोठी(200 किलोवाट), जुथेड़(100 किलोवाट), पुरथी(100 किलोवाट) तथा सुराल(100 किलोवाट) हिमउर्जा द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं हैं, इनमें से कोठी तथा जुथेड़ परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है तथा लिंगटी परियोजना का कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है। पुरथी तथा सुराल परियोजनाओं की स्थापना अगस्त, 2002 तक कर दी जाएगी। तीन अन्य परियोजनाएं सोलांग(1000 किलोवाट), रसकट(800 किलोवाट) तथा टिटांग (900 किलोवाट) निजि निवेशकों द्वारा निष्पादित की जा रही हैं। रसकट परियोजना की स्थापना की जा चुकी है तथा अन्य दोनों परियोजनाओं का कार्य भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है। यह सभी परियोजनाएं दूर दराज तथा जन जातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। दो अन्य परियोजनाएं, घरोला(100 किलोवाट) तथा बड़ा भंगाल(40 किलोवाट) भी हिमउर्जा द्वारा दूर दराज तथा

जन जातीय क्षेत्रों में निष्पादित की जा रही हैं तथा शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं।

लघु पन विद्युत जनरेटर सेटस

7.27 15 लघु पन जनरेटर सेटस जिनकी क्षमता 200 किलोवाट है की स्थापना की गई है। इनमें से 12 सेट चम्बा जिला के पांगी उप मण्डल में, 2 शिमला जिला के डोडरा क्वार में तथा 1 सराहन में स्थापित किए गए हैं।

निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जारही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु पन विद्युत परियोजनाएं

7.28 राज्य सरकार द्वारा 5 मैगावाट तक लघु पन विद्युत का दोहन निजि निवेश के माध्यम से करने का कार्य हिमऊर्जा को बहुउद्देश्य परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग (MPP & Power) के प्रशासनिक नियंत्रण में सौंपा गया है। पहले तथा द्वितीय चरण (1996-1999) में 88 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 121.66 मैगावाट है के लिए निजि उद्यमियों के साथ ज्ञापन समझौते (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। 35 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 81.05 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौते तथा 23 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 47.75 मैगावाट है के लिए विद्युत क्रय समझौते पर निजि उद्यमियों के साथ हस्ताक्षर किए गए। तृतीय चरण में (2000-01) 117 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 191.89 मैगावाट है को निजि क्षेत्र की कम्पनियों को आवंटित किया गया जिनमें से 108 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 172.59 मैगावाट है के लिए ज्ञापन समझौते हस्ताक्षरित किए गए।

8. परिवहन एंव संचार

सडकें तथा पुल(राज्य क्षेत्र)

8.1 जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़के ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने 31 मार्च,2001 तक 27,217 कि. मी. वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप चलने योग्य सड़कें भी सम्मिलित हैं का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्याधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2001-2002 के लिए इस हेतु 22,754.09 लाख रूपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2001-2002 का लक्ष्य तथा दिसम्बर 2001 तक की उपलब्धियां और मार्च, 2002 तक पूर्वानुमानित ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

सारणी 8.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2001-2002	उपलब्धियां दिसम्बर,2001 तक	पूर्वानुमानित मार्च, 2002 तक
1. वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	375	347	375
2. जल निकास	कि0मी0	450	336	450
3. पक्की तथा विशलित सड़के	कि0मी0	600	587	650
4. जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	15	15	15
5. पुल	संख्या	35	33	35
6. गांव जुड़े	संख्या	30	19	30

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

8.2 हिमाचल प्रदेश में 1235 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसमें शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें तथा बाईपास सम्मिलित है के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर,2001 के अन्त तक 37 किलोमीटर लम्बे मार्ग को चौड़ा करके दोहरी सड़कों में परिवर्तित करने के अतिरिक्त 116 किलोमीटर लम्बे मार्ग को पक्का तथा विशलित किया गया तथा पटरियों को चौड़ा किया।

8.3 हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च,2001 तक सड़कों की कुल लम्बाई 27,217 किलो मीटर थी तथा 7,867 गांव सड़कों से जुड़े हुए थे जिनका ब्यौरा सारणी 8.2 में दिया जा रहा है।

सारणी 8.2

सड़कों से जुड़े गांव	31 मार्च को संख्या		
	1999	2000	2001
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	184	184	185
1000-1500 की जनसंख्या वाले	223	224	224
500-1000 की जनसंख्या वाले	839	843	847
200-500 की जनसंख्या वाले	2517	2551	2575
200 से कम की जनसंख्या वाले	3973	4001	4036
कुल	7736	7803	7867

रेलवे

8.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईनें शिमला-कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर-पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम-ऊना (16 किलोमीटर) बड़ी लाईन है।

पथ परिवहन

8.5 मण्डी कुल्लू पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल सरकार परिवहन को मिला कर 2 अक्तूबर 1974 को हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। समन्वित, आयोजित, पर्याप्त, सस्ती तथा कार्यसाधक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाना निगम का मुख्य उद्देश्य है। पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवांए जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, औटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसीलिए पथ परिवहन निगम को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में तथा राज्य से बाहर यात्रियों को परिवहन सुविधांए उपलब्ध करवा रहा है। 30 नवम्बर 2001 तक निगम के पास 1,766 बसे थी। पथ परिवहन निगम का प्रचालन राजस्व नवम्बर 2001 तक 135.48 करोड़ रूपए हो गया है। निगम ने नागरिकों को इन्टरनेट (वैवसाईटस तैयार करके) द्वारा अग्रिम बुकिंग तथा सामान्य सूचना उपलब्ध करवाना भी शुरू किया है।

8.6 लोक हित के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी कार्यान्वित रहीं ।

(i) स्मार्ट कार्ड योजनाः जिसमें लोगों को 50 रूपए जमा करने पर एक कार्ड प्राप्त होता है जो एक वर्ष तक चलेगा तथा 10 कि.मी. से अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा भाड़े में 10 प्रतिशत तथा वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट 20 प्रतिशत है।

(ii) ग्रुप डिस्काउंट स्कीमः इसके अन्तर्गत 100 किलो मीटर से अधिक यात्रा करने

सड़कें

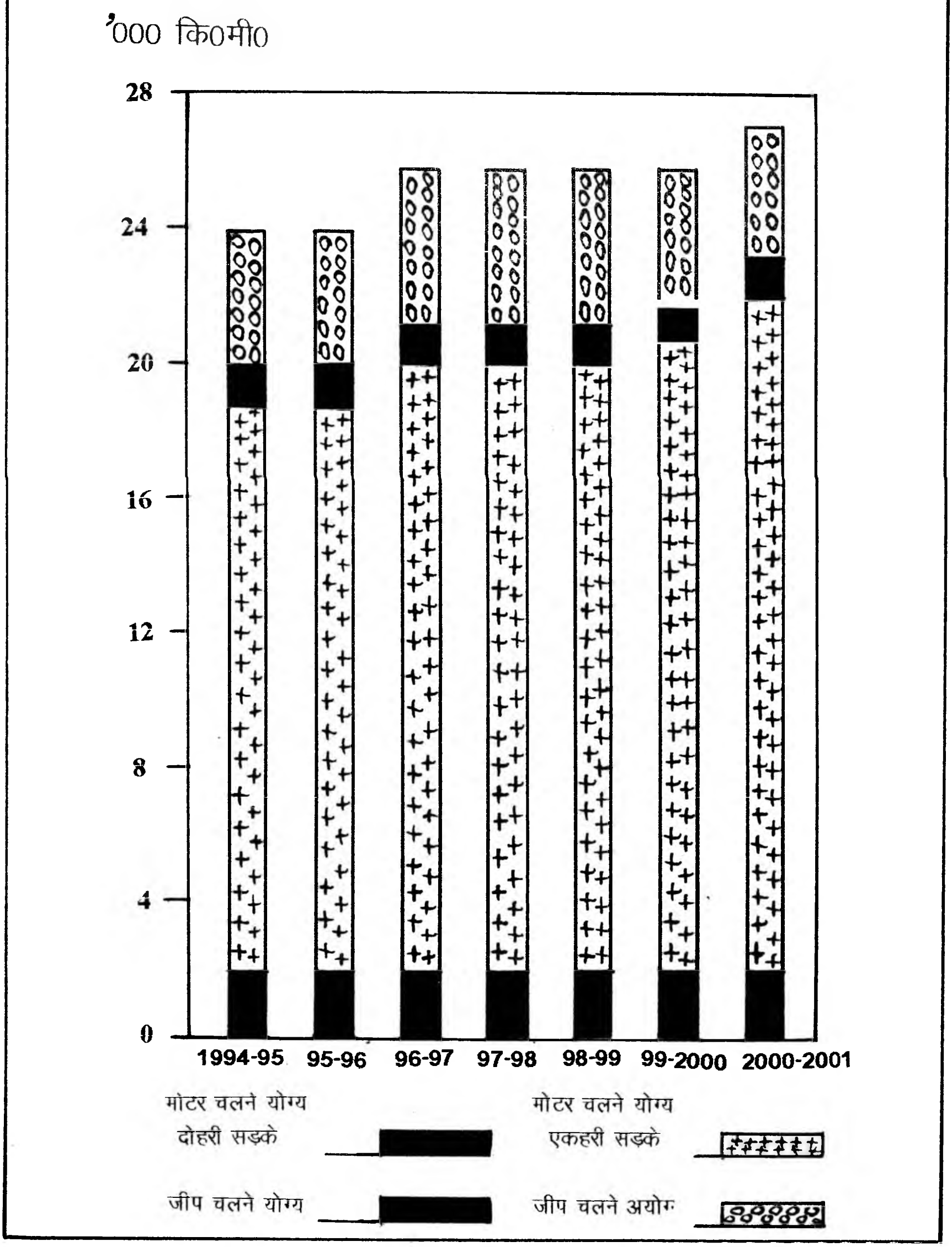
'000 कि0मी0
28
24
20
16
12
8
4
0
1994-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-2000
2000-2001
मोटर चलने योग्य दोहरी सड़के
मोटर चलने योग्य एकहरी सड़के
जीप चलने योग्य
जीप चलने अयोग्

वाले 4 से 9 व्यक्तियों के समूह को 10 प्रतिशत तथा 9 से अधिक व्यक्तियों के समूह को 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।

(iii) कोरियर सेवाः पथ परिवहन निगम ने 1.11.2000 से अपनी बसों के माध्यम से बुकिंग आफिस से बुकिंग आफिस तक कोरियर सेवा प्रारम्भ की है।

9. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

9.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को अर्थव्यवस्था का एक अत्याधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है क्योंकि इसे भविष्य के लिए विकास का एक मुख्य आधार यंत्र अनुभव किया जा रहा है। पर्यटन कार्यकलापों में सहायक सभी आधार स्त्रोत व साधन प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जैसे भौगोलिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ, शांत व सुन्दर वातावरण, वनं, झीलें, पर्वत, नदियां व झरने धार्मिक मन्दिर, ऐतिहासिक स्मारक और मैत्रीपूर्ण व स्नेहिल लोग।

9.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समुचित संरचना का विकास किया है जिसके अन्तर्गत जनउपयोगी सेवाऐं जैसे सड्के, संचार, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाऐं, जलआपूर्ति एंव नागरिक सुविधांओं का प्रावधान किया है। पर्यटन विकास में सहायक समुचित संरचना विकास व निर्माण के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 के लिए पर्यटन के अन्तर्गत 488.50 लाख रूपये एंव नागरिक उड्डयन के अन्तर्गत 67.26 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग अपनी विभिन्न गतिविधियों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। राज्य के उन क्षेत्रों, जो पर्यटन के लिए नहीं खोले जा सके थे, में पर्यटन विकास के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम केलांग, काजा, सांगला, कसौली, कल्पा, और खड्ग-पत्थर में अपने परिसर स्थापित करने जा रहा है। इनके अतिरिक्त वर्ष 2001-2002 में मनाली में क्लब हाउस के समीप खेल सुविधांए व कैफे चन्द्रताल के समीप पार्किंग व्यवस्था का प्रावधान, डलहौजी में पार्किंग व्यवस्था, जंजैहली (मण्डी) में ट्रैकरज होस्टल, बिलासपुर में पर्यटक परिसर, होटल हमीर(हमीरपूर) में 10 अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन का विकास, गोन्विद सागर झील(बिलासुपर), ज्वालाजी व सुन्दरनगर में पर्यटक स्वागत कक्ष का निर्माण, सांस्कृतिक गांव परागपुर में कला व शिल्प गांव, बगला देवी मन्दिर (देहरा) का सौन्दर्याकरण, कुफरी और मनाली के रास्ते में आधारभूत सुविधांए, हस्तशिल्प ग्राम, कुफरी में पार्किंग, जलक्रीड्ा केन्द्र देहरा, रोहतांग व सोलंग के रास्ते में आधारभूत सुविधांए व पार्किगं व्यवस्था सम्बन्धी योजनाएं ली गई हैं जिन्हें कि भारत सरकार भी प्रधानता दे रही है। चामुंडा, ज्वालाजी, कांगडा, दियोटसिद्व चिन्तपूर्णी व नैनादेवी में यात्रियों को उत्तम सुविधांएं प्राप्त करवाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

9.3 पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन विभाग पर्यटक सूचना की पुस्तिकाएं तैयार करता है तथा प्रदेश एंव प्रदेश से बाहर मनाये जाने वाले मेलों एंव उत्सवों में भाग लेता है। विभाग ने टी.टी.एफ.- कोलकता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली, सप्तम अन्तर्राष्ट्रीय हिमालयन उत्सव धर्मशाला, आई.आई.टी.एम. हैदराबाद और आई. टी. एम, चण्डीगढ़, दिल्ली व जयपुर यात्रा एवं पर्यटन एक्सपो नागपुर आई. ए. टी. ओ. जोधपुर भारतीय पर्यटन व सांस्कृतिक स्पर्धा, दिल्ली में भाग लिया। सितम्बर 2001 में भारत सरकार के सहयोग से रिकांग पिओ में बौद्व महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग ने अप्रैल, 2001 मे हिमटैब का भी आयोजन किया। शिमला बाई-पास पर एक पर्यटन सूचना केंद्र भी खोला गया है जो कि पर्यटकों को आवश्यक सूचना एंव मार्ग दर्शन उपलब्ध करता है। कुफरी में पर्यटक परिसर पार्किंग सुविधा,

स्थानीय दस्तकारी के विकास हेतु व्यवसायिक परिसर का प्रावधान भी किया गया है। निजि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग ने पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों का चयन किया है । विभाग ने 14 स्थान रज्जू मार्गो की स्थापना के लिए चिन्हित किये है इन में से 2 रज्जू मार्ग, श्री नैना देवी जी एवं जाबली से कसौली ने वाणिज्यक कार्य आरम्भ कर दिया है जबकि चम्बा घाट से करोल टिब्बा रज्जू मार्ग का कार्य प्रगति पर है और न्यूगल रज्जू मार्ग परियोजना, पालमपुर के लिए सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा चुका है तथा सोलंग नाला रज्जू मार्ग का कार्य विभाग IL और FS द्वारा करवा रह है।

9.4 साहसिक पर्यटन के विकास के दृष्टिगत झीलों का विकास प्राथमिकता के रूप में लिया जा रहा है जिसके लिए उपकरण खरीदे जा चुके है और झील स्थल पर पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। बिलासपुर में गोविन्दसागर झील के समीप लुहणू मैदान में 100.00 लाख रूपये की लागत वाला जल क्रीड़ा केंद्र भी स्थापित किया गया है। एक एयरो क्रीड़ा केन्द्र बीड़ के लिए प्रस्तावित है जिसकी कुल लागत 25.25 लाख रुपये होगी। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने 19.60 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये हैं। स्थानीय युवकों को राफ्टिंग एंव अन्य जल क्रीडाओं का प्रशिक्षण् दिया जा रहा है। जल क्रीड़ाओं, एयरो क्रीड़ा, ट्रैकिंग एंव एंगलिंग में प्रशिक्षण् देने हेतु नियमित प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 में मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत 3 कोंस, स्वागत कोर्स, हाउसकिपिंग तथा 8 ई.डी.पी. कोर्स का विभाग द्वारा आयोजन किया गया जिसमें 289 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। सरकार द्वारा हैली स्कींग से वर्ष 1990-2001 के मध्य सीधे तौर पर 74.11 लाख रूपये की आय प्राप्त हुई।

नागरिक उड्डयन

9.5 इस समय प्रदेश में जुब्बर हट्टी (शिमला), भुंतर (कुल्लू) एंव गग्गल(कांगड़ा) तीन हवाई अड्डे है व 54 हैलीपैड भी आप्रेशन हेतु उपलब्ध है। राज्य सरकार ने बडे वायुयानों हेतु व यात्रियों को अच्छी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन हवाई अड्डों को सदृढ़ बनाने व इनका विस्तार करने का निर्णय लिया है । वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक शिमला हवाई अड्डे के विस्तार कार्य पर 3.17 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं तथा कांगड़ा व कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के विस्तार कार्य हेतु राज्य सरकार व एयरपोर्ट अथौरटी आफॅ इण्डिया के मध्य सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

10. सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं

शिक्षा

10.1 हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 77.13 प्रतिशत है। राज्य में पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरुषों की 86.02 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 68.08 प्रतिशत है। इस अन्तर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राथमिक पाठशालाएं

10.2 प्रदेश में इस समय 10,633 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,534 कार्यमूलक हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित करते हुए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1997(1998 का एक्ट 2) बनाया है जो कि अप्रैल 1998 से लागू हो गया है। स्कूलों में अधिक से अधिक हाजरी बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन इन स्कूलों के बच्चों को दे रही है जैसे कि आई.आर.डी.पी. के अर्न्तगत प्रत्येक छात्र को 150 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृति, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 150.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जनजातीय क्षेत्रों में सभी छात्रों को मुफ्त पुस्तकें व कापियां, लड़कियों को मुफ्त कपड़े व स्कूल ड्रैस, गैर जन जातीय क्षेत्रों में आई.आर.डी.पी. / अनुसूचित जाति व जन-जातिय छात्रों को मुफ्त पुस्तकें, छात्राओं को 20 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष उपस्थिति छात्रवृति, 4 रुपये प्रतिमास की दर से गरीबी बजीफा, जन-जातीय क्षेत्र के सभी छात्रों को लाहौल-स्पिति आधार पर 8. रुपये प्रति मास बजीफा, तथा सैनिक बच्चों के लिए 150/- रूपये प्रति मास छात्रवृति दी जा रही है। प्रदेश के सभी सामुदायिक विकास खण्डों में मिड-डे-मील अभी भी कार्यान्वित है। वर्ष 2091-2002 के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं अन्य प्रोत्साहन के अनर्तगत 4.69 करोड़ रूपये व्यय किए जाने का अनुमान है। प्रदेश में शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग व जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समितियों के समायोजन से प्रत्येक जिले में साक्षरता मिशन आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार ने महत्वकांक्षी योजना जो कि "सरस्वती बाल विद्या संकल्प" योजना के नाम से जानी जाती है, आरम्भ की है जिसके अंतर्गत् 13,612 नए कमरें चरणबद्ध तरीके से बनाए जाने की घोषणा की गई है जिसके अतंर्गत प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला में कम से कम 3 कमरे अवश्य उपलब्ध किए जाने हैं। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु वर्ष 2001-02 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 790.13 लाख रूपये तथा एस. सी. पी. में 489.75 लाख रूपये प्रदान किए गए हैं। 31.12.2001 तक 3,010 कमरे तैयार किए जा चुके हैं तथा 3,273 कमरों का निर्माण प्रगति पर है

10.3 विभाग द्वारा विद्या उपासकों के लिए विशेष इन्डक्शन ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया गया है ताकि विद्या उपासक प्रवीणता से कक्षाओं को चला सकें।

10.4 शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के तहत पंचायती राज को वर्ष 1996 में प्राथमिक पाठशालाओं का निरीक्षण, प्राथमिक पाठशाला भवन के रख-रखाव एवं मुरम्मत और प्राथमिक पाठशालाओं में पढ रहे विद्यार्थियों को दी जा रही विभिन्न छात्रवृतियों इत्यादि की देखरेख की भी शक्तियां प्रदान की गई है। अब इसके तहत प्राथमिक पाठशालाओं के भवन पंचायती राज के अधीन रहेंगे। इन भवनों का निर्माण तथा मुरम्मत कार्य पंचायतों द्वारा ही किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के दूर -दराज कठिन एवं दुर्गम क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में रिक्त पदों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश ग्राम विद्या उपासक योजना के अन्तर्गत, ग्राम विद्या उपासकों की नियुक्ति भी प्रस्तावित है।

10.5 भारत सरकार द्वारा देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिरण हेतु सामुदायिक भागीदारी द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देदय देश में 6-14 वर्ग के आयु के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों की शिक्षा तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है।

माध्यमिक पाठशालाएं

10.6 वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक 3,188 माध्यमिक युनिट, जिनमें 1,674 माध्यमिक पाठशालाएं 978 उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के माध्यमिक यूनिट तथा 536 वरिष्ठ पाठशालाओं के माध्यमिक यूनिट सम्मिलित है, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं।

उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

10.7 वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक 1,514 उच्च/वरिष्ठ यूनिट, जिनमें 978 उच्च पाठशालाओं के यूनिट तथा 536 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के उच्च स्कूलों के यूनिट सम्मिलित हैं, कार्यरत थे।

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

10.8 दिसम्बर 31.12.2001 तक प्रदेश में 37 महाविद्यालय कार्य कर रहे थे जिनमें से एक बी.एड कालेज धर्मशाला में तथा एक एस.सी.ई.आर.टी. शिक्षा संस्थान सोलन सम्मिलित हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने वर्ष 1995-96 से लड़कियों को सभी स्तरों पर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने से लेकर विश्वविद्यालय जिसमें व्यावसायिक तथा तकनीकी कोर्स भी सम्मिलित है मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है।

विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा

10.9 वर्ष 2000 में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी तथा यह वर्तमान वर्ष में भी जारी रहेगी।

10.10 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किए है जिसपर प्रतिवर्ष 14.60 करोड़ रूपये का व्यय होता है।

10.11 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें मुफ्त दे रही है। वर्ष के दौरान इस योजना पर लगभग 10.56 करोड़ रूपये व्यय होने की सम्भावना है।

तकनीकी शिक्षा

10.12 प्रदेश में इस समय एक क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, 1 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 7 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान, 28 सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए सम्मिलित है, 16 महिला प्रशिक्षण संस्थान तथा एक मोटर ड्राईविंग एंव हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी आपरेटर प्रशिक्षण स्कूल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 4 सह शिक्षा औद्यौगिक प्रशिक्षण्ध केन्द्र जो कि क्रमशः जिला कांगड़ा के परागपुर एवं गगल जिला सोलन के परवाणु में तथा जिला हमीरपुर के लोहारियां में चल रहे हैं। जिला कांगड़ा में परागपुर तथा जिला हमीरपुर में लोहारियां में एक-एक आई.टी.आई. भी कार्यरत है। बहुतकनीकी संस्थानों में 3 और 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों द्वारा 11 विभिन्न इजींनियरिंग और नौन इंजीनियरिगं शाखाओं तथा कम्पयूटर प्रयोग में डेढ़ वर्षीय डिप्लोमे का प्रशिक्षण दिया जाता हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में क्राफ्टमैन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 24 इंजीनियरिंग व 11 नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। राजकीय बहु तकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट तथा हमीरपुर में इस वर्ष से तीन वर्षीय कम्पयूटर इन्जीनियरिंग के व्यवसाय भी शुरू किए हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुन्दर नगर में कम्पयूटर इजीनियरिंग तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा में सूचना प्रौद्यौगिकी का तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। नए खोले गए संस्थानों को भवन मशीनरी हेतू अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद के मानकों के अनुसार उचित वित्तिय सहायता दी जा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

10.13 हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य, विभिन्न बिमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की अमूल्य सेवाएं, 50 चिकित्सालयों, 65 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 304 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 155 औषधालयों और 2,068 उपकेन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुद्धढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुद्धढ़ कर रही है तथा वर्तमान स्वास्थ्य संस्थानों के स्तर को बढ़ा रही है। वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) **ग्रामीण स्वास्थ्य योजना:-** इस योजना के अन्तर्गत राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य मार्ग दर्शकों द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। ये गाईड नागरिक पंजीकरण, मलेरिया निरीक्षण, परिवार कल्याण तथा टीकाकरण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ।

(ii) **राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 291 रोग चिकित्सा डिपो, 1887 औषधि वितरण केन्द्र 220 मलेरिया क्लिनिक्स कार्य कर रहे थे। वर्ष 2001-02 में नवम्बर 2001 तक इस कार्य के अन्तर्गत 5,25,551 रक्त स्लाईडें एकत्रित की गईं जिनमें से 340 अनुकूल पाई गई और 345 मामलों का आमूल उपचार किया गया तथा इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया।

(iii) **कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम:-** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचालित दर जो वर्ष 1955 में 26 प्रति दस हजार थी, 31 दिसम्बर 2001 तक घटकर 0.55 प्रति दस हजार रह गई। 2001-2002 के 50 मामलों के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 2001 तक 205 नए मामलों का पता लगाया गया। इस कार्यक्रम के अनतर्गत 150 मामलों का चयन पुर्नरचना सर्जरी के लिए किया गया था जिनमें से 67 मामलों का आपरेशन किया गया।

(iv) **एस.टी.डी. नियन्त्रण कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश मे 71 एस.टी.डी. संस्थाएं एस.टी.डी. के उपचार तथा पता लगाने के लिए कार्य कर रही हैं। अक्तूबर 2001 तक एस.टी.डी. के 19,000 रक्त के नमूने सीफिलिस रोग की जांच के लिए आए जिनमें से 133 मामले अनुकूल पाए गए। इसके अतिरिक्त 4,791 नमूनों की जी.सी.,टी.वी. आदि की जांच की गई तथा 630 मामले अनुकूल पाए गए।

(v) **राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 2 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केन्द्र/क्लीनिक, 37 क्षयरोग युनिट और 142 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र जिनमें 721 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत थे। वर्ष 2001-2002 के दौरान दिसम्बर 2001 तक 7749 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 38,401 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई।

(vi) **अन्धता निवारण राष्ट्रीय कार्यक्रम:-** वर्ष 2001-2002 मे 18,100 कैटरेक्ट आप्रेशन करने का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर 2001 तक 9906 कैटरैक्ट आप्रेशन किए गए । इस वर्ष स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(vii) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:-** राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 2001 तक क्रमश: 14,373 बन्धयाकरण तथा 22,180 लूप

निवेश किए गए।

(viii) **शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम:-** हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों, तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा मौरबिडिटी को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य विमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू घनुष्टकार नीयो-नाटल, टैटनस, पोलियोयीलिटिस तथा खसरा में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

सारणी 10.1

मद	लक्ष्य 2001-2002	उपलब्धियां 2001 दिसम्बर तक
1. टी.टी.(गर्भवतीमाताएं)	1,64,930	1,00,086
2. डी.पी.टी.	1,40,650	95,696
3. पोलियो	1,40,650	95,527
4. डी.पी.टी.बुस्टर	--	83,364
5. पोलियो बुस्टर	--	83,583
6. बी.सी.जी.	1,40,650	1,00,918
7. मीजंल	1,40,650	98,025
8. डी.टी. 5-6 वर्ष	--	1,15,076
9. टी.टी.10 वर्ष	--	97,887
10. टी.टी.16 वर्ष	--	69,518
11 माताओं को आयर्न, फोलिक एसिड	1,64,930	2,33,077
12.विटामिन "ए" पहली खुराक	1,40,650	94,883
13.विटामिन "ए" दूसरी खुराक	--	82,869

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुन: चलाया गया। अभियान को कुल दो चरणों 2.12.2001 और 20.1.2002 में पूरा किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 0-5 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले चरण के अभियान में 6,89,386

बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलाई गई।

(ix) **राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनत्तम अव्यवस्था नियन्त्रण कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में आयोडीन की कमी के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में लोगो को जागरुक करवाना है। नवम्बर,2001 तक इस वर्ष नमक के 77,991 नमूनों की जांच की गई।

(x) **राष्ट्रीय एडस् नियंत्रण कार्यक्रम:-** यह कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1992 से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रुप में चलाया गया है। दिसम्बर 2001, तक 30,849 जांच किए व्यक्तियों में से 339 एच0आई0वी0 के अनुकूल मामले पाए गए जिसमें 91 एडस् मामले भी शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना तथ विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य एडस नियंत्रण सोसाइटी का गठन किया गया है।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

10.14 स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान निदेशालय विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान तरीकों तथा उनकी उपलब्धियों की समीक्षा कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए वर्ष 1996-97 में स्थापित किया गया। इस समय प्रदेश में दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय; इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, तथा डाक्टर राजिन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा तथा एक सरकारी दन्त महाविद्यालय, शिमला के अतिरिक्त नालागढ़, सोलन तथा सुन्दरनगर में तीन प्राइवेट दन्त महाविद्यालय कार्यरत है।

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय: यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है जिसमें प्रति वर्ष 65 विद्यार्थियों को मैडीसन में स्नातक तथा 53 विद्यार्थियों को स्नात्कोत्तर डिप्लोमा/डिग्री में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस महाविद्यालय में 32 विभाग है जिनमें शल्य चिक्तिसा में विशेषज्ञता, कारडिओलोजी, नयूरोलोजी, यूरोलोजी तथा गैसटीनट्रोलोजी इत्यादि सम्मिलित है। इन्दिरा गांधी चिकित्सालय तथा कमला नेहरू चिकित्सालय प्रशिक्षण व पढ़ाई के लिए इसके साथ जुड़े है। यहां दिन रात अपघात विभाग व कार्डिक यूनिट, ब्लड बैक एवं प्रयोगशाला प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भारत के उन महाविद्यालयों में से है जिनके पास फाईवर ओपटिक इन्डोस्कोपी, सी.टी.स्कैन तथा क्लोज हृदय शल्य चिकित्सा की सुविधा है। इसके अतिरिक्त कैंसर रोगियों के उपचार हेतु एक क्षेत्रीय कैंसर केंद्र भी उपलब्ध हैं। यहां पेस मेकर को लगाने की सुविधा भी प्राप्त है और रेडियोथ्रेपी की सेवाएं कैंसर रोगियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(ख)डाक्टर राजिन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा :- काँगड़ा जिला में वर्ष 1998-99 में टाँडा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ने कार्य करना शुरु कर दिया है तथा इस संस्थान में 50 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है। इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 32 विभाग है तथा इसे 350 बिस्तरों वाले धर्मशाला चिकित्सालय से जोड़ा गया है।

(ग)दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय :- वर्ष 1994-95 के दौरान एक दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में शुरु किया गया। इस महाविद्यालय में 20 बी.डी.एस. प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है। दन्त महाविद्यालय में स्नातकोतर कक्षाएं शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह महाविद्यालय राज्य की हमेशा से दन्त-चिकित्सकों तथा दन्त-पैरामेडिकल स्टाफ की मांग को पूरा करने तथा लोगों को बेहतर एवं आधुनिक दन्त-चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खोला गया। चालू वित्त वर्ष से दन्त रोगियों को अन्तरंग सुविधांए भी प्राप्त करवाई जा रही है।

आयुर्वेद

10.15 हिमाचल प्रदेश में जनता को भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथिक द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल, 2 वृत अस्पताल, 3 जनजातीय अस्पताल, 8 जिला अस्पताल, 1 प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र 1,112 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र 7 दस/बीस बिस्तरों वाले अस्पताल, 3 युनानी स्वास्थ्य केन्द्र 14 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 4 आमची कलिनिक कार्यरत हैं। वर्ष 2001 में इन संस्थाओं में 60037 अन्तरंग व 38,52,540 बाह्य रोगियों का ईलाज किया गया। वर्ष 2001 में विभाग द्वारा 23 नि:शुल्क शिविर लगाए गए जिनमें मरीजों को नि:शुल्क दवाईयां दी गई। विभाग के अन्तर्गत 2 आयुवेर्दिक फार्मेसियां कार्यरत हैं जिनमें से एक जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी तथा दूसरी माजरा जिला सिरमौर में स्थित है। यह फार्मेसियाँ औषधियों का निर्माण करती हैं जिनसे विभाग की संस्थाओं को दवाईयां प्राप्त होती हैं। आयुर्वैदिक फार्मेसियों के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार को एक 3.00 करोड़ रूपये का योजना प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें से 91.02 लाख रूपये की राशि वर्ष 2001-2002 में आयुर्वैदिक फार्मेसी जोगिन्द्रनगर के लिए स्वीकृत हुई हैं। कांगड़ा जिले के पपरोला में बी.ए.एम.एस. उपाधियों और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी कार्य कर रहा है जिसकी क्षमता 50 विद्यार्थी प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय में काय-चिकित्सा और शल्य तन्त्र की स्नात्कोत्तर श्रेणी भी शुरु कर दी है।

जड़ी बूटियों के स्त्रोंतों का विकास

10.16 राज्य में दवाईयां बनाने के लिए पर्याप्त जड़ी बूटियां हैं। इन्हें गलत तरीकों से निकालने के कारण कई प्रजातियां समाप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। इसे बचाने व सुरक्षित रखने के लिए

विभाग ने विभिन्न् कृषि जलवायु क्षेत्रों में जड़ी बूटियों के उद्यान लगाए हैं जैसे कि:-

(क)जड़ी बूटी उद्यान जोगिन्द्रनगर

यह उद्यान लगभग 25 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया गया है। जहां 225 से भी अधिक किस्मों की विभिन्न जड़ीबूटियां हैं। कृषि तकनीकी द्वारा पांच चयनित प्रजातियों के विकास के लिए भारत सरकार से 16.38 लाख रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।

(ख)जड़ी बूटी उद्यान नेरी (हमीरपुर)

यह उद्यान लगभग 28 एकड़ क्षेत्र में लगाया जा रहा है। और 10 एकड़ क्षेत्र नर्सरी उगाने के लिए विकसित किया जा चुका है। भारत सरकार से इस उद्यान हेतु 8.00 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 5.06 लाख रूपये का प्रावधान राज्य बजट में है।

(ग)जड़ी बूटी उद्यान दुग्रेदा (रोहड़ू)

इस उद्यान को लगाने हेतू 35 बीघा जमीन ले ली गई है। लगभग् 3 से 5 बीघे तक को पौधरोपण हेतु विकसित किया जा चुका है जहां 11,000 पौधों को पौली बैग में रखा जा चुका है।

(घ)जड़ी बूटी उद्यान जंगल झलेरा(बिलासपुर)

यह उद्यान 5 हैक्टेयर भूमि में लगाया जा रहा है जिसके विकास के लिए भारत सरकार ने 5.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर दी है।

औषधीयुक्त पौधों की पैदावार कटाई उनको एकत्र करने व विपणन सम्बन्धी वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा कई किसान प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किये गए हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवता के नियंत्रण हेतू जोगिन्द्रनगर में एक औषधी जांच प्रयोगशाला भी कार्यरत है।

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.17 समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं वेसहारा, शारीरिक रुप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करना है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

समाज कल्याण

10.18 इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को पैंशन दी जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं तथा उनकी वार्षिक आय 6,000

रुपये से अधिक नहीं हैं। यह पैंशन 150 रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है । अपंग व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और उनको यह पैंशन अपंग राहत भत्ते के रुप में दी जाती हैं । इसी प्रकार विधवाओं को भी इस पैंशन की प्राप्ति के लिए कोई आयु सीमा नहीं है । प्रदेश में इस प्रकार के पैंशनरों की संख्या 1,69,693 है । इसके अतिरिक्त लगभग 1,948 कुष्ठ रोगी व्यक्तियों को 170 रुपये प्रति मास की दर से पुनर्वास भत्ता दिया जाता रहा है। वर्ष 2001-2002 के दौरान वृद्धावस्था, विधवा और अपंग व्यक्तियों के लिए 33 .72 करोड़ रुपए तथा कुष्ठ रोगियों के लिए 34.80 लाख रुपये का बजट प्रावधान था। राष्ट्रीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत ऐसे बृद्ध व्यक्तियों को पैंशन दी जा रही है जिनकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक है तथा जिनकी देखभाल करने वाला कोई न हो, इन व्यक्तियों को 150 रुपये प्रतिमाह की दर से पैंशन दी गई। इस योजना के अंतर्गत 75 रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा 75 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 25,272 बृद्धों को लाभान्वित किया गया।

बाल कल्याण

10.19 अनाथ, अर्ध-अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों को चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संघों द्वारा सराहन, सुन्नी, दुर्गापुर टुटीकण्डी,(शिमला), रॉकवुड (शिमला), कुल्लू, टिस्सा, भरमौर (चम्बा) ढल्ली, कल्पा, शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर और चम्बा में बाल/बालिका आश्रम चलाए जा रहे हैं । परागपुर कांगड़ा मशोवरा (शिमला) में बालिका आश्रम तथा सुजानपुर (हमीरपुर), और टुटीकण्डी (शिमला) में बाल आश्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोहड़ू (शिमला), केलाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रम शुरु किए गए हैं। इन आश्रमों में रहने वालों को निःशुल्क खाने-पीने तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। प्रवासियों को आश्रम छोड़ने पर स्वंय रोजगार तथा पुर्नवास के लिए 6,000 रुपये की सहायता तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। सुन्दरनगर में किशोर न्याय अधिनियम एक्ट, के अन्तर्गत निराश्रित/ उपेक्षित बच्चों के लिए स्थापित एक किशोर गृह भी कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त हरोली (ऊना) में एक विशेष स्कूल प्रेक्षण-कम-होम भी कार्यरत है । मानसिक रुप से अविकसित बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु सरकारी खर्चे पर प्रेम आश्रम ऊना में दाखिल किया जाता है। फोस्टर केयर सर्विस योजना के अंतर्गत उपेक्षित बच्चों को अगर कोई दम्पति गोद लेना चाहे तो विभाग ऐसे दम्पति को बच्चों के पालन-पोषण के लिए 100 रुपए प्रतिमाह की दर से सहायता देता है।

महिला कल्याण

10.20 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं:-

(क) **नारी सेवा सदन:-** निराश्रित और राह भटकी लड़कियों के लिए चम्बा, मण्डी, मशोबरा (शिमल्ला) कांगड़ा, बिलासपुर और कल्पा में विभाग द्वारा नारी सेवा सदन चलाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त नाहन में एक नारी सेवा सदन भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है । इन सदनों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा

प्रवास की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कटाई, सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी स्त्रियों को सदन छोड़ने पर पुनर्वास के लिए 6 हजार रुपये तक की प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2001-2002 के लिए पुनर्वास योजना के अंतर्गत 34.32 लाख रुपये का बजट प्रावधान था। दिसम्बर,2001 तक 16.68 लाख रूपये खर्च किए गए तथा 37 महिलाओं और 5 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

(ख) **कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास.-** नगरों में कार्यरत महिलाओं को आवास की सुविधा सुलभ करवाने के उद्देश्य से विभाग ने 13 कार्यरत महिला छात्रावासों का निर्माण किया । यह छात्रावास स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय सरकार के 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार के 25 प्रतिशत अनुदान से निर्मित किए गए हैं।

(ग) **बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए अनुदान.-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी लड़कियों को या उनके माता- पिता को जिनकी वार्षिक आय 7,500 रुपये से अधिक न हो, 2,500 रुपये प्रति लड़की शादी के लिए अनुदान के रुप में दिये जाते हैं । वर्ष 2001-2002 में इस उद्देश्य के लिए 10.21 लाख रुपयों का प्रावधान था और दिसम्बर,2001 तक 8.25 लाख रुपये खर्च किए जा चुके है जिससे लगभग 329 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

(घ) **महिला विकास निगम:-** प्रदेश में महिलाओं को विभिन्न व्यापार /व्यवसाय हेतु वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिए एक महिला विकास निगम की स्थापना की गई है जिसके लिए वर्ष 2001-2002 में 30.01 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

अपंग कल्याण

10.21 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें विभाग द्वारा चलाई जा रही है:-

(क) **कृत्रिम अंग सहायता :-** इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 4.10 लाख रुपये की राशि रखी गई है। जिनकी मासिक आय 1,200 रुपये तक हो उन्हें कृत्रिम अंग लगवाने हेतु पूरी राशि दी जाती है तथा 1,201 से 2,500 रुपए तक की मासिक आय वाले को आधी कीमत अनुदान के रुप में दी जाती है। दिसम्बर ,2001 तक इस योजना के अन्तर्गत 0.15 लाख रूपये व्यय किए गए जिससे 2 व्यक्तियों को लाभन्वित किया गया।

(ख) **अपंग छात्रवृति :-** इसका मुख्य उद्देश्य अपंग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा इसके अंतर्गत इन बच्चों को छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 2001-2002 में 10.3 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है और 515 अपंग बच्चों को 8.14 लाख रुपये की सहायता दिसम्बर,2001 तक

दी गई।

(ग) **अपंग विवाह अनुदान** :- इस योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से अपंग लड़के या लड़की के विवाह करने पर प्रोत्साहन के रुप में 5,000 रुपये की राशी दी जाती है। वर्ष 2001-2002 में इस योजना के अंतर्गत 10.40 लाख रुपये रखे गए है और दिसम्बर 2001 तक 7.38 लाख रुपये खर्च करके 148 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(घ) **अपंगों के लिए स्वंय रोजगार योजना** :- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए 5.84 लाख रुपये का बजट प्रावधान है दिसम्बर 2001 तक 1.88 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 75 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जाति/ जन-जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

10.22 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:-

(क). **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन.-** इसके अर्न्तगत अर्न्तजातीय विवाह के लिए 25,000 रुपये प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते है। वर्ष 2001-2002 में इस योजना के अन्तर्गत 18.50 लाख रुपए रखे गए हैं और लगभग 69 दम्पतियों को दिसम्बर2001 तक 17.25 लाख रुपये खर्च करके लाभ पहुंचाया जा चुका है।

(ख) **गृह अनुदान:-** इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को बर्फीले क्षेत्रों में प्रति परिवार 10,000 रुपये का अनुदान और अन्य क्षेत्रों में 8,000 रूपये आवास निर्माण के लिए दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन जाति के सदस्यों को उपरोक्त राशि का 50 प्रतिशत घर की मुरम्मत के लिए दिया जाता है। वर्ष 2001-2002 में 95.00 लाख रुपये रखे गए है और लगभग 1426 व्यक्तियों को दिसम्बर 2001 तक 83.29 लाख रुपये खर्च करके लाभान्वित किया जा चुका है।

(ग) **हरिजन बस्तियों व उनमें रहने की सुविधाओं में सुधार:-** इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हों व अनुसूचित जाति के लोग अधिक हों के लिए छोटी पेयजल योजना के अंतगर्त कुंआ/ बावड़ी का निर्माण किया जाता है जो कि जन-स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के द्वारा लाभान्वित नहीं होते हैं । वर्ष 2001-2002 में इस योजना के अंतर्गत 6.00 लाख रुपये रखे गए और लगभग 19 हरिजन बस्तियों को लाभान्वित किया गया है जिसपर दिसम्बर2001 तक 7.85 लाख रुपए की राशी खर्च की गई।

(घ) **टाईप व शोर्टहैण्ड में निपुणता.-** इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को विभिन

कार्यालयों में नियुक्त करके प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपनी निपुणता को कायम रख सकें। वर्ष 2001-2002 में इस योजना के अंतर्गत 2.08 लाख रुपये का बजट प्रावधान है और दिसम्बर 2001 तक 0.36 लाख रुपए खर्च किए गए जिससे 16 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ङ.) **अनुसूचित जाति परिवारों को राहत जो अत्याचारों से पीड़ित हैं:-** इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन पर जातीय आधार पर अन्य परिवारों द्वारा अत्याचार किये गए हों। वर्ष 2001-2002 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 6.50 लाख रुपए रखे गए गए हैं। दिसम्बर 2001 तक 3.48 लाख रूपये खर्च कर 11 लोगों को लाभन्वित किया गया।

(च) **अनुवर्ती कार्यक्रम** :- इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों को 800 रुपये की कीमत तक के औजार तथा उपकरण दिए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 में इसके लिए 16.73 लाख रुपये रखे गए हैं और दिसम्बर 2001 तक 11.39 लाख रुपये खर्च किए गए जिससे 1580 लोग लाभन्वित हुए।

(छ) **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम:-** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम की स्थापना की गई है। यह निगम बैंकों की सहायता से अनेक उद्धार कार्यक्रम चला रहा है और वर्ष 2001-2002 में इस योजना के अन्तर्गत 308 लाख रुपये रखे गए हैं तथा 31 दिसम्बर 2001 तक 76.00 लाख रूपये खर्च किए गए।

पेयजल

10.23 राज्य के समस्त गांवों को मार्च, 1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल योजनाओं पर अंतिम / युक्तियुक्त सर्वेक्षण के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कुल 45,367 बस्तियां हैं। 1.4.2001 तक 32,116 बस्तियों को पूर्ण रुप से यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई और 11,658 को आंशिक रुप में एवं 1,593 बस्तियों को यह सुविधा उपलब्ध करवानी शेष हैं। आंशिक रूप में सुविधा प्राप्त बस्तियों तथा जिन बस्तियों को यह सुविधा प्रदान करवानी शेष है सरकार उन बस्तियों को सुविधा प्रदान करवाने के लिए उच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2001-2002 में 400 बस्तियों को राज्य भाग के रुप में एवं 1450 बस्तियों को केन्द्रीय भाग के रुप में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके लिए राज्य एवं केन्द्रीय परिव्यय का भाग क्रमश: 7,357.10 लाख एवं 5,552.00 लाख रुपए रखा गया। इनमें से दिसम्बर 2001 तक राज्य भाग के रुप में 6,009.14 लाख रुपए खर्च करके 397 बस्तियों में एवं केन्द्रीय भाग के रुप में 2784.96 लाख रुपए परिव्यय करके 699 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2001-2002 में 730 हैण्डपम्प 1218 लाख रुपए के परिव्यय द्वारा लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इन लक्ष्यों के अंतर्गत दिसम्बर 2001 तक 814 हैण्डपम्प पर 1164.00 लाख रुपए व्यय किए जा चुके थे। प्रदेश के सभी शहरों में पेयजल योजनाओं की सुविधा उपलब्ध है परन्तु इन शहरों की पेयजल योजनाएं बहुत पुरानी है जिनका सम्बर्धन, नवीकरण एवं विस्तार आवश्यक है। वर्ष 2001-2002 में 41 शहरों का बजट में

प्रावधान रखा गया जिसके लिए 1,067.61 लाख रुपए बजट में परिव्यय करने का लक्ष्य रखा गया था इनमें से नवम्बर 2001 तक 693.42 लाख रुपए परिव्यय किए जा चुके थे।

मल प्रवाह

10.24 वर्ष 2001-2002 में 34 शहरों के लिए जहां पानी की प्रचूर मात्रा उपलब्ध है मलप्रवाह सुविधा के लिए बजट प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2001-2002 के 3,312 लाख रूपए के कुल उदव्यय में से नवम्बर 2001 तक 1250.06 लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं। शिमला मल-प्रवाह परियोजना इन्टरनल डवैलपमैंट वियन्ना, आस्ट्रिया द्वारा ओ.पी.ई.सी. फंड की सहायता से चलाई जा रही है। इस परियोजना का वास्तविक व्यय 54.80 करोड़ रूपए है। कार्य प्रगति के अन्तिम चरण में है। मलप्रवाह व्यवहार प्लांटो का 6 स्थानों पर निर्माण किया जा रहा है। मार्च,2001 तक इस योजना पर 27.97 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं तथा वर्ष 2001-2002 में नवम्बर 2001 तक 9.08 करोड़ रूपये और व्यय किए गए हैं।

11. स्थानीय निकाय

शहरी विकास

11.1 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरुप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एंव क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ गए है। नगर निगम, शिमला समेत प्रदेश में 53 शहरी स्थानीय निकाय है तथा वर्ष के दौरान चार नई नगर पंचायतें बैजनाथ-पपरोला, ढली, टूटू और न्यू शिमला भी बनाई गई हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशी प्रदान कर रही है। शहरी स्थानीय निकायों के आय के साधन सीमित होने की बजह से सरकार वर्ष 2001-2002 में इन निकायों को 2397.13 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशी प्रदान कर रही है।

11.2 प्रथम राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरुप इन निकायों को 1991 की जनसंख्या के आधार पर सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है । वर्ष 1982 में शहरी स्थानीय निकायों में चुंगी समाप्ति के उपरान्त जो निकाय चुंगी लिया करते थे उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो गयी थी। क्योंकि उस समय चुंगी ही उनकी आय का मुख्य स्त्रोत था। इसलिए प्रथम राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2001-2002 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को 1787.81 लाख रुपये चुंगी अनुदान के रुप में प्रदान किये जा रहे है जिसमें से 31.12.2001 तक 1340.85 लाख रूपये दिये जा चुके है। ग्यारहवें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार जलआपूर्ति एंव स्वच्छता बनाये रखने हेतु 77.77 लाख रुपये इन निकायों को अनुदान के रुप में प्रदान किये जा रहे है जिसमें से 58.38 लाख रूपये 31.12.2001 तक सभी शहरी निकायों को दिए जा चुके हैं।

11.3 शहरी मलीन बस्ती पर्यावरण सुधार एवं राष्ट्रीय झुगी झौंपड़ी विकास योजना के अन्तर्गत 113.00 लाख रुपये सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किये जा रहे है जिससे 14,125 व्यक्ति लाभन्वित होगें। इस योजना के लिए 31.12.2001 तक 82.50 लाख रूपये दिये जा चुके है जिससे 1,030 लोग लाभान्वित हो चुके है।

11.4 इस समय शहरी स्थानीय निकायों में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना " एंव " छोटे व मध्यम वर्गीय शहरों का एकीकृत विकास" चलाई जा रही है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को इस योजना में स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 11,739 परिवारों का चयन किया गया है। वर्ष 2001-2002 में इस योजना के लिए 100.00 लाख रूपये का प्रावधान है और 31.12.2001 तक 25.55 लाख रूपये दिये जा चुके है तथा 84 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।

11.5 नार्वे सरकार की सहायता से नौराड परियोजना के अन्तर्गत कूड़ा कचरा के प्रबन्धन के लिए परियोजना कार्यरत है। इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में

188.55 लाख रुपये की राशि नगर निगम शिमला, जिला परिष्द कुल्लू तथा नगर पंचायत मनाली को कूड़ा कचरा से पैदा होने वाली कठिनाईयों में सुधार लाने के दृष्टिगत दी जा रही है जिस में से 31.12.2001 तक 141.42 लाख रूपये दिये जा चुके है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 01.01.1999 से पोलीथीन के पुन: चक्रित लिफाफों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।

11.6 छोटे व मध्यम वर्गीय शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 तक 12 शहरों क्रमश: ऊना, नाहन, मण्डी, हमीरपुर रामपुर धर्मशाला, चम्बा, सोलन, ठियोग, कुल्लू, पालमपुर तथा नालागढ़ को लाया जा चुका है तथा वर्ष 2001-2002 में पांवटा, बिलासपुर ज्वालामुखी, सुन्दरनगर कोटखाई, बद्दी, मनाली, नारकण्डा और नुरपूर को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करने पर इस योजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 में 100.00 लाख रुपए का प्रावधान है ।

12. ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज

ग्रामीण विकास

12.1 ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। वर्ष 2001-2002 में निम्नलिखित राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यरत रहे।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

12.2 **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना** प्रदेश में वर्ष 1999-2000 से चलाई गई है। यह योजना एक होलिस्टिक पैकेज है जिसमें स्वरोजगार के पहलुओं जैसे स्व सहायता ग्रुपों में गरीबों का संगठन, प्रशिक्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा संरचना इत्यादि को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले लाभ भोगी परिवारों को स्वरोजगारी कहा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पांच वर्षों 1999-2000 से 2003-2004 में प्रत्येक विकास खंड में 30 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना है। एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य 3 वर्षों में गरीब परिवारों को आय देने वाले उपकरण प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह योजना उधार व उपदान कार्यक्रम का समायोजन है। एस.जी.एस.वाई योजना के अन्तर्गत उपदान सहायता समान रुप से परियोजना कीमत का 30 प्रतिशत है जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति /अनूसूचित जन जाति परिवारों को 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000 रुपये उपदान के रुप में रखे गये है। स्वरोजगार परिवारों को योजना कीमत का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 1.25 लाख रुपयें उपदान के रुप में दिए जाएगें। एस.जी.एस.वाई. स्कीम गरीब परिवारों में से अति संवेदनशील परिवारों पर केन्द्रित की गई है। स्वरोजगार स्कीम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग लाभान्वित होगें। इस योजना का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75: 25 अनुपात के आधार पर वहन किया जाएगा।

12.3 वर्ष 2001 में 2,103 स्वः सहायता ग्रुप बनाए गए जिनमें से 370 ग्रूप, जिनके सदस्य 3,650 गरीबी रेखा से नीचे के हैं ने आर्थिक कार्यकलाप का काम शुरू किया है इन ग्रुपों को दिसम्बर 2001 तक 265.32 लाख रूपए सहायता अनुदान तथा 668.49 लाख रूपए ऋण के रूप में वितरित किए। इसके अतिरिक्त 2,194 व्यक्तिगत स्वरोजगारों को एस.जी.एस.वाई के अन्तर्गत सहायता दी गई तथा इन स्वरोजगारों को 148.41 लाख रूपए सहायता अनुदान तथा 608.08 लाख रूपए ऋण के रूप में दिए गए।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाएं

हाईड्रैमों की स्थापना

12.4 भारत सरकार ने स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष घटक के अन्तर्गत प्रदेश में 400 हाईड्रैमों की स्थापना की परियोजना को स्वीकृति दी है जिसकी कुल लागत 1047.20 लाख रूपये है जिसमें 770.48 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 161.40 लाख रूपये ऋण के रूप में तथा 115.32 लाख रूपये लाभार्थी अंश के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। दिसम्बर 2001 तक इस परियोजना के अधीन 215 स्थलों का चयन किया जा चुका है तथा 151 हाईड्रैम प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनमें से 10 हाईड्रैमों की स्थापना हो चुकी हैं तथा 18 हाईड्रैमों की स्थापना का कार्य चल रहा है। इन हाईड्रैमों की स्थापना पर 160.39 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

गोल्ड माईन्ज परियोजना

12.5 भारत सरकार द्वारा जिला बिलासपुर के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 840.35 लाख रूपये की लागत से एक 'गोल्ड माईन्ज' नामक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 327.76 लाख रूपये उपदान के रूप में तथा 512.59 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस परियोजना के अधीन तीन मुख्य गतिविधियां ; पुष्प उत्पादन, रेशम उत्पादन तथा खुम्ब उत्पादन सम्मिलित हैं। वर्ष 2001-2002 मे दिसम्बर 2001 तक 54.68 लाख रूपये इस योजना पर व्यय किए जा चुके हैं।

ग्रामीण वस्तुओं का विपणन

12.6 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस योजना की कुल लागत 914.52 लाख रूपये है जिसमें 769.52 लाख रूपये उपदान के रूप में तथ 145.00 लाख रूपये ऋण के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जानी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 50 हिमाचल ग्रामीण भण्डारों तथा 1 केन्द्रीय ग्रामीण भण्डार का निर्माण किया जाएगा। दिसम्बर 2001 तक इन भण्डारों के निर्माण के लिए 29 स्थलों का चयन किया जा चुका है तथा 21 स्थलों की निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और 12 स्थलों का निर्माण कार्य ठेकेदारों को सौंप दिया गया है। इन भण्डारों के निर्माण कार्य के लिए 384.76 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

मिल्व लाइव स्टॉक इम्प्रुवमैन्ट

12.7 भारत सरकार ने जिला सोलन के लिए 886.95 लाख रूपये की लागत से एक 'मिल्व लाइव स्टॉक इम्प्रुवमैंट' योजना स्वीकृत की है जिसमें 715.15 लाख रूपये उपदान के रूप में, 171.80 लाख रूपये ऋण के रूप में तथा 156.08 लाख रूपये लाभार्थी अंश के रूप में सम्मिलित हैं। उपदान की राशि को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

इस परियोजना के अधीन दुग्ध उत्पादन गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। अभी तक इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतू डी.आर. डी.ए. सोलन को 285.95 लाख रूपये उपलबध करवाए जा चुके हैं।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

12.8 जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से शुरु की गई है। यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75: 25 के अनुपात से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर अचल सम्पति की स्थापना करना , अनुसूचित जाति/ जनजातियों के रोजगार के लिए उत्पादक सम्पति तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना है। वर्ष 2001-02 में जवाहर रोजगार योजना/ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत 11.74 लाख श्रम दिवस के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 2001 तक 7.90 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए तथा 657.69 लाख रुपये व्यय किए गए।

रोजगार आश्वासन योजना

12.9 यह योजना प्रदेश के सभी विकास खण्डों में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों को जब मजदूरी के अवसरों का अभाव हो उन दिनों अतिरिक्त श्रम रोजगार के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त निरन्तर रोजगार व विकास हेतु स्थिर व टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्पदा का सृजन करना है। रोजगार देते समय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा जोखिम भरे कामों से हटाए गए बाल मजदूरों के माता-पिता को प्राथमिकता दी जायेगी। यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में चलाई जा रही है। रोजगार आश्वासन योजना द्वारा दिसम्बर 2001 तक 8.20 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गए तथा 550.51 लाख रूपए व्यय किए गए।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

12.10 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को 11,549 टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ (सामान्य आवंटन 5000 टन तथा अतिरिक्त आवंटन 6549 टन) । इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने के लिए भारत सरकार ने डी.आर डी. ए. को 652.49 लाख रूपये जारी किए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान नकद व वस्तुरूप में किया जाता है। नवम्बर 2001 तक 5069.12 मी. टन अनाज बांटा गया तथा 16.06 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गए।

इन्दिरा आवास योजना

12.11 इन्दिरा आवास योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को 22000 रुपये प्रति परिवार नये मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। लाभार्थियों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात

से इस योजना पर व्यय करेगी। वित्त वर्ष 1999-2000 से बी.पी.एल. परिवारों को कच्चे मकानों को अर्ध पक्के/पक्के मकानों में परिवर्तित करने के लिए 10,000 रूपए की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2001 में 2,457 नए मकानों के निर्माण तथा 1,352 कच्चे मकानों को अर्ध पक्के/ पक्के मकानों में बदलने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 2001 तक 442.25 लाख रुपए की लागत से 1,078 नए मकान बनाए गए तथा 527 कच्चे मकान अर्ध पक्के/ पक्के मकानों में परिवर्तित किए गए हैं।

पुनःसंरचित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)

12.12 पुन: संरचित केन्द्रीय ग्रामीण शौचालय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 80 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम राशि 500 रुपए तक होगी, प्रत्येक शौचालय बनाने के लिए, स्कूल शौचालय के लिए, अन्य परिवारों की स्वंय सुविधा बनाने हेतू प्रेरित करने, गहन जागृति अभियान चलाने, केवल महिलाओं के लिए शौचालय परिसर बनाने तथा गांवो में पूर्ण स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए दिए गए। भारत सरकार और राज्य सरकार इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न तरीकों से विभिन्न घटकों के लिए धन सृजित कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों के लिए दिसम्बर 2001 तक 27 शौचालय बनाने के लिए 43.92 लाख रुपए व्यय किए गए। 14 शौचालय महिला कम्पलैक्सों में, 18 शौचालय स्वास्थ्य संस्थाओं में तथा 264 शौचालय शिक्षा संस्थानों में बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम

12.13 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र परिवारों/व्यक्तियों को निम्निलिखित तीन घटकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2001 तक 150 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मास की दर से 22,762 व्यक्तियों को 113.38 लाख रुपए वृद्धवस्था पैंशन के रुप में दिए गए।

(2) राष्ट्रीय प्रसूति सहायता योजना

राष्ट्रीय प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गर्भवती महिला जिसके दो बच्चे जीवित हो को 500 रुपए प्रति लाभार्थी एक ही किश्त में दिए जाते है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2001 तक 1,858 ऐसी महिलाओं को 9.71 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

(3) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को रोजी कमाने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए तो शोक संतप्त परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। दिसम्बर 2001 तक इस योजनां के अन्तर्गत 498 ऐसे परिवारों को 50.19 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रुप में दिए गए।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

12.14 यह कार्यक्रम मूलरुप से क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य के 9 विकास खण्डों में चलाए जा रहे वाटर शैड विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राकृतिक स्त्रोतों जैसे भूमि, पानी तथा वैजीटेशन इत्यादि का एकीकृत विकास करना है। वर्ष 1998-99 तक यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात से चलाया जा रहा था परन्तु 1.4.1999 से भारत सरकार ने इसे बदल कर 75:25 के अनुपात से कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत पांच वर्षो के लिए बिलासपुर, सोलन तथा ऊना में 148 वाटरशैडस विकसित करने का प्रावधान है। प्रचलित वित्त वर्ष में सोलन, बिलासपुर तथा ऊना जिले के लिए 36 अतिरिक्त वाटरशैडस स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए इन जिलों को भारत सरकार ने 121.50 लाख रुपये दिए हैं। सितम्बर,2001 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 107.39 लाख रुपए व्यय किये जा चुके हैं तथा 2575 हैक्टेयर भूमि इसके अन्तर्गत लाई गई है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

12.15 मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन्नौर व लाहौल-स्पिति जिले के 203 वाटरशैडस विकसित करने का प्रावधान हैं। प्रचलित वित्त वर्ष में भारत सरकार ने लाहौल-स्पिति जिले के लिए 80 अतिरिक्त वाटरशैडस तथा किन्नौर जिले के लिए 35 स्वीकृत किए है जिसके लिए जिले को 360.00 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। चालू वर्ष के अन्तर्गत सितम्बर,2001 तक इस कार्यक्रम पर 351.29 लाख रुपए व्यय किये जा चुके हैं तथा 2716 हैक्टेयर भूमि इसके अन्तर्गत लाई गई हैं।

एकीकृत वेस्टलैंड विकास परियोजना

12.16 एकीकृत वैस्टलैंड विकास परियोजना बिलासपुर ऊना तथा लाहौल-स्पिति जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में चलाई जा रही है। इस परियोजना पर 1.4.2000 से पहले शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा था। 1.4.2000 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं पर व्यय केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार क्रमशः 91.67 प्रतिशत तथा 8.33 प्रतिशत वहन करेगी। चालू वर्ष् के दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने 444.53 लाख रूपये इस योजना के लिए जिलों को जारी किए । सितम्बर,2001 तक 303.95 लाख रूपये खर्च किए गए तथा 6596 हैक्टेयर भूमि की इसके अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत मण्डी, कुल्लू तथ सिरमौर जिले के लिए क्रमशः 363.42 लाख, 477.12 लाख तथा 360.00 लाख रूपये की नई योजनाएं स्वीकृत की हैं। केन्द्र सरकार ने अभी तक इन जिलों के लिए 165.07 लाख रूपये की राशि जारी की हैं।

पंचायती राज

12.17 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 75 पंचायत समितियां तथा 3037 ग्राम पंचायतें हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा हिमाचल प्रेदश पंचायती राज अधिनियम,1994 के अन्तर्गत राज्य सरकार के 15 विभागों से सम्बन्धित कार्य, शक्तियां तथा उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थानों को हस्तान्तरित किए गए हैं। पंचायतों को विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे पाठशाला कमरों का निर्माण, रास्ते, सिचांई तथा पेयजल योजना तथा नालियों का निर्माण इत्यादि सौंपे गए हैं। जिसके लिए पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक कार्य सौंपे हैं जिनमें प्राथमिक पाठशलाओं में ग्राम विद्या उपासक की नियुक्ति, पंचायत सहायक, सिलाई अध्यापिका, तकनीकी सहायक, पंचायत चौकीदार आंगन-बाड़ी कार्यकर्त्ता, आंगन-बाड़ी सहायक, प्राथमिक पाठशालाओं में अंशकालिक जलवाहक आदि सम्मिलित हैं। लिपिक/आशुंटकक के रिक्त पद पर अनुबन्ध के आधार पर कनिष्ठ लेखापाल की नियुक्ति का अधिकार पचांयत समिति को तथा सहायक अभियन्ता (विकास) की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिया जायेगा।

12.18 ग्राम सभाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि गृह निर्माण हेतु अनुदान, इन्दिरा आवास योजना तथा पैन्शन योजना इत्यादि के लिए लाभार्थिओं के चयन हेतू सशक्त किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को समस्त प्राथमिक पाठशाला भवनों व हैण्डपम्पों का स्वामित्व सौंपा गया है। इन भवनों के रख-रखाव /मुरम्मत की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों की होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की दरों की वसूली की शक्ति ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है तथा एकत्रित राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत निधि का भाग होगा। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू-राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी।

12.19 पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय कार्य करने होते हैं। उन्हें कार्य, शक्तियों और जिम्मेवारियों से अवगत करवाने हेतू प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचायती राज विभाग में दो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हैं जो कि बैजनाथ जिला कांगड़ा तथा मशोबरा जिला शिमला में स्थित है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) को भी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान घोषित किया गया है। यह संस्थान पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जिला परिषदों के पदाधिकारियों तथा पंचायत समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि पंचायत समिति सदस्यों को तथा ग्राम पंचायत के प्रधानों/उप प्रधानों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

12.20 पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार धन उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने तथा अपने

संसाधनों में करों द्वारा वृद्धि कर अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर कर शुल्क लगाने के अधिकार दिए गए हैं जिस हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज, अधिनियम 1994 की धारा 100 के प्रावधानानुसार कर शुल्क तथा सेवाओं की अधिकतम दरें 1.11.1999 को अधिसूचित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को उनकी आवश्यकतानुसार तथा विभिन्न एजेंसियों को मानदेय देने के लिए हर वर्ष धन उपलब्ध करवाया जाता है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति

13.1 हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 9 जून, 2001 में औपचारिक रूप से आरम्भ कर दी है जो कि 'नैसकाम' (NASSCOM) द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए तैयार किए गए 'सूचना प्रौद्योगिकी दर्शन 2010' (आई.टी.विजन-2010) में दिए गए सुझावों पर आधारित है। इस नीति दस्तावेज के अनुसार नीति का उद्देश्य होगाः- नई अंगुलक अर्थ-व्यवस्था (Digital Economy) की विकास प्रक्रिया में संलिप्त सभी की समन्वित साझेदारी के लिए एक ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना जिसके परिणामतः मानवजीवन का सुधार हो सके और पारदर्शी शासन पद्धति, सुदृढ़ संरचना व निपुण मानव संसाधनों द्वारा नवीन तकनीकियों से युक्त प्रतियोगी समाज व गतिशील अर्थ-व्यवस्था का उद्भव हो सके।

13.2 प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सूचना प्रौद्योगिकी नीति, देश के भीतर और देश के बाहर प्रख्यात उद्यमियों, अप्रवासी भारतीयों और नैसकाम के साथ की गई अनेक बैठकों का परिणाम है। नैसकाम ने पहले प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास की क्षमता आकलन हेतु एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अति उतम जलवायु, अनुकूल वातावरण, उर्जा उपलब्धता और एक सुदृढ़ संचार व्यवस्था एवं सशक्त सामाजिक और वाणिज्यिक संरचना के कारण हिमाचल प्रदेश इस उद्योग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। नीति का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए कलात्मक व गुणवतापूर्ण ढांचों का निर्माण, सकुशल श्रम की उपलब्धता में बढ़ौत्री, शासकीय कार्यों में उसका प्रयोग और राज्य में इस उद्योग के निरन्तर विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2001 के अंतर्गत प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाओं एवं शैक्षिण संस्थाओं में स्थापित की जा रही सभी परियोजनओं को उद्योग का दर्जा दिए जाने का निर्णय किया गया।

13.3 हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर-आवासीय नागरिकों को सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उद्योग स्थापित करने के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया के नियमों को उदारीकृत बना दिया है। इस नई पद्धति के अनुसार सूचना प्रौद्योगिक इकाईयों, सोफटवेयर टैक्नोलिजी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी वस्तियां तथा हाई-टैक शहरों की स्थापना हेतू प्रचलित मानक FAR में 50 प्रतिशत की रियायत दी है। अन्य स्थानों में यह छूट मामले की गुणवता को देखते हुए 25 प्रतिशत तय की गई है। आवासीय क्षेत्रों में भी कुछ load प्रतिवंधों के मध्यनजर प्रौद्योगिकी इकाईयों को लगाने की अनुमति दे दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवांए प्रदान करने वाले उद्योग/प्रतिष्ठान तथा सोफटवेयर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रम कानून में विभिन्न रियायत दी गई है, जिसमें तीन पारी प्रचलन प्रणाली में काम के घण्टों में ढील, काम के समय में ढील, अतिरिक्त समय में ढील तथा महिला श्रमिकों के काम के घण्टों में ढील इत्यादि शामिल है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिक सोप्टवेयर सेवाएं

उद्योग के लिए एक 'सेल्फ सार्टिफिकेशन स्कीम' भी आरम्भ की है। इस स्कीम के अर्न्तगत सूचना प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान जो अपेक्षित जरूरतों को पूरा करते हैं को एक ' सेल्फ सर्टिफिकेशन ' प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके अन्तर्गत उन्हें एक वर्ष तक नैत्यिक निरिक्षण आदि से छूट मिल सकेगी।

13.4 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2001 के अंतर्गत प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में वित्त विकास संस्थानों सहित हर निवेश को प्रोत्साहित करेगी और जहां कहीं आवश्यक होगा पूरा समर्थन प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार बहुमूल्य निवेश प्रस्तावों को बहुत से प्रोत्साहन देगी जिसमें ऐसी परियोजनाएं शामिल होंगी जिनकी निवेश राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक होगी या "फारचून 500 कम्पनी द्वारा" परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा होगा। 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार परियोजना की निर्माण कार्य अवधि मुख्य कार्य प्रकृति भौगोलिक स्थिति, तकनीकी स्तर, लाभ एवं आगामी सम्बन्द्ध निवेश क्षमता के अनुरूप भिन्न-भिन्न परियोजनाओं को अलग-अलग प्रोत्साहन देगी। प्रदेश सरकार ने राज्य सहकारी बैंक सिडबी (SIDBI) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 20 करोड़ रुपये का एक पूंजी कोष की स्थापना क निर्णय भी लिया है ताकि छोटे एंव मध्य दर्जे के सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमियों की निवेश आवश्यकतओं की पूर्ति की जा सके। इस नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को उत्तम गुणों वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाएगा। इस उद्योग के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार राज्य में सोलन, हमीरपुर बद्दी, परवाणु, कूल्लू, मण्डी एवं धर्मशाला में सूचना प्रौद्योगिकी बस्तियों के पनपने में पूरी सहायता करेगी। राज्य सरकार प्रदेश में 2 "ज्ञान गलियारों" बद्दी-परवाणु-सोलन-शिम्ला ज्ञान गलियारा तथा शिमला-हमीरपुर-धर्मशाला-चम्बा गलियारा की स्थापना में सहायता करेगी। इन गलियारों के माध्यम से पाठशालाओं, कालेजों और उद्योगों में उच्च स्तरीय इन्टरनेट/टेलीकाम सम्पर्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे इन गलियारों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गतिविधियों के उत्थान को भी सहायता मिलेगी। राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी ताकि इस उद्योग द्वारा वांछित जन-शक्ति स्थानीय आधार पर ही उपलब्ध हो सके। सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत स्थानीय उद्योगों जिनमें व्यापर व परिवहन सम्मिलित है के कम्पयूट्रीकरण को बढ़ावा देना और प्रदेश में हिमाचल-टैली-औषधी जाल की स्थापना पर बल दिया जाएगा। शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का मुख्य उद्धेश्य 'स्मार्ट' (SMART-Simple, Moral, Accountable Responsive and Transparent) सरकार की प्राप्ति है।

अब तक किया गया कार्य

13.5 प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुरूप प्रदेश में इस सूचना प्रौद्योगिकी के उत्थान के लिए कुछ कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई है। जिसके तीन खण्ड है (i)औद्योगिक विकास खण्ड, (ii)मानव संसाधन विकास खण्ड एंव (iii)इलैक्ट्रानिक अभिशासन खण्ड।

साफटवेयर टैक्नालोजी पार्क

13.6 प्रदेश सरकार ने भारत के साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क, सूचना प्रौद्यौगिकी मन्त्रालय, भारत सरकार के साथ शिमला में साफ्टवेयर टैक्नोलोज़ी पार्क व हाई स्पीड डाटा कनैक्टिविटी सूविधा की स्थापना की है। एक H-4 प्रकार का आई.बी.एस. अर्थ स्टेशन 3.8 M डिश के साथ शिमला में 21.7.2001 को स्थापित व प्रचालित कर दिया है जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 2360 वर्ग मीटर है। सरकार शिमला, सोलन, हमीरपुर बद्दी, परवाणू, कुल्लू, मण्डी तथा धर्मशाला में उच्च तकनीकी बस्तियों का 2002 के अन्त तक निर्माण करने का प्रयास कर रही है। अगर आवश्यकता हुई तो ऐसी ही उच्च तकनीकी बस्तियों प्रदेश के अन्य स्थानों में चरणवद्व तरीके से बना दी जाऐगी।

हाईस्पीड डाटा कनैक्टिविटि

13.7 दूर संचार विभाग द्धारा प्रदेश में दूर संचार की अति उत्तम व्यवस्था स्थापित है। प्रदेश् के सभी दूरभाष केन्द्र (एक्सचेंज) अंगुलिक हैं और एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश में आप्टिकल फाइवर तारें ही बिछाई गई हैं। प्रदेश में इन तारों की प्रति यूनिट क्षेत्र प्रवेश घनत्व देश भर में शायद सबसे अधिक है। प्रदेश के सभी जिलों में सिवाए लाहौल-स्पिति के 2 एम.बी.पी.एस. कनैक्टिविटि योग्यता है। सभी विकास खण्ड मुख्यालयों पर न्यूनतम कनैक्टिविटि 33 के.वी.पी.एस. है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र निवेश हेतु क्षेत्र चिन्हित करना

13.8 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आर्कषित करने हेतु शिमला से 25 कि.मी. दूर कालका-शिमला उच्च मार्ग पर सोलन जिले में 174 एकड सरकारी भूमि की पहचान कर ली गई है। यह भूमि आवश्यक आधारभूत सूविधाएं अर्थात सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध करवाने के बाद दे दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

13.9 यद्यपि प्रदेश में वर्तमान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, दो इंजिनियरिंग कालेजों, पांच पोलेटेक्निक, 14 आई.टी.आईज के अतिरिक्त ख्याति प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित पाठयक्रम चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार कुशल श्रम शक्ति के आधार को विस्तृत करने के लिए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष संस्थानों की स्थापना की सुविधा जुटाने में प्रयासरत है। जयप्रकाश सेवा संस्थान, शिमला से 22 कि.मी. दूर सोलन जिले के वाकनाघाट (रछ्याना) में विश्वस्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोल रहा है। यह संस्थान शिक्षा के लिए वर्कले स्थित कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा और 23 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। इस संस्थान में "स्टेट आफ दी आर्ट" सुविधा उपलब्ध होगी और यह स्नातक स्तर से नीचे एवं

स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रम तथा आवश्यकतानुसार छोटी अवधि के पाठयक्रम भी शुरू करेगा। इसका पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई 2002 से शुरू होगा। मनिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया है जिसे सिद्वांत रूप में प्रदेश ने मान लिया है।

पाठशालाओं में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

13.10 राज्य सरकार ने राज्य के कुछ चुने हुए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा शुरू कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी का यह विषय अतिरिक्त ऐच्छिक विषय के रूप में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शिक्षा वर्ष 2001-2002 से पढ़ाया जा रहा है।

इलैक्ट्रोनिक अभिशासन क्रियाक्लाप

13.11 प्रौद्यौगिकी के प्रयोग को सरकारी प्रशासन में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से समस्त राज्य एरिया नैटवर्क स्थापित करना, इ-प्रशासन के लिए कम्पयूटर पद्धति और बैबसाईट आदि को डिजाईन करना, उनका विकास व क्रियान्वयन करना, सूचना का आदान प्रदान और चुने हुए सरकारी विभागों का कम्पयूटरीकरण इत्यादि को शामिल किया गया है।

13.12 इन गतिविधियों में मुख्यमन्त्री कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, जिलाधीश कार्यालय, निदेशालय एंव जिला स्तर पर विभिन्न विभाग, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एंव हिमाचल प्रदेश विधान सभा का कम्यूटरीकरण शामिल है।

13.13 हिमाचल प्रदेश सरकार की शासकीय बैवसाईट विश्व व्यापी बैवसाईट पर शुरू की जा चुकी है, जिसका पता http://himachal.nic.in है। यह बैवसाईट प्रदेश तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों/बोर्ड/निगमों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सूचना केन्द्र है। एक अन्य बैवसाईट हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों में आरक्षण उपलब्ध करवाने हेतू भी उपलब्ध करवा दी है। उपरोक्त सरकार की शासकीय बैवसाईट पर इन्टरनैट द्वारा बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे मूख्यमंत्री को ई-मेल, सरकारी दूरभाष निर्देशिका, सर्च, आबकारी और कराधान, ग्रामीण विकास तथा पुलिस विभागों के बारे में गतिशील और पारस्परिक व्यवहार सूचना इत्यादि।

13.14 प्रदेश सरकार ने जिला हमीरपुर में एक 'लोकमित्रा' नामक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ की है। इस परियोजना के अन्तगर्त सारे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 25 नागरिक सूचना बूथों को जिला मुख्यालय के इनट्रानेट सर्वरों द्वारा जोड़ा गया है।

13.15 राज्य सरकार राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के सहयोग से राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (HPSWAN) की स्थापना करने जा रही है जो कि इन्टरनेट से जुड़ा होगा। यह इन्टरनेट सभी जिला मुख्यालयों को राज्य मुख्यालय से जोडेगा जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में परस्पर तथा राज्यभर में लोगों को सूचना सरलता से उपलब्ध करवाना है।

ECONOMIC SURVEY

OF

HIMACHAL PRADESH

2002

Economics & Statistics Department

FOREWORD

Economic Survey is one of the budget documents, which indicates the important economic activities and achievements of the Government through its departments. The salient features of the State's economy during 2001-2002 are presented in part-I, and statistical tables on various subjects are given in Part-II. Graphs and charts are indicated at appropriate places.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material, included in the Survey. The burden of collection and updating the huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics & Statistics Department. I appreciate and commend the work done by the officers and officials of this department.

S.K.SOOD
Financial Commissioner-cum-Secretary
(Finance, Plg., and Eco. & Stat.) to the
Government of Himachal Pradesh.

INDEX

		Page
1.	General Review	1
2.	State Income	7
3.	Money and Banking	10
4.	Prices and Civil Supplies	16
5.	Agriculture and Allied Activities	19
6.	Industry and Employment	35
7.	Power	39
8.	Transport and Communication	46
9.	Tourism and Civil Aviation	48
10.	Social and Economic Services	50
11.	Local Bodies	62
12.	Rural Development & Panchayati Raj	64
13.	Information Technology	70

1. GENERAL REVIEW

Economic Situation at National Level

1.1. The real Gross Domestic Product during the financial year 2000-2001 rose by 4.0 percent at constant (1993-94) prices as against 6.1 percent during 1999-2000 and 6.6 percent during 1998-99. Despite deceleration of growth rate for the second consecutive year, India, still is one of the fastest growing economics in the world. The Indian economy has shown remarkable resiliance in the face of substantial increase in the international price of crude oil over last few years. Recent unfavourable external circumstances viz; Asian financial crisis of 1997-99 and the global recession of 2001 slowed exports and hence industrial output in the ninth plan leading to a lesser growth rate. The better performance of agriculture sector during the current financial year 2001-2002 has increased the prospects of an acceleration of growth in Indian economy and accordingly growth rate for the year 2001-02 has been projected as 5.4 percent. The foodgrains production which during 2000-01 was estimated at about 196.1 million tonnes is expected to be about 209.2 million tonnes in 2001-02 as the prospects for the rabi crop have improved substantially after the post monsoon rains. The Index of Industrial production grew by a mere 2.3 percent during the first half of 2001-02 which was less than the half of the growth of 5.7 percent recorded in the first half of 2000-01.

1.2 The Gross Domestic Product at factor cost at constant (1993-94) prices in 2000-01 is estimated at Rs. 11,93,922 crore as agaist Rs. 11,48,500 crore in 1999-2000. At current prices Gross Domestic Product in 2000-01 is estimated at Rs. 18,95,843 crore as against Rs. 17,55,638 crore in 1999-2000 showing an increase of 8.0 percent during the year. The growth rate of 4.0 percent in real Gross Domestic Product during 2000-01 has been achieved because of high growth in manufacturing (6.7 percent) construction (6.8 percent), communication (15 percent) real estate, ownership of dwellings and business services (9.0 percent) and the services (7.4 percent). Agriculture sector during the year has a negative growth of 0.4 percent as the production of rice declined by 5.4 percent, wheat by 10.0 percent, pulses by 20.4 percent, oilseeds by 11.2 percent and cotton by 16.3 percent as compared to previous year. The per capita income is estimated at Rs. 16,487 in 2000-01 as against Rs. 15,562 for the previous year recording an increase of 5.9 percent.

1.3 The inflation rate in terms of whole sale price index has been significantly moderate during the current financial year. The index has registered an increase of only 1.8 percent in this financial year upto 31.12.2001 which is much less than the increase of 8.6 percent during the corresponding period of last year. The All India Consumer Price Index No. for Industrial workers during the year was 472 for Novemeber,2001 as against 450 for November,2000 showing an increase of 4.9 percent only.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.4 The economy of Himachal Pradesh is dependent upon agriculture and its allied activities and any fluctuation in agricultural production affects the growth rate considerably. The over all economic growth in total State Domestic Product during 2000-01 was 6.0 percent as the total State Domestic Product at constant prices (1993-94) increased to Rs. 7635 crore from Rs. 7206 crore in 1999-2000. At current prices the G.S.D.P. during 2000-01 was estimated at Rs. 12942 crore as against 11983 crore in 1999-2000. The per capita income at current prices witnessed an increase of 6.37 percent as it increased to Rs. 18920 in 2000-01 from Rs. 17786 in 1999-2000. The increase in total State Domestic Product was mainly attributed to 9.6 percent growth in primary sectors, 5.5 percent in secondary sectors, 5.4 percent in Transport and Trade and 5.3 percent in Services Sector. Foodgrains production during the year 2000-01 declined from 14.46 lakh M.T. in 1999-2000 to 12.08 lakh M.T. showing a dip of 14.4 percent but a sharp increase in fruit production (from 89.41 thousand MT in 1999-2000 to 428.03 thousand MT in 2000-01(Table 1.1) has resulted in a significant growth rate of 6.0 percent.

TABLE 1.1

Key Indicators

Indicators	1998-99	1999-00	2000-01	1998-99	1999-00	2000-01
	Absolute Value			%age change over previous year		
G.S.D.P.(Rs.in crores)						
(a)At current prices	10696	11983	12942	..	12.0	8.0
(b)At constant prices	6792	7206	7635	7.2	6.1	6.0
Foodgrains production (lakh tonnes)	13.13	14.46	12.08	9.3	12.0	(-)14.4
Fruit production ('000 tonnes)	447.68	89.41	428.03	60.1	(-)80.1	380.9
Gross Value Added From Industrial Sector (Rs.in crores)	1354	1542	1602	15.4	13.9	3.9
Electricity generated (Million Units)	1485	1201	1153	13.7	(-) 19.1	(-) 4.0
Wholesale price Index	140.7	145.3	155.7	6.9	3.3	7.2
C.P.I. for Industrial Workers (H.P.)	395	411	436	13.5	4.1	6.1

1.5 The economic growth in the State predominantly governed by agriculture and its allied activities showed not much ups and downs during 90s as the growth rate

remained more or less stable. The decade showed an average annual growth rate of 5.7 percent, which is at par with national level. The economy has shown a shift from agriculture sector to industries and services as the percentage contribution of agriculture and allied sectors in total State Domestic Product has declined from 57.9 percent in 1950-51 to 55.5 percent in 1967-68, 26.5 percent in 1990-91 and 22.5 percent in 2000-01. The share of industies and services sectors respectively has increased from 1.1 & 5.9 percent in 1950-51 to 5.6 and 12.4 percent in 1967-68, 9.4 & 19.8 percent in 1990-91 and to 12.4 percent and 21.5 percent in 2000-01. However, the contribution of other remaining sectors showed a marginal favourable shift i.e. from 35.1 percent in 1950-51 to 44.6 percent in 2000-01.

1.6 The declining share of agriculture sector, however, did not affect the importance of this sector in the State economy. The growth of economy has largely been determined by the trend in agricultural production as it has a significant share in the total domestic product and has overall impact on other sectors via input linkages, employment and incomes. Due to lack of irrigation facilities our agricultural production to a large extent still depends on timely rainfall and weather conditions. High priority has been accorded to this sector by the Govt. It has been envisaged to produce 14.37 lakh M.T. of foodgrains during the year.

1.7 The state has made significant progress in the development of Horticulture. The topographical variations and altitudinal differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub tropical fruits. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops. During the current year 2001-02, 2.16 lakh tonnes of fruits were produced in the state and it is envisaged to bring 6000 hectares of additional area under fruit plants against which 3460 hectares of area was brought under plantation upto December,2001. Growing of off-season vegetables has also been picked up in the state. During the current year it has been envisaged to produce 6.20 lakh tonnes of vegetables and 1.65 lakh tonnes of Potato.

1.8 Himachal Pradesh working class Consumer Price Index No. during November, 2000 to November,2001 increased by 2.4 percent while the All India Whole Sale Price Index No. during the corresponding period also increased by 2.4 percent.

1.9 Himachal Pradesh has launched a massive reform programme in the power sector. During the financial year 2001-2002, 986 million units of electricity were generated upto December,2001. Due to limited resources available with state Govt., the Govt. of Himachal Pradesh has approved the participation of Private sector in the generation and supply of power and given various hydroelectric projects in private sector for implementation

1.10 The total employment in the state as on 31.12.2000 was 3.03 lakh both in public and private sectors. The number of unemployed persons on the live register of all the employment exchanges stood at 9.11 lakh at the end of November,2001. Several

programmes have been taken up by the Government to generate more employment opportunities.

1.11 High priority has been accorded to tourism industry, which has emerged as a major sector in the development of economy of the state. The Govt. has developed appropriate infrastructure for the growth of tourism involving activities requiring heavy investment and pioneering commercial projects in new exposed areas where private sector may be reluctant to undertake such activities initially. As a result of high profiles media thrust, a significant rise has been noticed in the tourist influx during last few years as below :-

TABLE 1.2

Tourist arrival (In lakh)

Year	Indian	Foreigners	Total
1997	38.30	0.63	38.93
1998	41.20	0.75	41.95
1999	43.52	0.91	44.43
2000	45.70	1.11	46.81

1.12 Information technology has a great scope for employment generation and revenue earnings. Himachal Pradesh Govt. in this context has prepared an I.T.Vision 2010 with the assistance of NASSCOM. Govt. has proposed a target of exporting I.T. Software and allied services worth Rs. 2000 crores upto the year 2005. Commensurate with the IT policy of the state government certain initiatives have already been taken in the state to furthur growth of IT. The deptt. of Information Technology(DOIT) has been created to ensure the process of furthering the development of IT in the state

1.13 The State Government mobilises financial resources through direct and indirect taxes, non-tax revenue, share of central taxes and grants-in-aid from Central Govt. to meet the expenditure on administration and development activities. According to the budget estimates for the year 2001-2002 the total revenue receipts were estimated at Rs. 3216 crore in 2001-2002 as against Rs. 3351 crore in 2000-01. The revenue receipts declined by 4.0 percent in 2001-02 over 2000-01.

1.14 The State's own taxes were estimated at Rs. 776 crore in 2001-02 as against Rs. 717 crore in 2000-01 and Rs. 620 crore in 1999-2000. The percentage increase in the State's own taxes was estimated at 8.2 percent in 2001-02.

1.15 The State's non-tax revenue (comprising mainly of interest receipts, road transport receipts and other administrative services etc.) has shown a decreasing trend from 2000-01 due to ban on lotteries. It was estimated at Rs. 193 crore in 2001-02. The State's non-tax revenue was 6.0 percent of total revenue receipts in 2001-02.

1.16 The share of central taxes was estimated at Rs. 406 crore in 2001-02 it was 366 crore in 2000-01 which registered an increase of 10.9 percent.

1.17 The break-up of the State's own taxes reveals that sales tax at Rs. 330 crore constitutes a major portion i.e. 27.9 percent of total tax revenue in 2001-02. The corresponding percentages for the year 2000-01 and 1999-2000 were 27.4 and 15.1 per cent respectively The revenue receipt from state excise duties is estimated at Rs. 222 crore in 2001-02

1.18 The far reaching socio-economic accomplishments to achieve the main goals of accelerated growth and social equity in the state are :-

(i) Entertainment industries were given 10 years tax holiday.
(ii) The three air strips of Shimla, Kullu-Manali and Kangra being upgraded with a cost of Rs. 30 crore.
(ii) A new air strip being constructed at Pathankot at a cost of Rs. 30 crore.
(iv) Major break through in Hydro-Power generation as the work on Hydel-Projects having generation capacity of over 7100 M.W. was started.
(v 86 M.W. Malana, 3 M.W. Gumma and 2 M.W. Sal stage-II Hydro Electric Projects commisioned. M.O.U's for 132 Mini and Micro Hydro Project signed.
(vi) 2,732 Industrial Units with an investment of Rs. 423 crore and employment to 18,000 persons were set up.
(vii) Fruit based wineries being set up in Shimla and Mandi at a cost of Rs. 35 crore.
(viii) States own Information Technology and Bio-Tech. policies formulated.
(ix) International Standard I.T. Institute being set up at a cost of Rs. 60 crore at Wakna Ghat.
(x) Revenue laws are being made realistic in present context and all the farmers were given Kisan Pass Books with legal validity.
(xi) Ownership of Shamlat Land being returned to owners.
(xii) Work on Rs. 143 crore Shah Nahar , Rs.33 crore Sidhata medium irrigation started and Rs. 28 crore Anand-Pur Hydel Channel is in progress.
(xiii) 328 minor irrigation schemes got approved from NABARD.
(xiv) 1.69 lakh eligible old widows and handicaped being given increased monthly pension of Rs. 150.
(xv) 5.76 lakh women of I.R.D.P. families brought under 'Matri Shakti Bima Yojna'.

Table 1.3

Receipt and Expenditure of the State Government(Rs. in crores)

Item	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1.Revenue Receipts(2+3+4)	**2311**	**3715**	**3351**	**3216**
2.Tax Revenue	1299	1541	1082	1183
3.Non-Tax Revenue	205	1056	223	192
4.Grant-in-aid	807	1118	2046	1841
5.Revenue Expenditure	3334	3821	4199	4719
(a)Interest Payments	498	597	892	1159
(b)Subsidies	165	182	175	159
6.Revenue Deficit(1-5)	**1023**	**106**	**848**	**1503**
7. Capital Receipts	3057	4683	1886	2444
(a)Recovery of loans	29	531	25	24
(b)Other receipts	(-)86	517	300	225
(c) Borrowings & liabilities	3114	3635	1561	2195
8.Capital Expenditure	**2308**	**3769**	**1038**	**942**
9.Total Expenditure	**5642**	**7590**	**5237**	**5660**
(a) Plan expenditure	1660	1685	1797	1704
(b) Non-plan expenditure	3982	5905	3440	3956
	As percent of GDP			
1.Revenue Receipts(2+3+4)	23.30	31.00	25.89	23.22
2.Tax Revenue	13.09	12.86	8.36	8.54
3.Non-Tax Revenue	2.07	8.81	1.72	1.39
4.Grant-in-aid	8.14	9.33	15.81	13.39
5.Revenue Expenditure	33.61	31.89	32.44	34.08
(a)Interest Payments	5.02	4.98	6.89	8.37
(b)Subsidies	1.66	1.52	1.35	1.15
6.Revenue Deficit(1-5)	-10.31	0.88	6.55	10.85
7. Capital Receipts	30.82	39.08	14.57	17.65
(a)Recovery of loans	0.29	4.43	0.19	0.17
(b)Other receipts	-0.87	4.31	2.32	1.62
(c) Borrowings & liabilities	31.39	30.33	12.06	15.85
8.Capital Expenditure	23.27	31.45	8.02	6.80
9.Total Expenditure	56.87	63.34	40.46	40.87
(c) Plan expenditure	16.73	14.06	13.88	12.30
(d) Non-plan expenditure	40.14	49.28	26.58	28.57

Note: GSDP estimates for 1999-00®, 2000-01(Q) & 2001-02(Tentative)

2. STATE INCOME

State Domestic Product

2.1 State Domestic Product (S.D.P.) or state income is the most important indicator for measuring the economic growth of a state. According to quick estimates, the total State Domestic Product at 1993-94 prices increased to Rs 7635.3 crore in 2000-01 from Rs. 7206.2 crore in 1999-2000, thereby registering a growth of 6.0 percent at constant prices. The growth rate of gross domestic product at national level during this period is estimated at 4.0 percent. The total State Domestic Product of the Pradesh at current prices is estinated at Rs. 12941.96 crore in 2000-01 as against Rs. 11983.13 crore in 1999-2000, thereby registering an increase of 8.0 percent. The state achieved this significant rate of growth despite a decline in foodgrains production to 12.08 lakh MT in 2000-01 from 14.46 lakh MT in 1999-2000. The apple production increased from 0.49 lakh MT in 1999-2000 to 3.77 lakh MT in 2000-01. The economy of Himachal Pradesh is predominantly dependent upon agriculture and in the absence of strong industrial base, any fluctuations in the agricultural or horticultural production cause significant change in economic growth also. During 2000-01 about 22.5 percent of state income has been contributed by agriculture sector alone.

2.2 The table given below shows the growth of economy of Himachal Pradesh vis-à-vis All-India during the last three years and the expected growth rate for the current year 2001-2002 :-

Table 2.1

(Percent)

Year	H.P.	All India
1998-99	7.2	6.6
1999-2000(Revised)	6.1	6.1
2000-2001(Quick)	6.0	4.0
2001-2002(Expected)	5.5	5.4

Per Capita Income

2.3 According to quick estimates based on 1993-94 series, the per capita income at current prices of Himachal Pradesh in 2000-01 stood at Rs.18920 . This shows an increase of 6.4 percent over 1999-2000 (Rs.17786) . At constant (1993-94) prices the per capita income during 2000-01 is estimated at Rs.10942.

Sectoral Contribution

2.4 The sectoral analysis reveals that during 2000-01, the percentage contribution of Primary sectors to total S.D.P. of the State is 27.37 percent, Secondary Sector 32.50 percent, followed by Community and Personal Services 20.52 per cent, Transport, Communications and Trade 11.87 percent and Finance and Real Estate 7.74 percent.

The structural composition of the state economy witnessed significant changes during the decade. The share of agriculture including horticulture and animal husbandry in G.S.D.P. had declined from 26.5 percent in 1990-91 to 22.5 percent in 2000-01 yet the agriculture sector continues to occupy a significant place in the state economy and any fluctuation in the production of foodgrains affect the economy significantly. The share of primary sectors which include agriculture, forestry, fishing and mining & quarrying has declined from 35.1 percent in 1990-91 to 27.4 percent during 2000-01. Secondary sector which occupies the second important place in the state economy has witnessed a major improvement since 1990-91. Its contribution increased form 26.5 per cent in 1990-91 to 32.5 percent in 2000-01, reflecting healthy signs of industrialisation and modernisation in the state. The share of the electricity, gas and water supply sector which is a component of secondary sector has also increased from 4.7 percent during 1990-91 to 6.1 percent during 2000-01. Tertiary sector which is comprised of sectors like trade, transport, communications, banking, real estate & business services, community and personal services has also witnessed an increase in its share. Its share in G.S.D.P. has increased from 38.4 percent during 1990-91 to 40.1 percent in 2000-01.

Sectoral growth

2.5 Following are the major constituents which attributed to 6.0 percent growth of state economy during 2000-01.

Primary Sector

2.6 Primary sector, which includes Agriculture, Forestry, Fishing, Mining and Quarrying, during 2000-01 witnessed a remarkable growth rate of 9.6 per cent because of good apple production.

Secondary Sector

2.7 The secondary sector, which comprises Manufacturing, Construction and Electricity, Gas and Water Supply registered an impressive growth of 5.5 percent during 2000-01.

Transport, Storage, Communications and Trade

2.8 This group of sectors shows only a growth of 5.4 percent during 2000-01 .

Finance and Real Estate

2.9 This sector comprises Banking and Insurance, Real Estate, Ownership of dwellings and Business Services. It witnessed a growth of 1.5 percent in 2000-01.

Community and Personal Services

2.10 The growth in this sector during 2000-01 was 5.3 percent.

2.11 A brief analysis of the economic growth in Himachal Pradesh, however, reveals that the state has always tried to keep pace with the all-India growth rate as shown below :-

Table 2.2

Period		Average annual growth Rate (Percentage)		
			H.P.	All India
First Plan	(1951-56)	(+)	1.6	(+) 3.6
Second Plan	(1956-61)	(+)	4.4	(+) 4.1
Third Plan	(1961-66)	(+)	3.0	(+) 2.4
Annual Plans	(1966-67 to 1968-69)		..	(+) 4.1
Fourth Plan	(1969-74)	(+)	3.0	(+) 3.4
Fifth Plan	(1974-78)	(+)	4.6	(+) 5.2
Annaul Plans	(1978-79 to 1979-80)	(-)	3.6	(+) 0.2
Sixth Plan	(1980-85)	(+)	3.0	(+) 5.3
Seventh Plan	(1985-90)	(+)	8.8	(+) 6.0
Annaul Plan	(1990-91)	(+)	3.9	(+) 5.4
Annual Plan	(1991-92)	(+)	0.4	(+) 0.8
Eighth Plan	(1992-97)	(+)	6.3	(+) 6.2
Ninth Plan	(1997-2002)	(+)	6.2	(+) 5.4
	(1997-98)	(+)	6.4	(+) 5.0
	(1998-99)	(+)	7.2	(+) 6.6
	(1999-2000)(Revised)	(+)	6.1	(+) 6.1
	(2000-01) (Quick)	(+)	6.0	(+) 4.0
	(2001-02)(Expected)	(+)	5.5	(+) 5.4

3. MONEY AND BANKING

3.1 Banks have a great role to play in stimulating economic growth by strengthening agricultural, industrial and other self employment activities etc. Banks are also credited with designing of social banking policies and programmes which support vital sectors of the economy as well as aim at poverty alleviation by benefiting number of farmers, artisans, professionals and self employed.

3.2 The total number of bank branches in the State including the branches of Regional Rural/Cooperative Banks was 1117 as on September 2001. There are 19 Commercial Banks operating in Himachal Pradesh through a net work of 653 branches of which 639 branches are located in rural areas. SBI, PNB, UCO and SBOP are the major Banks with 555 branches. There are two Regional Rural Banks in the state, namely, Himachal Gramin Bank and Parvatiya Gramin Bank with HGB having 103 branches and PGB 27 branches thus bringing the total number of commercial bank branches to 783.

3.3 The Himachal Pradesh State Cooperative Bank Ltd. is an Apex bank under short-term credit structure. It has a network of 128 branches in six districts of H.P. viz; Shimla, Kinnaur, Bilaspur, Mandi, Sirmaur and Chamba. There are two central cooperative banks in the State namely Kangra Central Cooperative Bank Ltd.(KCCB) and Jogindra Central Cooperative Bank Ltd.(JCCB) while KCCB with 138 branches operates in five districts viz; Kangra, Hamirpur, Kullu, Una and Lahaul & Spiti, JCCB with 20 branches covers Solan district.

The achievements made by these banks upto September,2001 are as below:-

Deposits & Advances

3.4 At the end of September, 2001 the Pure Public Deposit(PPD) of banks covered under the lead bank scheme in H.P. stood at Rs. 10047.12 crore and the total out standing advances amounted to Rs.2840.80 crore. The deposit of banks have registered an increase of Rs. 1543.68 crore (18.15%) and total advance increased by Rs. 553.20 crore (24.18%) during the 2nd quarter of the year. As a result of more credit expansion the credit deposit ratio of banks in H.P. have increased to 28.3% as on September,2001 from 26.9% as on Sept.,2000.

Table- 3.1

Comparative Data of Banks in HP

(Rs.crore)

	March, 2001	June, 2001	Sept., 2001	Present Trend
1. Deposits(PPD):				
Rural	6396.15	6485.57	6864.90	+379.33
Semi Urban	3075.08	3106.09	3182.22	+76.13
TOTAL	9471.23	9591.66	10047.12	+455.46
2. Advances(O/S)				
Rural	1759.54	1892.06	1541.11	-350.95
Semi Urban	975.10	888.57	1299.69	+411.12
TOTAL	2734.64	2780.63	2840.80	+60.17
3. CD Ratio(PPD)				
Rural	27.51%	29.17%	22.5%	-6.67
Semi Urban	31.71%	28.61%	40.8%	+12.19
TOTAL	28.87%	29.00%	28.3%	-0.70
4. Investment made by banks in State Govt. securities/Bonds	1507.28	1689.34	1773.89	+84.55
5. Investment Credit Deposit Ratio(ICD)	44.79%	46.60%	45.9%	-0.70
6. Priority Sector Advs.(O/S) under:				
i) Agriculture	393.40	427.95	423.97	-3.98
ii) SSI	326.58	315.39	320.39	+5.00
iii) Services	915.85	865.16	967.71	+102.55
7. Weaker Section Advances	551.12	569.13	576.37	+7.24
8. DRI Advances	1.30	1.86	4.41	+2.55
9. Advances under Govt. sponsored programmes.	245.18	129.77	183.55	+53.78
10. Non-Priority Sector Advances	1098.81	1172.13	1128.73	-4.34

Priority sector credit

3.5 All the banks functioning in the state have disbursed total fresh credit to the tune of Rs.418.83 crore upto 2nd quarter ending Sept., 2001 against an annual

commitment of Rs.764.97crore, representing 54.75 percent achievement. The sector wise progress is given below:-

Table- 3.2

Sector	Annual commitment 2001-2002	Actual Achievement upto Sept., 2001	%age achievement
1. Agriculture	216.92	98.89	46
2. SSI	76.42	30.84	40
3. Services	316.84	165.52	52
Total Priority sector	610.18	295.25	48
Non-priority	154.61	123.58	80
Grand Total	764.79	418.83	55

The credit coverage under the priority sector depicts an achievement of 48.39 % upto the end of Sept., 2001. The achievement under the SSI was significant as 40.36 % funds were utilised upto the 2nd quarter of the current financial year.

PERFORMANCE UNDER GOVT. SPONSORED PROGRAMME

(a) Prime Minister Rojgar Yojna

3.6 Banks in Himachal have sanctioned 1,130 loan cases under this scheme upto September,2001 against the target of 3,000 loan cases. In total 802.02 lakh rupees were sanctioned and 499.72 lakh rupees were disbursed under this programme upto September,2001.

(b) Swarn Jayanti Gram Sewa Rojgar Yojna

3.7 Under this scheme, 2726 cases of individual Sewa Rojgari were received in the banks, out of which 1922 proposals were sanctioned with an amount of Rs.549.14 lakh and 1,663 proposals with an amount of Rs.446.69lakh were disbursed upto the end of September,2001 . Under group financing scheme 259 group loan cases with an amount of Rs.345.37 lakh were sanctioned and Rs. 270.27 lakh were disbursed to 248 groups upto September,2001.

(c) Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojna

3.8 The SJSRY urban poverty alleviation and employment generation scheme is implemented by Municipal bodies in all towns of H.P. The convener bank has received a target of 236 units under USEP and 57 units under DWACRA for 2001-2002.

(d) Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers

3.9 The banks in H.P. have sanctioned 160 loan cases with an amount of Rs.54.03 lakh under this scheme upto September,2001 and 154 cases have been disbursed an amount of Rs.52.88 lakh.

3.10 Besides above, 179 cases with an amount of Rs. 1003 lakh have been sanctioned under KVIS margin money scheme upto September,2001 disbursing an amount of Rs.901.00 lakh to 172 cases.

NABARD

3.11 The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) had strengthened its association with the developmental process substantially for integrated rural development in the recent years by initiatives encompassing a wide range viz Watershed Development, Rural Infrastructure, Micro Credit, Rural Non-Farm Sector, Minor Irrigation, besides strengthening the rural credit delivery system in the state. The heightened and active support from NABARD is generating tremendous social and economic benefits in the rural areas of the state.

Rural Infrastructure

3.12 Government of India had created Rural Infrastructure Development fund(RIDF) in 1995-96. Under this scheme, loans are given to State Governments and State owned Corporations for the completion of on-going projects as also to start new projects in certain selected sectors. This scheme has also been extended to Panchayati Raj Institutions, Self help groups and Non-Government Organisations for development of various location specific infrastructures having a direct bearing on society and the rural economy.

3.13 Financial assistance of Rs.531.26 crore has been sanctioned to the H.P Government upto 31st Dec.2001 for taking up 2433 projects in the diversified sectors like Irrigation, Roads and Bridges, Drinking water supply, flood protection, water shed development, construction of buildings for primary schools and schemes under information technology like 'Lokmitra'.

3.14 During the current financial year i.e 2001-2002, upto 31st December an amount of Rs.76.95 crore has been sanctioned under RIDF and it is expected to exceed Rs.150.00 crore by the close of the financial year. The cumulative disbursement made to the State Government upto 31st Dec.,2001 was Rs.292.36 crore.

3.15 After the implementation/completion of the sanctioned projects, 29635 hectares additional land will be brought under irrigation, 2327 K.M. Road will be metalled, construction of 3461 mt. Span bridges will be done, flood protection to 2256 hectares of land, 133 villages will be covered under water shed projects, besides achieving various Economic and social benefits. The roads and bridges to be constructed under RIDF shall provide improved connectivity to 1812 villages of the state.

Refinance support

3.16 Financial support to banks for diverse activities viz Minor Irrigation, Plantation and Horticulture, Farm mechanisation, Road Transport, Land Development, Animal Husbandry, micro Credit, SGSY,Crop Loans, rural non farm sector, is expected to increase from Rs. 89 crore in 2000-2001 to Rs. 104.00 crore in the current year and reach Rs. 120.00 crore in 2002-2003. NABARD has been laying emphasis on enhanced credit flow for irrigation and horticulture projects specially for tea, medicinal and aromatic plantations.

Micro credit

3.17 The SHG movement has spread across the state except Kinnaur district and is now on a firm base. The movement has been upscaled with support in the human resources and financial products. Grant assistance of Rs.3.43 lakh was extended to various agencies during the year for strengthening the movement. There are more than 11000 SHGs operative in the state promoted by Department of Social and Women Welfare and NGOs. During the year, 1518 SHGs were credit linked as on 31st December 2001 with a bank loan of approximately Rs.3.00 crore. Cumulatively, 4291 Self Help Groups have been credit linked with the banks. At present, 375 bank branches are associated with micro credit movement. An amount of Rs. 5.00 crore has been extended as refinance assistance to the banks.

Rural Non-Farm Sector

3.18 During the year, 7 Rural Entrepreneurship Development Programmes(EDPs) were sanctioned for the benefit of rural youth intending to set up small enterprises in the rural area, of which 5 REDPs have been conducted upto 31st Dec.2001. The grant assistance of Rs.3.29 lakh was sanctioned for this purpose to NGOs and other professional bodies. The activities like white metal jewellery, carpet weaving, cutting and tailoring were covered. District Rural Industries Project (DRIP) has been launched in Solan district from April,2001 whereas Mandi district has been selected for launching DRIP during the next financial year. The initiatives for developing clusters in Solan, Kullu and Kangra districts were supported.

Ground Level Credit Flow

3.19 NABARD has formulated a potential linked credit Plan for 2002-2003 and has accordingly updated the 10th Five Year Plan. The credit flow at the ground level during 2002-2003 has been assessed at Rs.980 crore. The credit flow was mainly under Agriculture and allied activities, non-farm sector and other identified priority sectors.

3.20 NABARD continued to extend support to the rural financial institutions especally Co-operative Banks and Regional Rural Banks in the State.

4. PRICES AND CIVIL SUPPLIES

Price Situation

4.1 Inflation is by far the most pressing problem for the common citizen. The rate of increase in wholesale prices or inflation which touched a high level of 6.9 per cent in 1996-97 was1.8 per cent during 2001-2002 upto 29.12.2001. The movement of Index Nos. of wholesale prices during the last few years is shown in table 4.1 below:-

Table-4.1

Movement of Wholesale Price Index Number (Base 1993-94=100)

Year	Wholesale Price Index No.	
	Last week	Averages of weeks
1993-94	100	100
1994-95	117.1	112.6
1995-96	116.1	121.6
1996-97	124.1	127.2
1997-98	130.7	132.8
1998-99	141.7	140.7
1999-2000	150.9	145.3
2000-01[(upto 31.12.2000)	159.2	155.7
2001-02(upto 29.12.2001)(P)	161.7	161.3

4.2 Monthwise index Nos. of wholesale prices during the last six years are given in the following table:-

Table-4.2

Wholesale Price Index No.(Base 1993-94=100)

Month	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	Inflation rate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
April	123.7	130.9	136.9	142.4	151.7	159.9	5.40
May	124.5	130.8	138.2	142.8	151.8	160.3	5.60
June	125.1	131.4	139.8	143.3	152.7	160.8	5.30
July	127.0	131.6	140.9	143.7	153.1	161.1	5.22
August	127.8	132.0	140.6	144.6	153.4	161.6	5.35
September	128.1	132.9	140.8	145.3	154.7	161.9(P)	4.65
October	127.8	133.4	142.0	146.9	157.9	162.5(P)	2.91
November	128.0	133.1	142.6	147.0	158.2	162.0(P)	2.40
December	128.5	133.7	142.1	146.1	158.8*	161.7(P)	1.8
January	128.3	134.8	140.9	145.9	158.6	..	..
February	128.8	134.2	141.4	146.4	158.6	..	..
March	128.8	134.4	141.6	149.5	159.1	..	..
Averages	127.2	132.8	140.7	145.3	155.7	..	..

P= Provisional . * = As on last week of December.

4.3 From the above table it is revealed that inflation rate which was 6.5 per cent at the beginning of the year 2000-2001came down to 6.1 per cent in the month of August and slightly maintained upward trend upto Janurary,2001. After that it started declining and was 6.4 per cent during March,2001. On an average for the year 2000-2001 inflation rate was 7.2 per cent. Inflation rate which was 5.40 per cent in April,2001, declined to 5.22% in July and 2.40 per cent in November, 2001. The inflation rate in December,2001 (last week) was 1.8 per cent on point to point basis.

4.4 The price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch and the prices were not allowed to increase much because the Food and Civil Supplies Department of the Pradesh has been keeping constant vigil on the price situation and the essential consumer commodities were supplied to the public through a net work of 3,955 fair price shops. Further, in order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Govt. is vigorously enforcing various Orders/Acts. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities also continued during the year so that effective measures could be taken in time to check undue price rise. Because of these measures the C.P.I for industrial workers in H.P. increased at a much lower rate than W.P.I. for India as is evident from table 4.3 below which shows that C.P.I. for industrial workers of H.P. increased by 4.2 per cent from April,2000 to April,2001 as against 5.4 per cent increase in W.P.I. and in October,2000 to October,2001 it increased by 2.0 per cent as against 2.9 per cent in W.P.I.:-

Table No- 4.3

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers in H.P.(Base 1982=100)

(Financial year average Month wise)

Month	1991 -92	1992 -93	1993 -94	1994 -95	1995 -96	1996 -97	1997 -98	1998 -99	1999-2000	2000-2001	2001-02	Percentage change over previous year
April	200	223	237	261	287	306	340	363	404	428	446	4.2
May	197	222	239	262	287	306	331	370	400	426	446	4.7
June	199	221	240	265	288	308	331	385	399	428	446	4.2
July	205	226	247	269	293	317	339	393	406	436	447	2.5
August	210	231	249	272	296	321	341	395	410	437	452	3.4
Sept.	216	234	253	277	301	327	346	401	413	433	451	4.2
Oct .	217	233	255	282	301	328	350	413	416	442	451	2.0
Nov.	216	232	255	283	304	331	349	415	420	443	454	2.4
Dec.	213	230	254	280	299	332	351	403	413	440	..	..
Jan.	217	231	253	279	294	333	365	400	415	440	..	..
Feb.	221	232	257	279	296	333	367	402	415	441	..	..
March	222	235	258	284	299	336	364	402	418	443	..	
Aver-age	211	229	250	274	295	323	348	395	411	436	..	..

Public Distribution system:

4.5 One of the main constituents of the govt. strategy for poverty alleviation is public distribution system (P.D.S.) which ensures availability of essential commodities like Wheat, Rice, Sugar, Edible Oils and Kerosene through a net work of 3955 Fair Price Shops. The earlier policy of June 1997 to streamline public distribution system has been done away with a new amended policy of March,2001 dividing the public distribution system in four categories viz. Above Poverty Line(APL), Below Poverty Line(BPL), Antyodaya(Poorest) and Annapurna(Indigient). The quantum and prices charged for each ration item varies for each category.

4.6 During the year 2001 from January to November, the following quantities of Foodgrains were distributed through fair price shops :-

(MT & KL)

Commodity	Categories of Consumers			
	APL	BPL	Antyodaya	Annapurna
1. Wheat	12175	15857	6230	394
2. Rice	2868	22394	8831	368
3. Atta	2488	-	-	-
4. Sugar	51024	-	-	-
5. Edible Oils	46	-	-	-
6 Kerosene Oil	44893	-	-	-

4.7 The Levy sugar was made available to the consumers at the scale of 700 Gms. per head per month @ Rs. 13.25 per Kg. During 2001 from January to November, 51024 M.T. of levy sugar was made available to the consumers. The Government oil companies are distributing cooking gas to the public through various dealers. Where the dealership is not viable, it is being distributed through H.P. State Civil Supply Corporation. At present 90 gas agencies are working in the state. In addition to the above, 22611 quintals of wheat, 10691 quintals of Atta, 23331 quintals of Rice, 12168 quintals of sugar, 947 quintals of edible oil and 1324 kilo liters of kerosene oil was allotted to tribal areas for distribution among these four categories .

5. AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES

AGRICULTURE

5.1 Agriculture is the main occupation of the people of Himachal Pradesh and has an important place in the economy of the State. It provides direct employment to about 71% of the total worker's of the State. About 22.5 percent of the total GSDP comes from Agriculture and its allied sectors. Out of the total geographical area of 55.67 lakh hectare, the area of operational holdings is about 9.99 lakh hectares and operated by 8.63 lakh farmers. The average holding size comes to 1.2 hectares. Distribution of land holdings according to 1995-96 Agricultural Census shows that 84.5% of the total holdings are of small and marginal farmers. About 14.9% of holdings are owned by medium farmers and only 0.6% by large farmers.

Table-**5.1**

Distribution of Land Holdings

Size of Holdings (Hects)	Category (Farmers)	No. of Holdings (lakh)	Area (Lakh Hect.)	Av. Size of Holding (Hects)
Below 1.0	Marginal	5.56(64.4%)	2.30 (23.0%)	0.4
1.0-2.0	Small	1.73 (20.1%)	2.41 (24.1%)	1.4
2.0-4.0	Semi Medium	0.95 (11.0%)	2.55 (25.6%)	2.7
4.0-10.0	Medium	0.34 (3.9%)	1.95 (19.5%)	5.7
10.0-Above	Large	0.05 (0.6%)	0.78 (7.8%)	15.6
	Total	**8.63**	**9.99**	**1.2**

5.2 About 80% of the total cultivated area in the State is rainfed. Rice, Wheat and Maize are important cereal crops of the State. Groundnut, Soyabeen and Sunflower in Kharif and Rapeseed/Mustard and Toria are important oilseed crops in the Rabi season.Urd, Bean, Moong, Rajmash in Kharif season and Gram, Lentil in Rabi are the important Pulse crops of the State. Agroclimatically the state can be divided into four zones viz., (i) Sub Tropical, sub mountain and low hills, (ii) Sub Temperate, sub Humid mid hills, (iii) Wet temperate high hills, (iv) Dry Temperate high hills and cold deserts. The agro-climatic conditions are congenial for the production of cash crops like off-season vegetables, vegetable seeds,potato and ginger. The State Government is laying emphasis on production of off-season vegetables, potato,ginger, pulses and oilseeds besides increasing production of cereal crops, through timely and adequate supply of inputs, demonstration and effective dissemination of improved farm technology, replacement of old variety seed, promoting integrated pest management, bringing more area under efficient use of water resources and implementation of wasteland development projects. There are four distinct seasons with respect to rainfall. Almost half of the rainfall is received during the Monsoon season and remaining precipitation is distributed among other seasons. The State receives an average rainfall of 152 cms., Kangra district gets the highest rainfall followed by Shimla

Monsoon 2001

5.3 The performance of agriculture is closely related to the performance of monsoon . During the monsoon season of 2001 (June- September) in Himachal Pradesh, it was excess in Una, normal in Hamirpur, Kullu, Mandi, and Kangra, deficient in Chamba ,Bilaspur , Sirmaur, Shimla, Kinnaur, Lahaul Spiti and Solan districts. For Himachal as a whole, the total rainfall during entire monsoon season was 86% of the annual normal rainfall. The table 5.2 shows south –west monsoon performance in various districts: -

Table 5.2

Monsoon Rainfall (June-Sept.)

District	Actual (mm)	Normal (mm)	Excess/Deficient	
			Total (mm)	Percentage
Bilaspur	821	1026	-205	-20
Chamba	543	949	-406	-43
Hamirpur	1039	1075	-36	-3
Kangra	1514	1684	-170	-10
Kinnaur	122	237	-115	-49
Kullu	503	483	20	4
L/Spiti	102	170	-68	-40
Mandi	1157	1201	-44	-4
Shimla	515	715	-200	-28
Sirmaur	1113	1536	-423	-27
Solan	632	1098	-466	-42
Una	1156	861	295	34

Note:-

Normal = -19% to +19%
Excess = 20% and above
Deficient = -20% to –59%
Scanty = -60% to –99%

Crop Performance 2000 - 2001

5.4 The economy of Himachal Pradesh is largely dependent on agriculture and it still occupies a significant place in the State economy as 22.5 percent of total State Domestic Product in 2000-2001 was generated by Agriculture and Allied sectors and any fluctuations in the production of foodgrains affect the economy significantly. During the Ninth Five Year Plan, 1997-2002 emphasis has been laid on production of off-season Vegetables, Potato, Pulses and Oilseeds besides cereal crops through timely and adequate supply of inputs, bringing more area under irrigation, approach of watershed

development, demonstration and effective dissemination of improved farm technology etc. Inspite of these efforts, the year 2000-2001 agriculturally remained a lean year as the likely food grains production was only 12.08 lakh M.Ts as against 14.46 lakh M.Ts. during 1999-2000 witnessing a decline of about 16.5%. The likely production of Potato also was only 1.60 lakh M.Ts in 2000-2001, as against 1.82 lakh M.Ts in 1999-2000. However, the production of vegetables was expected to increase to 5.80 lakh tonnes during the year from 5.20 lakh M.Ts in 1999-2000.

Prospects 2001-2002

5.5 The foodgrains production for 2001-2002 is expected around 14.37 lakh M.T. The kharif production mainly depends upon the behaviour of Southwest monsoon as 80% of the total cultivated area is rainfed. Pre-monsoon showers were received well in time and the sowing operations were completed timely. Sowing of Rice/transplanting was completed timely. Almost 82 thousand hectares has been covered under paddy and it is hoped that the target of producing 1.50 lakh M.T. will be achieved. The sowing of Maize,millets and Ragi etc. was done timely and area coverage under these crops is normal. The department has distributed about 7500 qtls. Maize hybrid seed of promising high yielding variety. The production of Ragi and small millets is expected to be normal.However, Himachal is in grip of dry spell triggering serious concern for the Rabi sowing particularly in the lower areas. From October to November, Himachal had zero rainfall as was in the previous year during the same period. Wheat sowing had been adversely affected for want of moisture content . Vegetables though grown in the irrigated areas would not be affected, it is the Rabi crop which will suffer because of the drought conditions as the sowing season normally starts in October . The production of foodgrains in Himachal Pradesh during the last three years and likely in 2001-2002 crop-wise is as under:-

Table-5.3

Foodgrains Production

(in thousand tonnes)

Crop	1997- 98	1998-99	1999- 2000	2000-2001 (Provisional)	2001-2002 (Likely)
Rice	120.44	117.00	120.37	124.89	130.00
Maize	620.68	662.28	681.42	683.64	700.00
Ragi	4.25	4.16	4.44	4.16	4.50
Millets	7.38	7.23	7.41	8.00	8.00
Wheat	641.31	481.27	583.30	350.00	550.00
Barley	41.34	27.76	32.50	25.00	25.00
Gram	2.50	1.29	1.53	0.04	2.50
Pulses	10.21	12.03	15.17	12.04	17.00
Foodgrains	1448.11	1313.02	1446.14	1207.77	1437.00

Growth in foodgrains Production

5.6 There are limits of increasing production through expansion. Like whole country, Himachal too has almost reached a plateau in so far as cultivable land is concerned. Hence the emphasis has to be on increasing productivity levels. Due to an increasing shift towards commercial crops the area under food grains production is gradually decreasing as the area which in 1997-98 was 853.58 lakh hectares declined to 836.97 lakh hectares in 1998-99 and 822.42 in 1999-2000. Increase in production thus reflects gain in productivity as is evident from the table 5.4: -

Table 5.4

Foodgrains Area and Production

Year	Area ('000 hect)	Production ('000 M.T.)	Production Per hectare (M.T.)
1990-91	874.2	1433.3	1.64
1993-94	855.6	1237.2	1.45
1994-95	855.5	1406.4	1.64
1995-96	848.9	1363.3	1.61
1996-97	838.6	1318.3	1.57
1997-98	853.6	1448.1	1.70
1998-99	837.0	1313.0	1.57
1999-2000	822.4	1446.1	1.76

High Yielding Varieties Programme (H.Y.V.P.)

5.7 In order to increase the production of foodgrains emphasis was laid on distribution of seeds of high yielding varieties to the farmers. Area brought under high yielding varieties of principal crops viz; Maize, Paddy and Wheat during the last three years and proposed for 2001-2002 is given below in table 5.5:-

Table-5.5

Area Brought Under High Yielding Varieties (000, Hect.)

Year	Maize	Paddy	Wheat
1996-97	162.41	78.43	360.47
1997-98	166.99	73.95	345.85
1998-99	191.69	80.55	378.26
1999-2000	193.74	74.31	366.52
2000-2001(Likely)	219.00	73.83	323.00
2001-2002 (Proposed)	220.00	78.00	325.00

There are 25 seed multification farms comprising an area of 417.90 hectares where foundation seed is produced for further multiplication. In addition, there are 5 vegetable development stations,16 Potato development stations and 2 ginger development stations in the Pradesh. The potato development farm at Omla Dwar is being developed to supplemen the production of seed Potato.

Plant Protection Programme

5.8 Ir order to increase the production of crops, adoption of plant protection measures is of paramount importance. During each season, campaigns are organised to fight the menace of crop disease, insects and pest etc. The Scheduled Caste/ Scheduled Tribes,IRDP families, farmers of Backward Area and small and marginal farmers are provided plan protection chemicals and equipments at 50% cost. From October, 1998 the Govt. has allowed 30% subsidy on such material to big farmers also. During 2000-2001 an area of about 408 thousand hectares was brought under Plant Protection measures and a target of 420 thousand hectares has been fixed for 2001-2002.

Soil Testing Programme

5.9 In order to maintain the fertility of the soil during each season soil samples are collected from the farmers and analysed in the soil testing laboratories.About 65-70 thousand numbers of soil samples are collected for soil analysis in a year. About 60,000 soil samples are expected to be analysed during 2001-2002 and it is proposed to analyse 68000 during 2002-2003.

Bio-Gas Development Programme

5.10 Keeping in view depleting sources of conventional fuel i.e. Firewood, Biogas Plants have assumed great importance in the low and mid hills in the State.Till December,2001 since inception 41228 Bio-Gas plants have been installed in the State. Out of the total Biogas produced in the Himalayas, about 90.86 % is being produced in Himachal Pradesh alone.During 2000-2001, 692 Biogas plants have been installed in the State and it is proposed to install 550 Biogas plants during 2001-2002.

Fertilizer consumption and subsidy

5.11 Fertilizer is a single input, which helps in increasing the production to a great extent. Starting from demonstration level in late fifties and early sixties when fertilizer was introduced in Himachal, the level of fertilizer consumption is constantly increasing. The level which in 1985-86 was 23,664 tonnes increased to 35,552 tonnes in 2000-2001 and is likely to touch the level of 40,165 tonnes by the end of 9th plan. The State Govt. provides 100 % subsidy on transport of all kind of fertilizers to retail sale points thereby bringing the uniform sale rates of fertilizer in the State.The State Govt. has allowed subsidy on cost of CAN,UREA and AMONIUM SULPHATE @405 per M.T., and on complex fertilizers N.P.K. 12:32:16 @740 per M.T., for tea planters fertilizers are

being made available on 50 % cost subsidies up to 8 hectare tea garden/orchard. About 40,165 M.T. of fertilizer in terms of nutrients are likely to be distributed during 2001-2002. The consumption of fertilizers is shown below in table 5.6:-

Table-5.6

Consumption of Fertilizer

Year	Unit	Nitrogenous (N)	Phosphatic (P)	Potassic (K)	Total (NPK)
1993-94	M.T	25149	2486	1697	29332
1994-95	,,	24849	2403	1975	29227
1995-96	,,	24860	2567	2251	29678
1996-97	,,	27319	3922	3207	34448
1997-98	,,	27002	4382	3468	34852
1998-99	,,	29140	5219	4198	38557
1999-2000	,,	27593	5762	3988	37343
2000-2001*	,,	24418	6540	4594	35552
2001-2002**	,,	27615	7320	5230	40165

*Likely ** Targeted

Agriculture Credit

5.12 Traditionally, non-institutional sources of finance have been the major source of finance for the rural households due to various socio-economic conditions.Since some of them have been lending at exorbitant rate of interest and the poor own few assets, making them unviable for the financial institutions to secure its lending with collateral. However, the Govt. has taken measures to ensure timely and adequate supply of institutional credit to the rural households at reasonable rate.In view of the propensity of the farmers, most of whom are marginal and small farmers, there is need to encourage credit flow for purchase of inputs. No doubt, the overall institutional credit being disbursed but there is much scope to increase the same particularly in respect of the crops for which insurance cover is available. Providing better access to institutional credit for small and marginal farmers and other weaker sections to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices, has been one of the major objectives of the Government.

Kisan Credit Card (K.C.C):

5.13 The scheme is under successful operation for the last 4 years in the state. More than 890 Bank Branches are implementing the scheme. As on September,2001 about 41,499 Kisan Credit Cards against the target of 50,000 were issued by the banks.

Crop Insurance Scheme

5.14 In order to provide insurance to all crops and all farmers, the Government has introduced " Rashtriya Krishi Bima Yojna" in the State from Rabi 1999-2000 season. Under the scheme all the loanees and non-loanee farmers shall be covered and the Govt. shall bear 50 % premium. Initially Maize, Rice, Wheat, Barley and Potato crops have been brought under this scheme but other annual horticultural crops will also be included in next three years. During Rabi, 2000-2001, 864 farmers have been insured for Wheat Crop and claims worth Rs. 42.50 lakh were paid.

Seed Certification Programme

5.15 Agro-climatic conditions in the State are quite conducive for seed production. In order to maintain the quality of the seeds and also ensure higher prices of seeds to growers, seed certification programme has been given due emphasis. Himachal Pradesh State Seed Certification Agency registered growers in different parts of the State for seed production and certification of their produce.

Agriculture Marketing

5.16 For the regulation of marketing of agricultural produce in the State, Himachal Pradesh Agricultural Produce Marketing Act, 1969 has been enforced (implemented). Under the Act, Himachal Pradesh Marketing Board has been established at the State level. The whole of H.P. has been divided into ten notified market areas. It's main objective is to safeguard the interest of the farming community. So far, 41 regulated markets have been established which are providing useful services to the farmers.

Women in Agriculture Programme

5.17 For operationalisation of programme in the traditional sector for women emancipation and empowerment a pilot scheme viz. "Women in Agriculture" has been introduced in three blocks viz. Mashobra, Theog and Rampur of District Shimla. Under this scheme , the farm women are organised into groups, so that Agriculture Technology and Extension support could be smoothly channelised through them.

Tea Cultivation

5.18 To promote tea cultivation the state Government has evolved and notified the policy for this crop and 2000 hectare area has been identified for the introduction of tea cultivation in non-traditional areas in Chamba, Kangra and Mandi district.

HORTICULTURE

5.19 Himachal Pradesh has rich diversity of agro-climatic conditions varying from sub-tropical to humid temperate and cold deserts. The topographical variations and altitudional differences coupled with fertile, deep and well drained soils favour the cultivation of temperate to sub-tropical fruits. The region is also suitable for cultivation of ancillary horticultural produce like flowers, mushroom, honey and hops.

5.20 This particular suitability of Himachal has resulted in shifting of land use pattern from agriculture to fruit crops in the past few decades. The area under fruits which was 792 hectares in 1950-51 with total production of 1200 tonnes increased to 212951 hectares during 2000-2001 with total fruit production of 2.16 lakh tonnes up to December,2001. During 2001-2002, it is envisaged to bring 6000 hectares of additional area under fruit plants against which 3460 hectares of area was brought under plantations and 8.65 lakh fruit plants of different species were distributed up to December, 2001.

5.21 Apple is so far the dominating fruit crop of Himachal Pradesh, which constitutes about 40% of the total area under fruit crops and about 78 % of the total fruit production. Area under apple has increased from 400 hectares in 1950-51 to 3025 hectares in 1960-61 and 88673 hectares in 2000-2001.

5.22 The area under temperate fruits other than apple has increased from 900 hectares in 1960-61 to 32400 hectares in 2000-2001. Nuts and dry fruits exhibits area increase from 231 hectares in 1960-61 to 16396 in 2000-2001, Citrus and other sub tropical fruits have increased from 1225 hectares and 623 hectares in 1960-61 to 39138 and 36344 in 2000-2001, respectively. Unfortunately the production of other fruits has not steadily increased over the years.

5.23 This pace of development is further jeopardized due to the dwindling apple production owing to weather vagaries and market fluctuations. The advent of WTO,GATT and liberalisation of economy is further imposing many challenges on the dominance of apple in fruit industry of Himachal Pradesh.The fluctuations in the production of apple during last few years has attracted the attention of the horticulture department and Government. It is nedeed to explore and harness the vast horticulture potential of the hill State through diversified horticulture production in varied agro-ecological zones.

5.24 In recent years mango has emerged as an important fruit crop. Litchi is also gaining importance in certain regions. Mango and litchi are fetching better market prices. In the midhill zone, the agro-climatic conditions are highly suitable for the

successful cultivation of new fruits like kiwi,olive,pecan and strawberry. The production of fruits for the last three years and current year is given in table 5.8:-

Table 5.8

Fruit Production

('000 tonnes)

Item	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 Upto December
Apple	393.65	49.13	376.73	169.20
Other temperate fruits	17.97	17.90	20.45	22.50
Nuts &dry	3.07	1.89	2.75	2.60
Citrus	13.11	9.26	11.06	8.00
Other sub tropical fruits	19.87	11.23	17.04	14.00
Total	447.67	89.41	428.03	216.30

5.25 During 2001-2002 about 1.88 lakh tonnes of fruits have been exported from the State. Elaborate arrangements were made for making available the packing material to the fruit grower's for packing their fruit produce. The public sector Integrated Carton Manufacturing factory at Pragti Nagar manufactured about 37.05 lakh telescopic cartons during the year for distribution to the orchardists. In addition, 14.90 lakh telescopic cartons, 2.27 lakh of 10 kg cartons and 1.00 lakh of 5 kg cartons were procured from private carton producers on consignment basis and distributed to the fruit growers. About 10 lakh eucalyptus and popular wooden boxes were also brought from outside the State.

5.26 H.P.M.C. a State public undertaking was established in the Pradesh with the objective of marketing fresh fruits and vegetables, processing the unmarketable surplus and marketing the processed products. Since its inception H.P.M.C has been playing pivotal role in the life of fruit growers of the state by providing them remunerative returns of their produce. During the current year upto Nov.2001, H.P.M. C registered a tentative sale/income of about Rs. 19.00 crore. Sales of processed products in domestic market as on November, 2001 is about Rs. 835.00 lakh as against Rs. 637.00 during the same period of last year. Under Market Intervention Scheme (MIS) HPMC has procured about 7037 M.Ts of apple and 151 M.Ts of Citrus fruits. In addition to this, 216 M.Ts of apple were purchased form the state of Jammu and Kashmir. The Corporation produced about 634 M.Ts of Apple Juice Concentrate during the year. During the current year HPMC purchased 11657 boxes of quanlity apple direct from the growers of the state on outright purchase basis which are being sold in the terminal markets of HPMC at Chandigarh, Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Kolkata and Hyderabad etc.. To compete the imported apple in the domestic market HPMC has for the first time, on

experimental basis, procured quality apple from higher altitude for its treatment and pre-cooling.

5.27 To bring diversification in horticulture industry a total area of 15 hectares have been brought under flower cultivation and 48 flower grower cooperative societies have been registered in the Pradesh up to Dec, 2001. Ancillary horticultural activities like Mushroom & Beekeeping are also being promoted. During 2001-2002 up to Dec, 2001, 300M.T. of pasteurized compost for Mushroom was prepared in development projects located at Chambaghat and Palampur and distributed to Mushroom growers and 2500 M.T. of Mushroom was produced. Under the Beekeeping development programme,329 bee colonies have been distributed amongst the Beekeepers and 188 M.T. of honey has been produced against the target of 600 M.T. for the current year up to Dec, 2001

ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

5.28 Raising of livestock is an integral component of rural economy. In Himachal there is a dynamic relationship between common property resources (CPR's such as forests,water and grazing land), livestock and crops. Livestock depend to a certain extent on fodder and grass grown on CPR's as well as on crops and residues, at the same time the animals return fodder, grass and crop residues to the CPR's and fields in the form of manure and provide much needed draught power. Livestock thus is an important integral to the sustainability of economy of Himachal Pradesh.The contribution of major livestock products during the year 2000-2001 was 7.60 lakh tonnes of milk, 1582 tonnes of wool, 81.56 million eggs and 3434 tonnes of meat. It is expected to be 7.75 lakh tonnes of milk, 1650 tonnes of wool and 60.56 million eggs during 2001-2002.

Table 5.9

Milk production and per capita availability

Year	Milk Production ('000tonnes)	Per capita availability(grms./ Day
1996-97	698.0	344
1997-98	714.0	331
1998-99	724.0	329
1999-2000	740.0	330
2000-2001	760.0	343
2001-2002	775.0	343

5.29 Animal Husbandry plays an important role to boost the rural economy and as such for livestock development programme attention is paid in the State by way of (i) Animal Health & Disease control (ii) Cattle Development (iii) Sheep Breeding &

Development of Wool (iv) Poultry Development (v) Feed & Fodder Development and (vi) Veterinary Institutions.

5.30 Under Animal Health and Disease Control, 7 Polyclinics, 302 Veterinary Hospitals, 25 Central Vety. Dispensaries and 1435 Vety. Dispensaries/Centres are working in the State. In Himachal Pradesh there is 1 Vety. Aid Health Care Centre per 3500 animals.

5.31 For improving the quality of Sheep wool, Govt. Sheep Breeding Farm at Jeori (Shimla), Sarol (Chamba), Nagwain (Mandi), Tal (Hamirpur), Karchham (Kinnaur) are supplying improved sheep to the breeders of the State. The flock strength of these farms is 1890 during the year 2001-2002. About 225 rams are likely to be distributed to the farmers during the current year. In view of the increasing demand for pure hoqqets and the established popularity of the Soviet Marino and American Rambuillet in the Pradesh, the state has switched over to pure breeding at the existing Government farms. Ten sheep and wool extension centres are also to continue their functioning.

5.32 Dairy production is an integral part of the Animal Husbandry and form part of the small holder farming in Himachal Pradesh. The recent trend towards the development of a market- oriented economy emphasised the importance of milk production, especially in areas falling in the vicinity of urban consumption centres. This has motivated farmers to replace local non descript breeds of cows with crossbreed cows. Between 1982 and 1992 the total number of miltch animals increased only slightly (less than 1% per annum), but the number of cross-breed cows increased by 17% during the same period. Cross breed cows are preferred because of factors such as longer lactation period, shorter gestation period and higher lactation and yields. There has been a simultaneous increase in the related infrastructure, e.g. veterinary institutions and the Milk Federation (MILKFED).

Milk Based Industries

5.33 The H.P. State Co-operative Milk Producer's Federation is implementing dairy development activities in Himachal Pradesh on 'Anand Pattern' of dairy co-operatives through its 3 units located at Chakkar (Mandi), Totu (Shimla) & Dhagwar (Kangra). It is operating three milk plants with total installed capacity of 40000 litres per day.

5.34 H.P. MILKFED is operating Dairy Development activities in the State by providing a remunerative outlet for the surplus milk to the rural milk producer's residing in remote and far-flung areas. Majority of these milk producers's are small and marginal farmers.The govt. of Himachal Pradesh has increased milk purchase rates by Rs. 2/- per litre w.e.f. 15.11.99.

5.35 The estimated production of various milk products in the organised sector (MILKFED) including milk sold in the market, Paneer,Butter, Ghee and SFM bottles is

shown in table 5.10:-

Table 5.10

Production of Milk Based Industry

Product	Unit	1999-2000	2000-2001	2001-2002 Upto Dec.
Milk sold	Lakh lts.	71.11	75.00	58.00
Paneer	M.T.	4.30	24.46	23.61
Butter	M.T.	5.4	4.02	3.96
Ghee	M.T.	34.32	34.91	28.54
SFM	lakh bottles	0.34	0.52	0.32

FISHERIES AND AQUACULTURE

5.36 Himachal Pradesh is blessed with vast and variegated fishery resources in the shape of networks of rivers, streams, tributaries, sprawling reservoirs, natural lakes and ponds etc. Mainly classified into riverine, lacustrine, recreational and pond fisheries, the State waters offer considerable potential for the promotion of fisheries and generating employment. About 12000 fishermen families in the Pradesh depend directly or indirectly on this occupation for their livelihood . During 2001-2002, cumulative fish production of the state recorded an increase of about 20% during the period ending December ,2001. The fish seed production during the year reached to 25 million compared to 23 million during the corresponding period last year. A record fish production is likely to be witnessed from state's reservoirs during the current year Till mid Jan.2002, 1208 tonnes of fish valued Rs.314.90 lakh has already been harvested and by the end of year it is expected to reach 1600 tonnes. Till mid-January, over 900 tonnes of fish surpassing the earlier record of 837 tonnes has already been harvested from Gobind Sagar and a record level of over 1200 metric tonnes production is expected during the year. A record production of 17 tonnes of rainbow trout was also achieved from the departmental and private farms during the year. In recognition to this, the Govt. of India has sanctioned a 100% centrally sponsored Pilot Scheme on cold water Aquaculture, which envisages renovation of trout farms and providing subsidy to trout farmers. Significantly, under the 2nd phase, the NORAD has sanctioned an 'Institutional Co-operation Project' on fish health and nutrition to be taken up jointly by Norwegian scientists and state fisheries Department. For the first time 100% added project of Rs6.00 lakh on 'Habitat Improvement of Trout Streams' has been got sanctioned from the Govt. of India. Plan has been drawn for the development of recreational fisheries in Ravi and Sutlej basins and fish farming in the riparian area of Suketi Khud, which projects will be entirely funded by NJPC, BBMP & NHPC. An amount of Rs.20.75 lakh was disbursed to 651 fishermen families under various fishermen welfare schemes.

IRRIGATION

5.37 To increase the crop production the importance of irrigation is well established. Adequate and timely supply of irrigation water to crops is the pre-requisite

in the agriculture production process, particularly in areas where the rainfall is scanty and irregular. The supply of land is fixed that is inelastic, therefore, the accelerated growth in production is possible through multiple cropping and realisation of higher crop yields per unit area, which in turn depends upon irrigation. Creation of irrigation potential and its optimum utilization continues to receive a high priority in Government Planning.

5.38 Of the total geographical area of Himachal, only 5.83 lakh hectares is the net area sown. It is estimated that ultimate irrigation potential of the State is approximately 3.35 lakh hectares. Out of this, 0.50 lakh hectares can be brought under irrigation through major and medium irrigation projects and balance 2.85 lakh hectares of area can be provided irrigation through minor irrigation schemes of different agencies.

5.39 The only major irrigation project in the State is Shahnehar Project in Kangra District. On completion of this project an irrigation potential of 15287 hectares shall be created.

5.40 The work on the medium irrigation projects was taken in hand in the State during fifth plan. Since then four medium projects creating a CCA of 11236 hectares in the State have been completed. The completed projects are Giri Irrigation Project(CCA 5263 hectares), Balh Valley Project (CCA 2410 hectares), Bhabour Sahib Phase-I(CCA 923 hectares).The Bhabour Sahib phase-II(CCA 2640) has been completed in June 1998

5.41 The assessed irrigation potential and CCA created is shown in the table below:-

Table-5.11

Assessed irrigation potential and CCA created

Item	Unit	Area
Total Geographical Area	Lakh Hectare	55.67
Net area sown	Lakh hectare	5.83
Ultimate Irrigation Potential available..		
a) .Major and medium Irrigation	Lakh hectare	0.50
b) .Minor irrigation	Lakh hectare	2.85
CCA created upto		
31.3.99	Lakh hectare	1.91
31.3.2000	Lakh hectare	1.93
31.3.2001 (P)	Lakh hectare	1.95

Note:- Irrigation projects with a Culturable Command Area(CCA) of more than 10000 hectares are classified as major projects and projects with CCA of more than 2000 hectares and upto 10000 hectares as medium projects. Minor projects have CCA less than 2000 hectares.

The scheme-wise achievements during the year 2001-2002 and proposed targets for the year 2002-2003 are as follows;-

Major and Medium Irrigation

5.42 During 2001-2002, an amount of Rs.1180.00 lakh has been provided to bring an area of 100 hectares under irrigation. At the end of Nov, 2001, an expenditure of Rs. 632.31 lakh has been incurred covering an area of 50 hectares. It is proposed to cover 300 hectares of area with an outlay of 1218.00 lakh during 2002-2003.

Minor Irrigation

5.43 During the year 2001-2002, there is a provision of Rs.4200.56 lakh in the State sector to provide irrigation facilities to an area of 2000 hectares. Upto Dec.,2001, 1619 hectares have been covered with an expenditure of Rs. 2921.66 lakh. It is proposed to bring an area of 2000 hectares under irrigation during the year 2002-2003 with an outlay of Rs 6058.90 lakh.

Command Area Development

5.44 During the year 2001-2002, a provision of Rs.269.60 lakh including Central Assistance has been kept to construct field channel in 1000 hectares and Warabandi in 1000 hectares against which 981 hectares under field channel and 1206 hectares under Warabandi has been covered upto Dec., 2001 with an expenditure of Rs. 134.26 lakh. An outlay of Rs. 175.00 lakh has been proposed to carry out C.A.D work during 2002-03.

Flood Control Works

5.45 During the year 2001-2002, a sum of Rs.631.92 lakh has been provided to protect 500 hectares of land. Upto Dec.,2001, Rs. 339.91 lakh has been spent and an area of 301 hectares have been covered. It is proposed to protect 500 hectares with an outlay of Rs. 1243.02 lakh during 2002-2003.

FOREST

5.46 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,033 square kilometers and form about 66.5 percent of the total geographical area of the State. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry management is conservation along with rational utilization and side by side expanding its base. The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as under:-

Forest Plantation

5.47 Forest plantation is being carried out under Productive Forestry Scheme and Soil Conservation Schemes. Productive Forestry Scheme includes introductory plantation of quick growing species, economic plantation , pasture improvement, fuel and fodder and minor forest produce. An area of 8533 hectares was covered with a cost of Rs.564.59 lakh upto September, 2001.

Wild Life and Nature Conservation

5.48 Himachal Pradesh is known for its diversity of animal and bird habitat and population. The scheme aims at improving the habitat and facilitating provision of areas (sanctuaries) so as to afford protection to the various species of birds and animals facing extinction. An amount of Rs.153.53 lakh (including central share) has been utilised for this purpose upto September,2001.

Forest Protection

5.49 Forests are exposed to dangers of fire, illicit felling and encroachments. It is ,therefore, necessary that checkposts at suitable places are established to curb illicit timber trade, fire fighting equipments and techniques are introduced and made available to all the forest divisions where fire is a major destructive element and communication network is also required for good management and protection. Upto September, 2001, Rs. 5.30 lakh has been spent.

Externally Aided Projects

Indo-German Eco-development Project (Changar Area Project)

5.50 An Indo-German Eco-development Project for Changar area of Palampur Sub-division with the assistance of Federal Republic of Germany is being implemented. The total cost of the project is estimated to be Rs. 50.00 crore. The project has multi disciplinary approach by integrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry. During the year 2001-2002 a sum of Rs.180.00 lakh has been provided for this, out of which a sum of Rs.60.00 lakh has been spent on forestry sector upto September, 2001.

Himachal Pradesh Forestry Project (DFIDI) U.K. Assistance:

5.51 The project covering Mandi and Kullu districts was launched in October,94 and completed in March,2001. The total outlay of the project was Rs.2172.40 lakh and against this a sum of Rs.2171.24 lakh was spent upto March,2001. The main aim of the project was to achieve sustainable forest planning and management through

introduction of Joint Forest Management approach. The phase second project titled "H.P Forest Sector Reforms Project" will have four year term from April,2002 to 2006 and total cost of the project will be Rs.60.00 crore. The Donor agency has conveyed its approval but MoU will be signed by the Government of India and the Government of United Kingdom.

Watershed Development Project for Himalayan Hills (Kandi Project)

5.52 An integrated Watershed Development Project for Himalayan Hills (Kandi areas) has been launched in the State during 1990-91 with the assistance from the World Bank with an outlay of Rs.59.90 crore in five watersheds namely, Ghagger (Solan), Swan (Una), Sirsa (Solan), Chakki (Kangra) and Markanda(Sirmaur). The first phase of the project ended in March, 1999 and since then phase II has started with an outlay of Rs.170 crore. The main objectives of the project are to improve the socio-economic conditions of farmers living in these areas and to slow down and reverse the process of degradation of environment through the use of appropriate soil and moisture conservation intervention. The project has a multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forest , Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry. During the year 2001-02, a sum of Rs.2578 lakh was provided for afforestation, soil conservation treatment, horticultural activities and agricultural activities, stream bank protection and other civil works. An amount of Rs.900.88 lakh has been spent upto September, 2001.

6. INDUSTRIES AND EMPLOYMENT

INDUSTRIES

6.1 Himachal Pradesh has made significant achievements in the field of industrialisation in the past few years. With the ushering in the liberalised economy and the consequent delicensing of most of the activities, the flow of investment in our state has increased manifolds . The department has received tremendous response for setting up new industrial ventures in the State. At present, there are 191 medium and large scale industries and about 29,200 small scale industries with a total investment of Rs. 3031 crore working in the state. The annual turnover of industrial sector is approximately Rs.4,800 crore and these industries provide employment to about 1.55 lakh persons. The Government has done away with the mechanism of Industrial Projects Approval and Review Authority(IPARA) and the entrepreneurs are no longer required to obtain the approval of the Government for setting up of units in medium and large scale sector. The Government has also introduced a concept of single man clearance by nominating a senior officer of the Directorate as nodal officer for projects in medium and large sector for getting clearance from various departments/agencies. During the current year, upto December,2001, 20 projects with an investment of Rs. 243.85 crore in medium and large scale sector were granted registration. In these industries about 2350 persons will be provided employment. District Industries Centres(DICs) have been functioning in all the districts of the Pradesh. The objective of DIC programme is to provide all facilities, services and support required by village and small entrepreneurs under single roof. During the year 2001-02, upto December,2001, 497 small scale industrial units were registered on permanent basis and employment opportunities were provided to 2,436 persons.

6.2 In addition to this, 3 Industrial units in medium and large scale sectors with an investment of Rs.52.82 crore and employment opportunity to about 335 persons were also setup upto December,2001. In order to provide infrastructural facilities to the entrepreneurs, (i) Industrial areas at Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta Sahib, Mehatpur, Shamshi, Nagrota Bagwan, Bilaspur, Reckong Peo, Sansarpur Terrace, electronics complex at Chambaghat(Solan), Mandi, Nerchowk, Parel, Bhambla, Hamirpur, Shoghi, Chamba, Amb, Tahliwala and Kala Amb and (ii)Industrial estates at Dharampur, Kangra, Jawali, Maighal, Saigloo and Dehra-Gopipur were established. In addition, more industrial areas/estates are being developed in the Pradesh.

6.3 Prime Minister Rojgar Yojna for providing assistance to educated unemployed youths for self employment has been launched all over the State. During the current year a target of providing assistance to 3,000 educated unemployed youths has been kept and upto December, 2001, 1,902 cases were sanctioned loan amounting to Rs.1,366.77 lakh and 1,432 cases were actually disbursed loan amounting to Rs. 991.34 lakh. The remaining cases are under process.

6.4 The Department imparts training to rural unemployed educated youth. In order to inculcate the culture of industrialisation at the grass root level various types of entrepreneurs development programmes for different target groups are organised . The basic objective of this programme is to motivate the potential entrepreneurs for setting up tiny cottage and small scale industries by making them aware of the rules and regulations, incentives and facilities available for setting up of self employment ventures. These programmes also create awareness of appropriate technologies. The duration of training programme varies from 3 days to 6 weeks depending upon the type of programme. Under the entrepreneurs development scheme 8 IAP's were conducted against the target of 11 upto December 2001 in which 189 persons have been trained.

Industrial policy

6.5 The Government of Himachal Pradesh has given priority for rapid industrialisation of the State with the main objective of generating employment opportunities and economic development on sustainable basis . For this purpose the government has enacted the Industrial Policy guidelines-1999. The following are the major objectives of the policy:-

i) To focus on development of qualilty infrastructure particularly in the high potential growth centres to attract more units into the state with the objectives of increasing employment and income.
ii) To strive to achieve balanced economic and social growth in all regions of the State through process of planned Industrialisation in different regions particularly the industrially backward areas.
iii) To encourage and sustain the cottage and tiny Industrial sector which employs a large number of persons in the State with low investment and contributes significantly to the State Industrial produce
iv) To provide employment opportunities to the unemployed Himachalis both in rural and urban areas.
v) To promote and regulate industrialisation in a manner which ensures environmental protection and pollution control.

Sericulture Industry

6.6 Sericulture is one of the important cottage industries of the Pradesh which provides subsidiary employment to farmers for supplementing their income by rearing silk-worms and selling cocoons produced by them. During 2001-2002, upto December, 2001, 0.97 lakh Kg. reeling Cocoons were produced and 5.00 lakh mandays were generated.

Arts and Exhibitions

6.7 With a view to promote the products being manufactured by various industrial units in the State, the Pradesh has been participating in various fairs , festivals and exhibitions organised at National and International level. During the current year the State displayed its produce in International Trade Fair at New Delhi, Dussehra Fair at Kullu and Lavi Fair at Rampur.

Handloom and Handicrafts

6.8 Handloom and handicrafts is an important cottage industry of the state. There are about 0.50 lakh handlooms in the State which are primarily based on wool. There are several schemes such as market development assistance, workshed cum housing scheme and project package scheme etc., under which weavers are provided assistance to promote handloom products. In addition to this 450 weavers of 11 handloom agencies of the state were benefitted under centrally sponsored scheme of Deen Dayal Hathakargah Protsahan Yojana with the project cost of Rs.25.00 lakh during the current year.

EMPLOYMENT

6.9 As per 1991 Census, 34.41 percent of the total population of the Pradesh is classified as main workers, 8.42 percent marginal workers and the rest of 57.17 percent as non-workers. Of the main workers, 63.25 percent are cultivators and 3.30 percent agricultural labourers, 1.43 per cent are engaged in household industries and 32.02 per cent in other activities. The employment assistance/information service for placement of Himachalis in various industrial units, institutions and establishments in the Pradesh is rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 2 university employment and guidance bureau, and 53 sub-employment exchanges

Employment Exchange Information

6.10 During the period 1.1.2001 to 30.11.2001 in all, 1,32,431 applicants were registered and 3,018 placements were done. The number of vacancies notified during this period by various employers were 1,764. The consolidated number on live register of all employment exchanges stood at 9.11 lakh on 30th November, 2001.

Employment Market Information Programme

6.11 At the district level, the employment data is being collected under the employment Market Information Programme since 1960. The total employment in the state as on 31.12.2000 was 3.03 lakh both in public and private sector.

Central Employment Cell

6.12 With a view to provide technical and highly skilled manpower to the industrial units, institutions and establishments, the central employment cell which has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the State remained engaged in rendering its services during the year 2001. The main objective of setting up of this cell is to make available the technical and highly skilled and un-skilled manpower to the industrial units in the private sector as per their requirements.Thus under this scheme, assistance is provided to the employment seekers on the one hand in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications and experience and to employers on the

other hand to recruit suitable workers without wastage of money, material and time. As on 30st November, 2001 there were 10830 technical and highly skilled persons registered with the cell on the basis of the duplicate registration cards received from their parent employment exchanges. As many as 2,674 vacancies of various nature were notified upto 30.11.2001 by employers of private sector establishments, out of which, 529 vacancies were of technical and highly skilled nature. The central employment cell sponsored 9,719 candidates of various trades, including unskilled, to the various industrial units out of which 2,711 candidates were of technical and highly skilled nature. Upto 30.11.2001, 433 persons were placed in various private sector industrial units of the Pradesh, out of which 284 were of technical and highly skilled nature.

Special Cell for the Placement of Physically Handicapped Persons

6.13 During the period from 1st January, 2001 to December, 2001, 1,301 physically handicapped persons were brought on the live register of this special cell bringing the total number to 9,339. Besides, 203 reserved vacancies were notified and 243 physically handicapped persons were sponsored against these vacancies 70 physically handicapped persons were placed in gainful employment.

Minimum Wages

6.14 Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act, 1948 for the purpose of advising the State govt. generally in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the workers in the 24 scheduled employments. On the recommendations of this board, the State Govt. revised the minimum rates in respect of unskilled workers from Rs. 45.75 to Rs. 51.00 per day on 1.1.1999 which have further been increased from Rs.51 to Rs.55 w.e.f. 1.8.2001 for all the 24 scheduled categories of employment .

Labour Welfare Measures

6.15 Under the Bonded Labour System Abolition Act, 1976 the State Govt has constituted vigilance committees at the district and sub-divisional levels, besides a screening committee at the State level. The Pradesh Govt. has constituted a Labour Court and an Industrial Tribunal with headquarters at Shimla for adjudication of industrial disputes. Under the Industrial Disputes Act, 1947 an independent presiding officer of Labour Court/Industrial Tribunal of the rank of District and Sessions Judge has been appointed. The Employees State Insurance scheme is applicable in the areas of Solan, Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Mehatpur, Nalagarh,Paonta Sahib, Kala-Amb and Shimla town. About 53 establishments with an estimated employment of 2,439 workers were covered under this scheme and 117 establishments with an estimated employment of 2,602 workers were covered under the Employees Provident Fund Act,1952. During the year 2001, 30 trade unions were registered under the Trade Union Act,1926 .Under the Industrial Disputes Act, 1947, 409 disputes were received out of which 294 were referred to the Labour Court/Industrial Tribunal H.P. for adjudication during the year 2001.

7. POWER

7.1 Himachal Pradesh State Electricity Board is engaged in the investigation and execution of various hydro-electric projects and transmission and distribution of electricity. It is a matter of satisfaction that despite very difficult and mountainous terrain all the inhabited villages in the State have already been electrified.

7.2 Himachal Pradesh has a vast hydel potential and through preliminary hydrological, topographical and geological investigations, it has been estimated that about 20,300 MW of hydel power can be generated in the State by constructing various major, medium, small and mini/micro hydel projects on the five river basins. In addition, a large number of unidentified areas have still been left in the river basins which can contribute substantially to the power potential of Himachal Pradesh by way of mini/micro, medium and even large projects. Also in view of the rising cost of thermal and nuclear generation, many identified projects which have been excluded from the above mentioned hydel potential on account of non-suitability due to high cost of generation, will also become viable in future. On these two considerations, a conservative estimate of the total potential in Himachal Pradesh could well be put up at 25,000 MW or even more. Out of the total hydel potential only 3942.07 MW has been harnessed so far, out of which only 326.80 MW is under the control of Himachal Pradesh as bulk of the potential has been exploited by the Central Govt. and other agencies. The huge hydel potential of the State can play a major role in power development programmes in the northern region which will provide an economic base for the overall development of Himachal Pradesh.

7.3 Hydel power generation in the Pradesh has been accorded top priority from Sixth Plan onwards because it will not only meet the increasing power demand within the State but also bridge the gap in the demand and supply in the northern region as a whole. In view of this, a phased programme has been chalked out to take up various major, medium, small and mini/micro projects in the State during the Tenth Five Year Plan besides completing the ongoing projects as early as possible. The State Government has prepared an ambitious plan to accelerate hydro generation by adding 459 MW power under state sector during the 10^{th} Plan i.e 2002-2007 in comparison to earlier achievements of 139.5 MW in 7^{th} Plan, 27.30 MW in 8^{th} Plan and 33.50 MW power in 9^{th} Plan period.

7.4 To match the increasing activities on construction of hydel projects, there is an immediate need to lay emphasis on adequate transmission and distribution net work in order to transmit power from these projects and its distribution for utilisation within the State.

7.5 In the field of rural electrification, the State has made remarkable achievements. Inspite of the fact that Himachal Pradesh was a late starter in the field of rural electrification and also because of very difficult and mountainous terrain, it is a matter of satisfaction that all the inhabited villages of the State were electrified by the

end of June,1988. Intensive electrification schemes are also in operation for electrification of left out houses and further improvement in the availability and reliability of electric supply in the State.

7.6 Brief description of various activities under generation , transmission distribution, private sector participation etc. is given below:-

GENERATION

On going projects

Larji Hydel Project(126 MW)

7.7 The Project was accorded clearance by CEA and Planning Commission during 1987 for an estimated cost of Rs. 168.85 crore(April 1984 price level) with a generating capacity of 126 MW(3x42 MW). The revised estimated cost at March,1999 price level is Rs. 796.98 crore at Power House bus bars. This project has been taken up in state sector and its cost is proposed to be partly met out of State Plan and partly by raising loan from financial institutions.The first generating unit is likely to be commissioned by March,2004. The commissioning of 2nd and 3rd units will follow in May,2004 and July,2004 respectively.

Khauli Hydro Electric Project(12 MW)

7.8 Khauli Hydro Electric Project has been conceived as a run of the river scheme on Khauli, a tributary of Gaj Khad in the Beas basin in Shahpur Tehsil of Kangra Distt. The estimated cost of this project at June,1999 price level is Rs. 72.07 crore. The execution work of the project has been undertaken by HPSEB under State Plan and is likely to be completed in March, 2004.

Uhl Stage III (100 MW)

7.9 Uhl hydro electric project stage III, a downstream development of two stages of the Uhl project viz. Shanan(110 MW) and Bassi (60 MW) is located near Jogindernagar in district Mandi. The project is scheduled for completion in March,2006.

Kashang Stage – I (66 MW)

7.10 Kashang and Kerang streams/khads are the major tributaries besides Spiti, Bhaba and Baspa of river Setluj situated in Kinnaur. Detailed project on Kashang HEP (66 MW) has been accorded Techno-Economic sanction by HPSEB and shall be taken up in the state sector after the funds are arranged and statuatry clearance obtained.

Ghanvi Stage-II Hydro Electric Project (8 MW)

7.11 This project is a run of the river type development on Ghanvi rivulet , a tributary of Setluj river, which contemplates the generation of 8 MW of power. The project will be taken up in the state sector to be executed by HPSEB.

Shalvi Hydro Electric Project (7 MW)

7.12 This project is contemplated as a run of the river scheme utilizing the water of Shalvi Khad (a tributary of river Yamuna) in district Shimla. The techno-economic clearance for this project has been accorded by HPSEB.

Mini Micro Hydro Electric Projects

7.13 The works on 4 mini/micro hydro electric projects viz., Holi(3 MW), Sal-II(2 MW), Bhaba Augmentation Power House (3 MW) and Gumma(3 MW) with an estimated cost of Rs. 48.66 crore again revised to Rs.68.05 crore is being executed on turnkey basis/departmentally for which an amount of Rs. 16.40 crore has been sanctioned by MNES Govt. of India as grant-in-aid. The balance expenditure shall be met from State Plan. Out of these projects,Sal-II has been commissioned in September,1999, Gumma (3 MW) during August, 2000 whereas Holi and Bhaba Projects will be completed during 2001-02 .

Nathpa Jhakri Hydro Electric Project(1,500 MW)

7.14 This project with an installed capacity of 1500 MW is being executed jointly by the State and the Central Government through the Nathpa Jhakri Power Corporation Ltd.with an equity participation of 1:3. It will generate 6,700 million units of energy in a 90 percent dependable year and 7,447 million units of energy in a 50 percent mean year.Himachal Pradesh will get 12 percent free power in addition to 25 percent of balance 88 percent of energy generated at generation cost at the bus bar. World Bank loan amounting to 437 million U.S. dollars has been sanctioned for the generation component of this project and the balance funds have been or are being arranged through bilateral funding from other financial institutions.The latest revised cost of this project at June,1998 price level is Rs.7,666.00 crore.

Kol Dam (800 MW)

7.15 The state Government has decided to execute Kol Dam HEP (800MW) through NTPC (A Government of India Undertaking) in the central sector. In this regard an agreement was reached between Govt. of Himachal Pradesh and NTPC during Febraury,2000. It is likely to be completed during the 10th Plan. At present infrastructural activities , land acquisition and clearance of its report from CEA is in process.

Parbati Hydro Electric Project(2051MW)

7.16 The Parbati Hydro Electric Project is proposed to be taken up in three stages:Stage-I (750MW), Stage-II (800MW) and Stage-III (501MW) on river Parbati, a tributary of Beas river in Himachal Pradesh. An Agreement for the execution of Parbati Hydro Electric Project was signed on 20.11.98 between Himachal Pradesh Government and National Hydro Electric Power Corporation. Stage-II has been taken up for construction. The foundation stone of this project has been laid in November, 1999. NHPC has started preliminary works on stage-II of the project. Environmental clearance has been accorded by MOEF in June, 2001.

Chamera III (Hibra) Hydro Electric Project (231 MW)

7.17 An agreement has been signed in July,2001 by the Government with M/s NHPC for execution of the project . It is scheduled for commissioning by July,2004. The work on the project is in progress and is ahead of schedule.

7.18 The electricity generated during 2000-2001 was 1153.3 million units while during this year upto December, 2001, it was 985.7 million units. As many as 358 pumpsets have been energised upto December,2001.

Private sector participation

7.19 Due to limited resources available with the Centre and State Governments, the Government of India has approved the participation of the private sector in the generation, supply and distribution of electricity in the country in order to overcome the anticipated power shortage. As a result, the Himachal Pradesh Government had given seven hydroelectric projects in private sector for implementation. The status of these projects is as given below:-

1. **Baspa Hydro Electric Project(300MW):-** Himachal Pradesh Govt. signed an implementation agreement with M/s Jai Prakash Industries Ltd., in Oct.1992 for execution of the project in private sector. The work on the project is in progress. The Power Purchase Agreement was signed with the company in June,1997. The project is scheduled for commissioning by July,2003.

2. **Dhamwari Sunda Hydro Electric Project (70 MW):-** The Implementation agreement with M/S Dhamwari Power Company (PVT)Ltd. was signed in Oct., 1996. The techno-economic clearance for the project has now been issued by CEA in July,2001.

3. **Karcham Wangtoo Hydro Electric Project (1000 MW):-** Government signed the MoU with M/S Jai Prakash Industries Ltd.

on 28.8.93. The DPR submitted by the Company has been forwarded to CEA for techno economic clearance alongwith HPSEB's comments. The Company has been asked to obtain the techno-economic clearance of the project and IA has been signed in Nov.1999. As per the agreement the project is to be commissioned by November,2009.

4. **Neogal Hydro Electric Project (15 MW):-** MoU was signed with M/S Om Power Corporation in Aug.1993. Implementation Agreement was signed in July,1998. Draft PPA between the company and the HPSEB has been signed in Dec.1999. The enviornment and forest clearance for the project stands accorded by the DOEF.

5. **Allian Duhangan Hydro Electric Project (192 MW):-** MoU was signed with M/S Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd, in Aug.,1993. The Company is in the process of firming up of the cost estimates.The implementation agreement has been signed in February,2001. The Forest and Enviornment clearance stands accorded by MDEF.

6 **Mallana Hydro Electric Project (86 MW):-** Implementation Agreement for the project was signed with M/S Mallana Power Company Ltd.in Sept.,1998 and the project has started generating electricity w.e.f 5.7.2001.

7.20 The Govt. of Himachal Pradesh had invited global bids from independent power producers (IPPs) for execution of 8 projects totalling 254 MW in private sector during April/June, 1999. The MoU of these projects stands signed in June,2000.

7.21 The global bids in respect of 9 hydro electric projects totalling 448.5 MW has been advertised during July,2001. The evaluation of bids is in progress.

HIMURJA

Development of Non-conventional New & Renewable Sources of Energy

7.22 With the growth in the economy the demand for energy increases tremendously due to rapid industrialisation , better standard of living and increased infrastructural net work. As the conventional sources of energy are limited, there is an immediate need to explore new and alternative sources of energy, encourage the use of proven technologies such as solar water heating system and other efficient energy devices.

7.23 Solar energy utilisation forms an important part of the new and renewable sources of energy. HIMURJA has made concerted efforts to popularise renewable energy through the Integrated Rural Energy Planning Programme (IREP)

which has been taken up as fulfledged programme in 45 blocks in the Pradesh with the financial support of Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), Govt. of India. Efforts are also being made to propagate fuel efficient devices and non-conventional energy devices like solar cookers, solar water heating systems, solar dryers, improved chullahs, improved water mills, and photovoltaic lights (for IRDP families) etc. The achievements made during the year 2001-02 upto December,2001 are as under:-

Solar Thermal Extension Programme

7.24 During the year 2001-02, 260 solar cookers have been provided to potential beneficiaries upto December,2001, 62 solar water heating system of different capacity have been installed/booked in different parts of the state. The Govt. of H.P. has taken a decision to make the installation of Solar Water Heating System mandatory in all Govt. buildings/institutions etc. In the first phase, Solar Water Heating Systems in Zonal Hospital at Dharamshala , Raj Bhawan at Shimla, H.P. Sectt., Himurja office Building, Indira Gandhi Medical College, Shimla and Zonal Hospital, Khneri-Rampur have already been installed and are working satisfactorily.The insallation work for 12,000 LPD solar water heating system at Himachal Bhawan, Chandigarh has also been completed.

7.25 Upto December,2001 HIMURJA distributed 715 Solar PV lanterns, 1535 Solar PV domestic lights at subsidised rates in different blocks in the Pradesh. 165 solar photovoltic street lighting systems have also been installed for community use during the year under report.

Mini / Micro Projects

7.26 Under the UNDP-GEF scheme HIMURJA is executing 5 projects at Lingti (400 KW) , Kothi (200 KW) , Juthed (100 KW), (Purthi 100 KW), and Sural (100 KW). Kothi and Juthed projects have been commissioned and Lingti is nearing completion. Purthi and Sural will be commissioned during August,2002. Three more projects viz. Solang (1000KW), Raskat(800 KW) and Titang (900 KW) are being executed by private investors. Raskat Project has been commissioned and the other two are nearing completion. These projects are located in remote and tribal areas of the state. Two more projects namely Gharola (100 KW) and Bara Bhangal (40 KW) are also being executed by HIMURJA. These projects are in advanced stage of completion.

Portable Micro Hydel Generator Sets

7.27 15 Portable Micro Hydel Generating sets with aggregate capacity of 200 KW have been commissioned. Out of which, 12 are in Pangi sub division of Chamba distirict, 2 in Dodra Kawar and 1 in Sarhan in Shimla district.

Micro Hydel Projects

7.28 The State Govt. has entrusted the implementation part of small hydro potential upto 5 MW through private investment to HIMURJA under the administrative control of MPP & Power Department. In the first and second phases, MOUs for 88 projects with an aggregated capacity of 121.66 MW were signed with private sector investors. The Implementation Agreement and Power Purchase Agreements for 35 projects with an aggregate capacity of 81.05 MW and Power Purchase Agreements for 23 projects with a total capacity of 47.75 MW have been signed with private investors. In the 3rd phase (2000-2001) 117 project sites with an aggregate potential of 191.89 MW were alloted to private sector companies out of which MoUs for 108 projects with aggregate capacity of 172.59 MW have been signed.

8. TRANSPORT AND COMMUNICATION

Roads and Bridges (State Sector)

8.1 In the absence of any other suitable and viable modes of communication like railways and waterways, roads play a vital role in boosting the economy of the hilly State like Himachal Pradesh. Starting almost from a scratch the State Government has constructed 27,217 Kms. of motorable roads inclusive of jeepable track till 31st March,2001. Government has been attaching a very high priority to road sector. For the year 2001-2002, there was an outlay of Rs. 22,754.09 lakh. The target fixed for 2001-2002 and achievements made upto December, 2001 and anticipated upto March, 2002 are given as under:-

Table 8.1

Item	Unit	Target for 2001-2002	Achievement upto Dec., 2001	Anticipated upto March 2002.
1. Motorable	Kms.	375	347	375
2. Cross-drainage	"	450	336	450
3. Metalling and tarring	"	600	587	650
4. Jeepable	"	15	15	15
5. Bridges	No.	35	33	35
6. Villages connected	"	30	19	30

National Highways (Central Sector)

8.2 The process of improvement of National Highways in the State with total length of 1,235 Kms. which include urban links and bye-passes continued during the year also. Upto the end of December,2001, 37 Km. long portion had been widened to double lane width, besides, 116 Km. long portion had been provided with metalling and tarring including extension of pavements.

8.3 The total road length was 27,217 Kms. in the State as on 31.3.2001 and 7,867 villages as detailed below in table 8.2 were connected with roads:-

Table 8.2

Villages connected with road	As on 31st march		
	1999	2000	2001
Villages with population More than 1500	184	184	185
1000-1500 population	223	224	224
500-1000 population	839	843	847
200-500 population	2517	2551	2575
Below 200 population	3973	4001	4036
Total	7736	7803	7867

Railways

8.4 There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka (96 Kms.) and Jogindernagar with Pathankot (113 Kms.) and one 16 Kms. broad gauge railway line from Nangaldam to Una.

Road Transport

8.5 Himachal Road Transport Corporation came into existence on 2nd October,1974 consequent upon the amalgamation of the erstwhile Himachal Govt. Transport and erstwhile Mandi Kullu Road Transport Corporation. Providing of efficient adequate, economical and well co-ordinated passenger transport services in the state are the main objectives of the corporation. Road Transport is the main stay of economic activity in the Pradesh as other means of transport namely Railways, Airways, Taxis, Auto-Rickshaw etc. are negligible. As such the Road Transport Corporation assumes great importance Himachal Road Transport Corporation is providing passenger transport service to the people within and outside the state, with a fleet strength of 1,766 buses (as on 30th November,2001). The operational income of H.R.T.C during 2001-2002 upto November,2001 increased to Rs. 135.48 crore. The Corporation has also started advance booking and providing general information to the Public through Internet(by creating web-sites).

8.6 For the benefit of people the following schemes remained in operation during the year:-

(i) **Smart Card Scheme:**- Smart Card is obtainable on payment of Rs. 50 and valid upto one year. Passengers get a discount of 10 per cent and senior citizens get discount of 20% if the journey is undertaken beyond 10 Kms. .

(ii) **Group Discount Scheme:**- A group of 4 to 9 persons travelling more than 100 Kms. will get a discount of 10 per cent and a group of more than 9 persons will get a discount of 15% in fare.

(iii) **Courier Service:**- H.R.T.C. has introduced courier service through its buses from booking office to booking office w.e.f. 1.11.2000.

9. TOURISM AND CIVIL AVIATION

9.1 Tourism in Himachal Pradesh has been recognised as one of the most important sectors of the economy as it is being realised as a major engine of growth for future. Himachal Pradesh is endowed with all the basic resources necessary for thriving tourism activity: geographical and cultural diversity, clean, peaceful and beautiful streams, sacred shrines, historic monuments and the friendly and hospitable people.

9.2 Tourism Industry in Himachal Pradesh has been given very high priority and the Government has developed an appropriate infrastructure for its development which includes provision of public utility services , roads, communication network, airports, transport facilities, water supply and civic amenities etc. Huge investment is being done to develop the infrastructure for the development of tourism.For the year 2001-2002 there is an allotment of Rs.488.50 lakh for the development of Tourism and Rs. 67.26 lakh for the Civil Aviation. The department of Tourism is trying to promote the tourism by undertaking various activities. With a view to promote new unexposed areas in the State, HPTDC is going to set up its complexes at Keylong, Kaza, Sangla, Kasauli, Kalpa and Kharapathar. In addition, schemes for development of sports facilities near Club house Manali, construction of parking near Chandertal Café-Manali, Dalhousie, Trekkers hostel at Janjehali (Mandi), toursit complex at Bilaspur, 10 additional rooms at hotel Hamir (Hamirpur), development of pilgrimage tourism, Govind Sagar Lake (Bilaspur), Tourist reception centre Sundernagar, Jawalaji, Art and Craft village at heritage village Paragpur, illumination of Bagla Devi temple Dehra, wayside amenities at Kufri and Manali, parking at Handicraft village Kufri, water sports centre near Dehra, wayside amenities and parking at Rohtang pass, tourist facilities at Solang Nallah in Manali have been undertaken during 2001-2002 which have also been prioritised by the Govt. of India. Special attention is being paid to provide quality services to the pilgrims at Chamunda, Jawalaji, Kangra, Deot Sidh, Chintpurni and Naina Devi.

9.3 In order to promote tourism, dissemination of tourist information plays significant role. Department of tourism prepares brochures of tourist information and participates in fairs and festivals within and outside the State. The department participated in TTF Kolkata, International Trade Fair Delhi, VIIth International Himalayan Festival Dharamshala, I I T M Hyderabad and ITM Chandigarh, Delhi, Jaipur, Travel and Tourism Expo, Nagpur, IATO Jodhpur, Indian Tourism and heritage challenge Delhi, Bodha Mahatosava at Reckong Peo has been organised during September,2001 with the association of Government of India. The department celebrates tourism week every year in the month of September. The department has also organised HIMTAB at Shimla in April, 2001. A new Tourist Information Centre at Shimla Bye-Pass has been opened to provide necessary information and guidance to tourists. Major initiatives have been taken by the government by providing Tourism complex parking facilities, shopping area for the tourists to promote local handicrafts at Kufri. To encourage the private entrepreneurs, the department has selected various sites all over the State. Similarly, the department has identified 14 potential places for setting up of aerial ropeway in the State. Out of these, two ropeways namely Shri Naina Devi Ji and Jabli to Kasauli have started commercial operation where as Chambaghat to Karol Tibba Project

is in progress. For the installation of Neugal Ropeway Project at Palampur, MOU has been signed and ropeway project at Solang Nallah is also being undertaken by the department through IL and FS.

9.4 With a view to develop Adventure Tourism, lake development is being taken up on priority. Equipments have been purchased and are available at lake sites for the tourists. A water sports centre has been established at Luhnu Maidan near Govind Sagar Lake Bilaspur with an approximate cost of Rs.100.00 lakh. An aero sports complex has been sanctioned for Bir with a cost of Rs. 25.25 lakh. Govt. of India has sanctioned a sum of Rs. 19.60 lakh for this project. Training is being imparted to the youths in river rafting and other water sports. Regular training camps are being organised in water sports, aero sports, trekking and angling. During 2001-02, 3 courses in HRD, one course in reception and house keeping and 8 courses in EDP have been conducted by the department and 289 candidates were trained. The state Govt. also received a direct income of Rs.74.11 lakh from Heli skiing operations during the period 1990-2001

Civil aviation

9.5 At present there are only three Airports namely Jubbar Hatti (Shimla), Bhuntar(Kullu) and Gaggal(Kangra) and about 54 operational helipads in the state. The state Government has decided to strengthen and extend these airports for accomodating bigger aircrafts and to ensure better safety facilities to the passengers. An amount of Rs. 3.17 crore has been spent upto December, 2001 for the expansion of Shimla airport. For the expansion work of Kangra and Kullu-Manali airports MoU has been signed between state Govt. and the Air Port Authority of India.

10. SOCIAL AND ECONOMIC SERVICES

EDUCATION

10.1 According to 2001 census Himachal Pradesh has a literacy rate of 77.13 per cent. Male/female differentials in literacy are wide in the State. As against 86.02 per cent literacy rate for males, it is 68.08 per cent for females. All out efforts are afoot to bridge this gap.

Primary Schools

10.2 At present there are 10,633 notified Primary schools out of which 10534 are functional in the State. Himachal Government has made primary education compulsory by promulgating "Compulsory Primary Education Act; 1997" w.e.f. April, 1998. To encourage enrollment and reduce the drop out rate in these schools various scholarships and other incentives are being provided to the students of primary schools in the State which include: IRDP scholarship @ Rs. 150 per student per annum with an outlay of Rs. 150.00 lakh for the current year, free writing material and free text books for all students in tribal area, free clothing/uniform to girl students in tribal area, free text books to IRDP/SC/ST and OBC students in Non-tribal areas, Girl attendance scholarship @ Rs. 20 per student per annum, Poverty stipend scholarship @ Rs. 4 per month, scholarship @ Rs. 8 per month on Lahaul-Spiti pattern for all students of Tribal area, Rs.150 per month scholarship to the children of Army Personnel. Mid-day meal scheme is being implemented in all C.D. blocks of H.P. During the year 2001-2002 an amount of Rs. 4.69 crore is likely to be spent on scholarship, stipends and other incentives. To achieve 100 per cent literacy in the State, a Literacy Mission has been started in each district with the co-ordination of Primary Education Department and the District Saksharta Samiti under the Chairmanship of Deputy Commissioner. The State Government has launched an ambitious scheme known as "Saraswati Bal Vidya Sankalap Yojna" under which 13,612 new class rooms are proposed to be constructed in three years in a phased manner. A sum of Rs. 790.13 lakh has been allotted during the year 2001-2002 for this purpose under Pradhan Mantri Gramodya Yojna. Rs. 489.75 lakh has been allotted under Special Component Plan for this purpose. The construction of 3010 rooms have been completed, work on 31.12.2001 and of 3273 schools remained under progress.

10.3 In order to train Vidya Upasaks to handle the classes efficiently special small duration training courses were introduced by the department.

10.4 Under decentralisation of powers to Panchayti Raj institutions, some powers were devolved to them during the year 1996 which includes inspection of primary schools, repair and maintenance of primary school bulidings and monitoring of various

incentive schemes being provided to the children of primary schools. Now the ownership of all the primary school buildings has been given to PRIs for all intents and purposes. The State Government is formulating a policy to recruit Gram Vidya Upasaks under 'Himachal Gram Vidya Upasak Yojana' in view of large number of vacancies in the remote / diffcult/ inaccessible areas of the state.

10.5 Sarv shiksha Abhiyan launched by the Government of India for achieving the goal of universal Elementary Education in the country has also been adopted by the State Government. Its objective is to provide elementary education to all children upto the age of 6-14 years. Education of girls and children belonging to the scheduled castes and scheduled tribes are identifed for special focus.

Middle schools

10.6 During the year 2001-02, upto December,2001, 3,188 middle units i.e. 1,674 middle schools, 978 middle units of high schools and 536 middle units of senior secondary schools were functioning in the Pradesh under the State Govt. management.

High/ Senior Secondary Education

10.7 In all 1,514 high/senior secondary units which include 978 high schools and 536 senior secondary schools were functioning under the State Govt. management upto December,2001 .

University and Higher Education

10.8 There were 37 degree colleges in the State upto 31st Dec.,2001 which includes one B.Ed. college at Dharamshala and one SCERT Education Institute at Solan. Himachal is the first State in the country to announce free education to girls from the academic year 1995-96 at all levels i.e. from the time of enrolment in govt. school till university education including professional and technical courses.

Integrated Education of Handicapped Children

10.9 The State Govt. had taken decision during the year 2000 that the students having more than 40% disability will be provided free education upto University level which continued during the current year also.

10.10 To improve the educational status of the deprived sections of the society, various types of scholarships/stipends are being provided by the State/Central Govt. at various stages involving an expenditure of Rs. 14.60 crore annually.

10.11 The State Government is providing free text books to the students belonging to SC/ST/OBC/IRDP families. During the current financial year about Rs. 10.56 crore is likely to be spent on this scheme.

Technical education

10.12 One Regional Engineering College, one privately managed engineering college,7 Govt.Polytechnics, 28 Co-educational Industrial Training Institutes including one Institute for physically handicapped and 16 Industrial Training Institutes for women are functioning in the Pradesh . In addition to this, 4 ITIs at Pragpur and Gagal in District Kangra, Parwanoo in Solan District and Loharian in Hamirpur District are also functioning in the private sector. The polytechnics conduct 3 and 2 years courses in 11 different engineering and non engineering trades and one and half years course in post diploma course in computer application. In I.T.I.s,training in 24 engineering and 11 non-engineering trades under Craftsman Training Scheme is also imparted. A three years new diploma in Computer Engineering has been introduced at Government Polytechnic for Women at Kandaghat and Hamirpur from the current session. A three years new diploma Programme in Computer Engineering at Government Polytechnic Sundernagar and Information Technology at Kangra are also proposed to be introduced from the next academic session 2002-2003. The strengthening of Technical Education system continued with great vigour and new Institutions which were established earlier, are being provided appropriate financing for building and equipments as per the norms laid down by All India Council for Technical Education and National Council for Vocational Training. During the year 2002-2003, it is proposed to open 5 new Industrial Training Institutes in the state.

HEALTH AND FAMILY WELFARE

10.13 In Himachal Pradesh, Health and Family Welfare department is providing services such as public health, control of communicable diseases, health education , family welfare, maternal and child health care through a net work of 50 civil hospitals, 65 community health centres, 304 primary health centres, 155 civil dispensaries and 2068 sub-centres. To provide better health services to the people, the government is strengthening the existing infrastructure by providing modern equipments, specialised services, increasing the strength of the medical and paramedical staff in the medical institutions and upgrading the status of the existing medical institutions.

A brief description of various health and family welfare activities carried out in the State during 2000-2001is given below:-

(i) **Rural health scheme**:- Under this scheme, health guides are engaged for providing better health care to the people of the State. They are also significantly contributing towards civil registration, malaria surveillance, family welfare and immunisation activities.

(ii) **National anti malaria programme:-** Under this programme, 291 fever treatment depots, 1,887 drug distribution centres, 220 malaria clinics are functioning in the State. During 2001-02, upto November,2001, 5,25,551 blood slides were collected out of which 340 slides were found positive and 345 cases were given medical treatment and no death due to malaria was reported.

(iii) **National Leprosy control programme:-** Under National Leprosy Control Programme the prevalence rate which was 26 per ten thousand in 1955 has been reduced to 0.55 per ten thousand in December,2001. Under this programme, 205 new cases were detected upto December, 2001 against the target of 50 cases for 2001-02 and 150 cases were selected from re-constructive surgery and 67 were operated.

(iv) **S.T.D. control programme:-** Under this programme, 71 S.T.D. institutions for the diagnosis and treatment of S.T.D. cases are functioning in the state. Upto October, 2001, 19,000 blood S.T.S. samples were tested out of which 133 were found positive. Besides this, 4791 other tests such as GC, TB were also done and 630 were found positive.

(v) **National T.B. control programme:-** Under this programme, 2 T.B. sanitorium, 12 district T.B. centres/clinics, 37 T.B units and 142 microscopic centres having a provision of 721 beds were functioning in the State. During 2001-02, 7,749 cases were detected having positive symptoms of this disease and sputum tests of 38,401 persons were carried out upto December, 2001.

(vi) **National programme for control of blindness:-** Under this programme, 9,906 cataract operations were performed upto December,2001 against the target of 18,100 during the year 2001-2002. School eye screening and refraction services to school children have been started.

(vii) **National family welfare programme:-** The family welfare programme is being carried out in the State on voluntary basis. Under this programme, 14,373 sterilisations and 22,180 I.U.D. insertions were done upto December,2001.

(viii) **Child survival and safe motherhood programme:-** This programme is being implemented in the State as centrally sponsored scheme and aided by World Bank. The programme aims at reducing the morbidity and mortality among mothers, children and infants. The preventable vaccine for diseases viz; Tuberculosis, Diphtheria, Pertusis, Neo-natal Tetanus,

Poliomyelitis and Measles have shown remarkable eduction over the last years. The target for the year 2001-02 andprogress made upto December,2001 is as given below:-

Table 10.1

Item	Target for 2001-02	Achievement upto Dec.,2001
1. T.T.(PW)	1,64,930	1,00,016
2. D.P.T.	1,40,650	95,696
3. Polio	1,40,650	95,527
4. D.P.T. Booster	-	83,364
5. Polio Booster	-	83,583
6. B.C.G.	1,40,650	1,00,918
7. Measles	1,40,650	98,025
8. D.T.(5-6 years)	-	1,15,076
9. T.T.(10 years)	-	97,887
10.T.T.(16 years)	-	69,518
11.I.F.A. to mothers	1,64,930	2,33,077
12.Vit. A 1st dose	1,40,650	94,883
13.Vit. A 2nd dose	-	82,869

Under this programme, like previous years Pulse Polio Immunization campaign was again launched. Two rounds were held on 2.12.2001 and 20.01.2002. During these rounds children in the age group of 0-5 years were covered. In the 1st and IInd round 6,89,386 and children were given additional doses of Polio drops.

(ix) **National iodine deficiency disorders control programme:-** The main objective of this programme is to create awareness among the people about the disorder being caused due to iodine deficiency and to make people aware of the preventive measures to be taken to eradicate the problem. Under the programme 77,991 salt samples were tested upto November,2001.

(x) **National AIDS control programme:-** This programme is being implemented in the State since 1992 as a centrally sponsored scheme. Upto December,2001, out of 30,849 persons screened 339 HIV positive cases were detected which include 91 AIDS cases. At the state level H.P state AIDS control society has been constituted to plan and implement various activities under the programme.

Medical Education & Research

10.14 The Directorate of Medical Education and Research was established during the year 1996-97 with a view to coordinate the activities between different systems of medical science and to monitor their progress. At present the State has two Medical Colleges i.e Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajendra Prasad Medical College Tanda and one Govt. Dental College, Shimla besides three Dental Colleges in private sector at Nalagarh, Solan and Sundernagar.

(a) **IGMC, Shimla:-** This being the premiere institute of State is providing 65 Graduates in Medicine besides 53 Post-graduate(Degree/ Diploma) every year to the State. This college has 32 departments which include superspecialities in surgery, cardiology, neurology, Urology and Gastroenterology etc. Indira Gandhi Hospital, Shimla and Kamla Nehru Hospital, Shimla are associated with it for teaching and training purposes. I.G.M.C. Shimla is one of the few colleges in India to have Fibre Optic Endoscopy, C.T. Scan and specialised services. Besides this, a Regional Cancer Centre has been established to provide services to cancer patients. Pace Maker facility for heart patients is also available.

(b) **Dr. R.P. Govt. Medical College, Tanda(Kangra):-** Tanda medical college in Kangra District started functioning during 1998-99 with an intake capacity of 50 students. This medical college has 32 departments and 350 bedded hospital at Dharamshala is attached to this college for teaching and training purposes.

(c) **Dental College and Hospital:-** Dental college and Hospital was established in the year 1994-95 with the intake capacity of 20 students. Efforts are being made to start Post Graduate Classes in the Dental College. The objective of the opening of Dental College and Hospital was to meet the ever increasing demand of Dental Surgeons and Dental Para-Medical staff with a view to provide basic dental care to the people of the State.From the current year indoor facilities have also been provided in the college for dental patients.

AYURVEDA

10.15 In Himachal Pradesh, treatment by Indian System of Medicine and Homoeopathy is being provided to the general public through 2 regional hospitals, 2 circle ayurvedic hospitals, 3 tribal hospitals, 8 district hospitals, one nature cure hospital, 1,112 ayurvedic health centres, 7 ten/twenty bedded hospitals,3 Unani health centres,14 homoeopathic health Centres and 4 Amchi clinics. During the year,2001, 60,037 indoor and 38,52,540 outdoor patients were treated under this system. During the year 2001, department has organised 23 free camps in which free medicines were distributed to 7238 patients. There are 2 Ayurverdic Pharmacies, one at Jogindernagar (District Mandi) and the other at Majra (District Sirmaur).These pharmacies are manufacturing medicines which are supplied to the ISM health institutions of the department. A project proposal worth Rs. 3.00 crore was submitted to Government of India during 2000-2001 for seeking financial assistance for modernisation of Ayurvedic Pharmacies and sanction of 91.02 lakh has been received for Ayurvedic Pharmacy JoginderNagar. A Government Ayurvedic College with an annual intake capacity of 50 students for B.A.M.S. degree is functioning at Paprola in Kangra district for providing ayurvedic education in the Pradesh. Besides this, the Post Graduate Classes in Shalakya Tantra and Shalya Tantra are also there in the college. The department of Indian System of medicine remained associated with National Health Programmes like malaria, family welfare, AIDS and immunisation etc. During the year under review the ayurvedic institutions organised family welfare camps to motivate the eligible couples and camps for after-care of operated cases were also organised.

Development of Herbal Resources:

10.16 The state has abundant medicinal flora. Some of the species are at the brink of extinction due to unscientific exploitation. With a view to preserve and safeguard valuable flora, the department has opened Herbal Gardens in different Agro climatic zones. The following Herbal gardens have been set up:-

Herbal Garden Jogindernagar:

(a) This has been established / developed over 25 acres of land where more than 225 species of different medicinal plants have been conserved. 10 species of different medicinal plants are being developed through Agro-techniques. A sum of Rs.16.38 lakh has been received from Govt. of India to develop five selected species through Agro-techniques and work remained in progress.

Herbal Garden Neri Hamirpur:

(b) The garden is being established in an area of 28 acres of land and 10 acres have been developed to raise nurseries. The Govt.of India has provided Rs.8.00 lakh for its establishment. Besides this, an

amount of Rs.5.06 lakh has been provided in the state budget for construction of herbal store and other developmental activities.

Herbal Garden, Dumreda(Rohru):

(c) To establish the herbal garden, 35 bighas of land have been acquired. Presently about 3 to 5 bighas of land have been developed for raising nurseries in which 11,000 plants have been filled in poly bags.

Herbal Garden Jungle Jhalera(Bilaspur):

(d) This garden is being set up in 5 hectares of land. Govt. of India has sanctioned Rs.5 lakh for the development of this garden.

The Department organised various farmers camps to provide scientific technical knwledge for cultivation, harvesting, collection and marketing and medicinal plants. A drug testing laboratory has been established at JoginderNagar for quality control and ayurvedic drugs.

SOCIAL WELFARE & WELFARE OF BACKWARD CLASSES

10.17 The Welfare Department of the State is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, infirms, handicapped, orphans, children, widows, destitutes , poor children and women etc.. The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Social Welfare

10.18 Under this scheme pension is provided to those persons who are 60 years old or above and has none to support them and their annual income does not exceed Rs. 6,000. The old age pension is given @ Rs.150/- per month. There is no age limit in the case of physically handicapped persons who are allowed this pension in the shape of disability relief allowance. Similarly, there is no age limit for the grant of this pension to widows. The number of such pensioners in the Pradesh is 1,69,693. Besides this, 1,948 lepers are being given rehabilitation allowance @ Rs. 170/- per month. During 2001-2002, there is a budget provision of Rs. 33.72 crore for old age, widows and disabled persons and Rs. 34.80 lakh for lepers. Under National Security Scheme pension @ Rs. 150/- per month is being provided to those old persons who are 65 years old or above and there is nobody to look after them. Under this scheme, Rs. 75 are given by Central Govt. and Rs. 75/- by State Govt. and 25,272 old persons are being benefited.

Child Welfare

10.19 With a view to look after the orphans, semi-orphans and destitute children, the department is providing grant-in-aid for running and maintenance of Bal/Balika Ashrams at Sarahan, Suni, Durgapur, Mashobra, Tutikandi (Shimla), Rockwood (Shimla), Kullu,Tissa, Bharmaur (Chamba), Dhalli, Kalpa, Shilli (Solan) Bharnal, Dehar (Mandi) and Chamba being run by the voluntary organizations. The Welfare Department is running Balika Ashrams at Pragpur (Kangra) and Mashobra (Shimla) and Bal Ashrams at Sujanpur(Hamirpur), and Tutikandi (Shimla). In addition, Bal/Balika Ashrams have also been started at Rohru (Shimla) and Killar (Chamba). In these ashrams the inmates are provided free boarding and lodging facilities and education upto 10+2 standard after leaving the Ashram, they are being given financial assistance of Rs. 6,000 for self employment and rehabilitation. Assistance is also provided to them for higher education after 10+2. One juvenile home established under Juvenile Act, at Sundernagar for destitute and neglected children continued functioning. Besides, a special school-cum-observation home has been functioning at Haroli in Una district for the delinquent children. Education is provided to the mentally retarded children on Govt. expenses at Prem Ashram Una. Under Foster Service Scheme if any couple wants to adopt these children the Department is providing assistance @ Rs. 100 per month for nurturing these children.

Women Welfare

10.20 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes are as under:-

(a) **State Homes:-** For destitute women and wayward girls/women State Homes at Chamba, Mandi, Mashobra(Shimla), Kangra, Bilaspur and Kalpa are being run by the Department. Besides, one State Home at Nahan is being run by the Indian Council of Child Welfare(ICCW). The inmates of these homes are provided free boarding and lodging facilities and training in craft, tailoring and embroidery etc. For the rehabilitation of such women after leaving State Homes financial assistance upto Rs. 6,000 per women is also provided. A provision of Rs.34.32 lakh has been kept under this scheme during 2001-2002 and upto December,2001, Rs.16.68 lakh has been spent benefiting 37 women and 5 children.

(b) **Working women hostels:-** With a view to providing residential accommodation to the working women in urban areas, the department constructed 13 working women hostels. These hostels were constructed by the voluntary organisations with the help of grant-in-aid @ 75 per cent from the govt. of India and @ 25 per cent from the State Govt.

(c) **Marriage grant to destitute girls:-** Under this programme, marriage grant upto Rs. 2,500 per beneficiary is being given to the parents/guardians of the girl or to the girl herself provided their annual income does not exceed Rs. 7,500. During 2001-2002, a provision of Rs.10.21 lakh has been kept for this purpose and an amount of Rs. 8.25 lakh has been spent upto December, 2001 and about 329 beneficiaries were covered.

(d) **Women Development Corporation:-** With a view to provide financial assistance to women for various trade purposes, a Women Development Corporation has been set up in the Pradesh. During 2001-2002, a sum of Rs. 30.01 lakh has been earmarked to this corporation.

Welfare of Handicapped

10.21 For the welfare of handicapped the following schemes are run by the department:-

(a) **Artificial Limbs to Handicapped:-** During 2001-2002, a sum of Rs. 4.10 lakh has been kept for this purpose. For those persons whose monthly income is less than Rs. 1,200 full assistance is being provided for artificial limbs and half assistance is provided to those whose monthly income is between Rs. 1,201 to Rs. 2,500.Upto December,2001, an amount of Rs.0.15 lakh has been spent benefiting 2 persons.

(b) **Handicapped scholarship:-** The main purpose of this scheme is to encourage handicapped children for education. Scholarships are given to these children under this scheme. During 2001-2002, Rs.10.3 lakh has been kept for this scheme. 515 handicapped children were benefited and 8.14 lakh has been spent upto December,2001.

(c) **Marriage Grant for Handicapped:-** Marriage grant @ Rs. 5,000 is given to those who marry handicapped girl or boy. During 2001-2002, an amount of Rs. 10.40 lakh has been kept for this purpose and upto December,2001, an amount of Rs. 7.38 lakh has been spent benefiting 148 persons.

(d) **Self Employment Scheme for Handicapped:-**There is a budget provision of Rs. 5.84 lakh during 2001-2002 for this scheme and an amount of Rs. 1.88 lakh has been spent upto December,2001 benefiting 75 persons.

Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes And Other Backward Classes

10.22 Under this programme, the important schemes being implemented during 2001-2002 are as under:-

(a) **Award for inter-caste marriage:**-Under this scheme, an amount of Rs. 25000/- per couple is given as incentive money. For inter-caste marriage during 2001-2002, a budget provision of Rs. 18.50 lakh has been kept and about 69 couples were benefited with an amount of Rs. 17.25 lakh upto December,2001.

(b) **Housing subsidy:**- Under this scheme, the members of scheduled castes and scheduled tribes are given subsidy upto Rs. 10,000 per family in snowbound areas and upto Rs. 8,000 per family in other areas for house construction purposes. Further, 50 per cent of the above amount is granted to the members of these castes for the repair of house. During 2001-2002, an amount of Rs. 95.00 lakh has been kept and about 1426 persons were benefited with an amount of Rs. 83.29 lakh upto December, 2001.

(c) **Environmental improvement of Harijan basties:**- Under this programme, small drinking water supply schemes are undertaken by constructing wells/bowaries etc. in the villages with concentration of scheduled castes population and not covered by the schemes of Public Health Department. During the year 2001-2002, an amount of Rs. 6.00 lakh has been kept and about 19 harijan basties were benefited with an amount of Rs. 7.85 lakh upto December,2001.

(d) **Proficiency in typing and shorthand:**- Under this scheme, trained persons of schedules castes and schedules tribes are posted in various offices to enable them to maintain their proficiency in shorthand and typing. During 2001-2002, a budget provision of Rs. 2.08 lakh has been kept, 16 trainees were benefited under this scheme with an amount of Rs.0.36 lakh upto December, 2001.

(e) **Compensation to victims of atrocities on Scheduled Castes families:**- Under this scheme, monetary relief is granted to those scheduled caste families who become victims of atrocities committed by the members of other communities due to caste consideration. During 2001-2002, a budget provision of Rs. 6.50 lakh has been kept for this purpose. Under this scheme, 11 persons have been benefited by incurring an expenditure of Rs. 3.48 lakh upto December,2001.

(f) **Continuation Programme:**- Under this scheme implements and tools costing Rs. 800 are given to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. During 2001-2002, a budget provision of Rs. 16.73 lakh has been kept and an amount of Rs. 11.39 lakh has been spent upto December,2001 benefiting 1580 persons.

(g) **Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation:-** For the economic development of scheduled castes and scheduled tribes in the Pradesh, a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation has been set up. This Corporation undertakes various loaning programmes in collaboration with banks and a sum of Rs.308.00 lakh was kept during 2001-2002 for this purpose and so far Rs.76.00 lakh has been spent.

DRINKING WATER

10.23 All the villages in the state have been provided with drinking water facilities by March,1994. As per the latest updated/ validated survey of drinking water supply schemes in Himachal Pradesh, there are 45,367 habitations in the State out of which 32116 are "Fully Covered" 11658 are "Partially Covered" and 1593 are under "Not Covered" category as on 1.4.2001 which are yet to be provided with safe drinking water facilities. The government has accorded top priority for coverage of these not covered and partially covered habitations. During the year 2001-2002, against the target of covering 400 habitations under state sector and 1,450 habitations under central sector with an outlay of Rs. 7,357.10 lakh and Rs. 5,552.00 lakh respectively, 397 habitations with an expenditure of Rs.6009.14 lakh under State sector and 699 habitations with an expenditure of Rs. 2784.96 lakh under Central sector were covered upto December, 2001. During the year 2001-2002, there is a target to install 730 handpumps with an outlay of Rs. 1218.00 lakh. Against this target, 814 handpumps have been installed upto December,2001 by incurring an expenditure of Rs.1164.00 lakh upto November,2001. Drinking water supply schemes are in existence in all the towns of the Pradesh, but these are quite old and as such require augmentation, rejuvenation and extension. During the year 2001-2002, 41 towns have been included in the budget. There is a budget provision of Rs. 1067.61 lakh during the year against which an expenditure of Rs. 693.42 lakh has been incurred upto November, 2001.

SEWERAGE

10.24 During the year 2001-2002, budget provision has been made to provide sewerage facilities to 34 towns where adequate quantity of water is already available. Against total outlay of Rs. 3312 lakh during the year 2001-2002, upto November, 2001 an amount of Rs. 1250.06 lakh has been spent. Shimla sewerage project is being implemented with the aid of OPEC fund for international development Vienna, Austria. The original cost of the project is Rs. 54.80 crore. The work is in advanced stage of execution. Sewerage treatment plants at six places are being constructed. An expenditure of Rs.27.97 crore has been incurred in the project upto March, 2001 and during the year 2001-2002, an additional amount of Rs. 9.08 crore has been spent upto November,2001.

11. LOCAL BODIES

Urban development

11.1 Consequent upon the 74th Constitutional Amendment, the rights/powers and activities of the urban local bodies have increased manifold. There are 53urban local bodies in Himachal Pradesh including Municipal Corporation Shimla and four new Nagar Panchayats namely, Baijnath-paprola, Dhalli, Totu and New Shimla have been created during the year. The Government is providing grant-in-aid every year to these local bodies to enable them to provide civic amenities to the general public. Due to limited sources of urban local bodies, a sum of Rs. 2,397.13 lakh is being provided to them during 2001-02.

11.2 On the recommendations of 1st State Finance Commission the Octroi grant is being distributed to these urban bodies on the basis of 1991 population census. Due to the abolition of octroi in Himachal Pradesh during 1982, the financial position of urban local bodies who had been collecting octroi at that time was affected badly, because octroi was the main source of income of these urban local bodies. As per the recommendations of 1st State Finance Commission, a sum of Rs.1787.81 lakh is being provided during 2001-02 as octroi grant to all the urban local bodies, out of which Rs. 1340.85 lakh has been released upto 31.12.2001. On the recommendations of 11th Finance Commission a sum of Rs. 77.77 lakh is being provided to urban local bodies for the maintenance of water supply and sanitation services in urban areas out of which Rs. 58.38 lakh has been released upto 31.12.2001.

11.3 Under the Environment Improvement of urban slums and National Slum Development Scheme, Rs. 113.00 lakh is to be provided to all the urban local bodies through which 14,125 individual are to be benefited. Upto 31.12.2001, a sum of Rs. 82.50lakh has been released for this purpose and 1030 souls have been benefited.

11.4 Two centrally sponsored schemes are being implemented in the urban local bodies viz. Swaran Jayanti Shahri Rozgar Yojana(SJSRY) and Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT). Under Swaran Jayanti Shahri Rozgar Scheme 11,739 families living below poverty line have been identified . These persons are being helped for self employment. For this purpose a sum of Rs. 100.00 lakh has been provided during 2001-02 and upto 31.12.2001, a sum of Rs. 25.55 lakh has been released and 84 families have been benefited.

11.5 An externally aided project of NORAD with the help of Royal Government of Norway is in operation for garbage management. During 2001-02, Rs. 188.55 lakh is being released to the urban local bodies of Shimla, Kullu and Manali towns to tackle the problem of urban waste in urban areas and a sum of Rs.141.42 lakh has already been released upto 31.12.2001. In view of garbage problem, the Government has also banned the use of recycled polythene bags in the State w.e.f. 1.1.1999.

11.6 Under Integrated Development of Small and Medium Town (IDSMT) twelve towns namely Una, Nahan, Mandi, Hamirpur, Rampur, Dharamshala, Chamba, Solan, Theog , Kullu, Palampur and Nalagarh have been covered upto 2000-2001 and during the year 2001-02 towns namely Paonta, Bilaspur, Jawalamukhi, Sundernagar, Kotkhai, Baddi, Manali. Narkanda and Nurpur are targeted to be covered subject to the approval of the Government of India. Under this scheme, a budget provision of Rs. 100.00 lakh has been made during the year 2001-02 .

12. RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

RURAL DEVELOPMENT

12.1 The main objectives of the rural development programme are poverty alleviation, employment generation, area development and to implement other developmental programmes in the rural areas. The following state and centrally sponsored developmental schemes and programmes remained under implementaton during 2001-2002:-

Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana

12.2 Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana was launched from the year 1999-2000. This yojana is a holistic package covering all aspects of self employment such as organisation of poor into self help groups, training, credit, technology, infrastructure and marketing. The beneficiaries under this scheme would be called as "Swarozgaris" . The scheme aims at covering 30 per cent of BPL families in each block during five years i.e. 1999-2000 to 2003-2004. The objective of SGSY is to bring the assisted poor families above the poverty line in 3 years, by providing them income generating assets. This scheme is a credit-cum-subsidy programme. Subsidy under SGSY is uniform at 30 percent of the project cost subject to a maximum limit of Rs. 7,500. In respect of SCs/STs, however, these can be 50 per cent subject to a maximum limit of Rs.10,000. For groups of swarozgaris (SHGs), the subsidy would be at 50 per cent of the cost of schemes, subject to a maximum of Rs. 1.25 lakh. SGSY will particularly focus on the vulnerable groups among the rural poor. Accordingly, the SCs/STs will account for the 50 per cent of swarozgaris, women for 40 per cent and the disabled for 3 percent. This scheme will be funded by Central and State Governments on 75:25 sharing basis.

12.3 During the year 2001, upto December, 2,103 Self Help Groups were formed, out of which 370 groups consisting of 3,650 BPL members have taken up economic activities. These groups were given Rs.265.32 lakh as subsidy and Rs. 668.49 lakh were disbursed as credit upto December,2001. Besides, 2,194 individual swarozgaris were assisted under SGSY and Rs. 148.41 lakh were given as subsidy and Rs. 608.08 lakh were distributed as credit to these swarozgaris.

SGSY Special Projects

Installation of Hydrams

12.4 A project for installation of 400 Hydrams under SGSY Special Project component has been approved by Government of India with a total project cost of Rs. 1,047.20 lakh which include subsidy of Rs.770.48 lakh, Rs.161.40 lakh as loan and Rs. 115.32 lakh as beneficiaries share. The subsidy component will be shared by centre and

State Governments on 75:25 sharing basis . Upto Decenmber, 2001, 215 sites have been selected and 151 hydrams have been procured out of which 10 hydrams have been installed and 18 hydrams are under installation. Rs. 160.39 lakh have been spent on the installation of Hydrams.

Gold Mines Projects

12.5 The Government of India has approved a project titled 'Gold Mines' in Bilaspur district under SGSY special project component with a total project cost of Rs.840.35 lakh which include subsidy of Rs.327.76 lakh and Rs.512.59 lakh as loan component. The subsidy component will be shared by centre and state Govt. on 75:25 basis. The activities covered under the project are Floriculture, Sericulture and Mushroom cultivation. Upto December, 2001, Rs.54.68 lakh have been spent in the development of these activities.

Marketing of Rural Goods

12.6 The project approved by Govt. of India with a total cost of Rs.914.52 lakh includes subsidy of Rs. 769.52 lakh, Rs.145.00 lakh as loan component. Centre and state Governments will share subsidy component on 75:25 sharing basis. Under this project 50 Himachal Gramin Bhandars and 1 Central Gramin Bhandar will be constructed in the state. Upto December, 2001, 29 sites for construction of these Bhandars have been selected and work for 12 sites has been completed. So far 21 works have been awarded to contractors for construction. Rs.384.76 lakh have been provided for the construction of these Bhandars.

Milch Live-Stock Improvement

12.7 The project duly approved by the Government of India for Solan district with a total project cost of Rs. 886.95 lakh includes subsidy of Rs.715.15 lakh and 171.80 lakh as loan component and Rs. 156.08 lakh as beneficiaries share. The subsidy component will be shared by the Centre and State Governments on 75:25 sharing basis. The development of dairy farming will be undertaken under the project. DRDA Solan has so far been provided Rs.285.95 lakh for the implementation of this project .

Jawahar Gram Samridhi Yojana

12.8 Jawahar Gram Samridhi Yojana has been launched by the Govt. of India from the year 1999-2000 which is being financed by centre and state on 75:25 sharing basis. The main objectives of the Yojana are creation of durable assets/infrastructure at the village level, creation of productive assets exclusively for SCs/STs for sustained employment and generation of supplementary employment to the unemployed poor living below poverty line. Under this scheme, against the target of generating 11.74 lakh mandays for the year 2001-2002, 7.90 lakh mandays were generated and Rs. 657.69 lakh have been spent upto 31st December,2001.

Employment Assurance Scheme

12.9 This scheme is being implemented in all the Blocks of the State. The main object of this scheme is to create additional wage-employment opportunities during the period of acute shortage of wage employment through manual work for the rural poor living below the poverty line besides creating durable community, social and economic assets for sustained employment and development. While providing employment, preference shall be given to SCs/STs and parents of child labour withdrawn from hazardous occupations who are below the poverty line. This scheme is financed by the Central and State Governments on 75:25 sharing basis. Under Employment Assurance Scheme, 8.20 lakh mandays were generated and Rs. 550.51 lakh were spent upto 31st December,2001.

Food for Work Programme

12.10 Under this programme Himachal Pradesh has received an allocation of Rs.11,549 tonnes of rice (5,000 tonnes normal allocation and 6,549 tonnes additional allocation). Besides this, Govt.of India has also released an amount of Rs. 652.49 lakh to DRDA's for making payment to Food Corporation of India. Under this programme, the wages are being paid both in cash and kind. Upto November, 2001, 5069.12 MTs of foodgrains have been distributed and 16.06 lakh mandays have been generated.

Indira Awaas Yojana

12.11 Indira Awaas Yojana is a Centrally sponsored scheme. Under this scheme, an assistance of Rs. 22,000 per family is given to BPL families for the construction of new houses. The selection of beneficiaries is being done by Gram Sabha. The Central and State Government are financing this scheme on 75:25 sharing basis. From the financial year 1999-2000, financial assistance @ Rs.10,000 is being given to BPL families for conversion/upgradation of kutcha houses into semi pucca/pucca houses. During the year 2001, against a target of construction of 2457 new houses and 1,352 houses for conversion/upgradation of kutcha houses into semi pucca/pucca houses, 1078 new houses have been constructed and 527 houses have been upgraded upto December,2001 with an amount of Rs. 442.25 lakh.

Restructured Central Rural Sanitation Programme(CRSP)

12.12 Under Restructured Central Rural Sanitation Programme, significant activities include construction of individual sanitary latrines with 80 percent subsidy subject to a maximum limit of Rs. 500 to the person below the poverty line, stress on school sanitation, encouraging other households to have facilities of their own, launching of intensive awareness campaigns, establish sanitary complexes exclusively for women and promote total sanitation of village. The Government of India and State Government

are funding this programme on different pattern for different components. Under Restructured Central Rural Sanitation Programme, an amount of Rs. 43.92 lakh has been spent on the construction of 27 latrines for individual beneficiaries, 14 in women complexes, 18 in health institutions, and 264 in educational institutions upto December,2001.

National Social Assistance Programme

12.13 Under this programme, financial assistance is given to eligible families/persons under following three components:-

(i) **National Old age Pension Scheme:-** Under National Old Age Pension Scheme, upto December,2001, Rs. 113.38 lakh were spent on providing old age pension to 22762 persons @ Rs.150 per person per month.

(ii) **National Maternity Benefit Scheme:-** Under National Maternity Benefit Scheme, a lumpsum assistance of Rs. 500 per beneficiary is given to pregnant women living below poverty line upto two live births. Under this scheme, 1858 women were provided Rs.9.71 lakh as financial assistance upto Dec.,2001.

(iii) **National Family Benefit Scheme:-** In case of death of a bread winner of a family living below the poverty line, financial assistance of Rs. 10,000 is provided to bereaved family. Upto December,2001, 498 such families were provided Rs. 50.19 lakh as financial assistance.

Drought Prone Area Programme

12.14 This programme is basically an area development programme and aims at integrated development of natural resources like land, water, vegetation etc. by taking up watershed development projects launched in 9 blocks of the state. Upto the year 1998-99, the programme was being funded by Central and State Government on 50:50 sharing basis, but from 1.4.1999, the Government of India have changed the funding pattern to 75:25. Under this programme, 148 watersheds have been taken up for development in district Bilaspur, Solan and Una for a period of 5 years. During the current financial year, 36 additional watersheds have been sanctioned for district Solan, Bilaspur and Una for which the Government of India has released an amount of Rs.121.50 lakh to these districts. Upto Sept., 2001 Rs. 107.39 lakh have been spent under the programme covering 2,575 hectares of land.

Desert Development Programme

12.15 Under Desert Development Programme, 203 watersheds have been taken up for development in district Lahaul-Spiti and Kinnaur. The government of India has sanctioned 80 additional watersheds for district Lahaul-Spiti and 35 for district Kinnaur

during current financial year for which Rs.360.00 lakh have been released to these districts. During the current financial year, Rs. 351.29 lakh have been spent and 2716 hectares of land was treated under this programme upto 30th Sept., 2001.

Integrated Wasteland Development Project

12.16 Integrated Wasteland Development Project is being implemented in all the districts except Una, Bilaspur and Lahaul-Spiti.This programme was being funded on cent percent basis by Central Government prior to 1.4.2000. The projects sanctioned after 1.4.2000 are being funded on 91.67 : 8.33 sharing basis by the Govt. of India and State Govt. During the current financial year an amount of Rs.444.53 lakh has been released out of which Rs. 303.95 lakh has been spent and 6596 hectares of land has been treated upto September,2001. During 2001-2002, the Central Govt. has sanctioned new projects under this programme for district Mandi, Kullu and Sirmaur with project cost of Rs. 363.42 lakh, 477.12 lakh and 360.00 lakh respectively. The Central Govt. has released Rs.165.07 to these districts so far.

PANCHAYATI RAJ

12.17 At present there are 12 Zila Parishads, 75 Panchayat Samitis and 3037 Gram Panchayats constituted/established in the state. In view of the provisions of the constitutional 73rd amendment Act and Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1994, the Panchayati Raj institutions have been devolved functions, powers and responsibilities relating to 15 departments of the state government. As such, Panchayats are involved in large number of civic works viz; construction of school rooms, paths, irrigation and water supply schemes, culverts etc. and lot of funds are being released to the Panchayats for execution of these works. During the year 2001-2002, the state Government has also devolved more functions to the PRIs which include appointment of Gram Vidya Upasaks in Primary Schools, Panchayat Sahayaks, tailoring mistresses, technical assistants, Panchayat chowkidars, angan-wari workers, angan-wari helpers and part time water carriers(in primary schools). Panchayat Samities have been empowered to appoint Kanisht Lekhapal against vacant post of Clerk/ Steno-typist and Zila Parishads have been empowered to appoint Assistant Engineer against the vacancy of Assistant Engineer in D.R.D.A (R.D.D). The honorarium as fixed by the Government is to be paid by the PRIs.

12.18 Gram Sabhas have been empowered to select beneficiaries under various Govt. schemes such as credit cum subsidy housing scheme and pension scheme etc. The ownership of primary school buildings and hand pumps have been transferred to Gram Panchayats. The maintenance and repair of primary school buildings will also be their responsibility. Gram Panchayats have been authorised to collect water charges in rural areas and 50% money collected will be a part of Gram Panchayat funds. Gram Panchayats have been authorised to collect land revenue from land owners/ right holders and are also empowered to use this land revenue at their own level.

12.19 The functionaries of the Panchayati Raj Institutions have to discharge various administrative, judicial and financial functions. In order to make them aware about their functions, powers and responsibilities, training has to be imparted to them. The two Panchayati Raj training institutes of the department at Baijnath and Mashobra are engaged in imparting training to newly elected Pradhans of the Gram Panchayats. Besides this the H.P Institute of Public Administration (HIPA) has also been declared as the state Institute of Rural Development. The training to office bearers of Zila Parishads and Chair persons/ Vice Chair-persons of Panchayat Samitis is provided at HIPA. Training is further provided by organizing training camps at district /block level by the Panchayati Raj Training Institutes.

12.20 The funds to the PRIs are being provided as per the recommendation of 1st State Finance Commission. With a view to strengthen the financial position of the PRIs, and to raise resources through taxes and levies, the State Government on 1st November, 1999 have empowered the Gram Panchayats to levy taxes and fees at their own level for which maximum rates of such taxes, fees and duties have been notified by the Government under the provision of Section 100 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1994. Further funds are released to the PRIs every year to meet out their requirements and also grant for payments to various categories in the shape of honorarium.

13. INFORMATION TECHNOLOGY

IT POLICY

13.1 Based largely upon the recommendations contained in the IT Vision 2010 for Himachal Pradesh, prepared by the NASSCOM, the State Government has approved its IT Policy, 2001 which was formally launched on 9th June,2001. According to the policy document, the vision of the policy would be to create an IT friendly environment for integrated participation by all in the development process of the new digital economy so as to result in the improvement of human life, emergence of a competitive society and a vibrant economy of new age technologies through transparent governing systems, sound infrastructure and skilled human resources.

13.2 The IT Policy announced by the State Government is a result of various meetings held with reputed entrepreneurs, from within and outside the country, NRIs and NASSCOM. NASSCOM had earlier carried out a survey to gauge the potential of the State for promoting IT industry and it was clearly established by the survey that due to its excellent climatic and environment condition, power situation, a very strong communication network and appropriate social and commercial infrastructure, H.P. is best suited for IT industry. The Policy focuses on creation of state of the art quality infrastructure for IT industry, increasing the availability of skilled manpower, using IT for e-governance and providing an appropriate environment to foster and catalyse the growth of IT industry in the State.

13.3 The Government of Himachal Pradesh has liberalised the procedure for acquisition of land by non-residents for setting up of I.T units. Under the new policy relaxation of FAR to the extent of upto 50% of the prevailing norms will be available for I.T units being set up in the designated software technology parks, I.T habitats and high-tech cities. In other areas this relaxation will be 25% depending upon the merits of each case. Setting up of I.T units in the residential areas has also been permitted subject to certain load restrictions. In order to give boost to the software and I.T services industries/ establishments various relaxations have been granted in labour laws viz. permission to run a three shift operation, relaxation in working hours, relaxation in period of work, relaxation of over times, relaxation in working hours of women employees etc. The Government has also introduced a 'Self Certification Scheme' for the I.T Software Service Industry. Under this scheme the establishments fulfilling requirement will be issued a ceritficate of Self Certification Scheme and will be exempted from routine inspections etc. to the extent possible for one year.

13.4 Under the IT Policy, 2001 it has been decided to accord the status of Industry to all IT projects being set up in the State including IT related services and educational institutions. Under the IT Policy 2001, the State government will encourage the flow of investments including FDI and will provide full support wherever required. The State Government will offer customised package of incentives for prestigious investment proposals, e.g. projects where total investments are more than Rs. 10 crore or a Fortune 500 company is implementing the project. For Mega Projects, with investment exceeding

Rs.100 crore, Government would consider Special Package of Incentives, on a case to case basis, based on the gestation period of projects, pioneer nature of projects, locational aspects, state-of-the-art technology, profitability, scope for further related investments, etc. The State Govt. has also decided to facilitate the creation of a Venture Capital fund of Rs.20 crore in association with the State Co-operative bank, SIDBI and other Financial Institutions to meet the equity requirements of the Small and Medium Enterprises/IT Startups. A major thrust under this policy would be to provide high quality infrastructure for IT industry. In order to promote the growth of IT all over the state, the State government will facilitate the coming up of IT habitats at Solan, Hamirpur, Baddi, Parwanoo, Kullu, Mandi and Dharamshala. The State Government will also facilitate the building up of two knowledge corridors in the State: (i) Baddi-Parwanoo-Solan-Shimla Knowledge Corridor and (ii) Shimla-Hamirpur-Dharamshala-Chamba Knowledge Corridor. Across these corridors, high density internet/telecom connectivity will be provided for schools, colleges, industries etc. This will facilitate the growth of IT related activities along these corridors. The State Government will also actively encourage and support the establishment of IT institutions in the state so as to create a pool of locally available manpower required by IT industry. Other focus areas identified under the IT policy include encouraging computerisation of local industry, including e-commerce, e-tourism and setting up of a HP Tele-medicine network in the State. The use of IT in governance is aimed at having a SMART (Simple, Moral, Accountable, Responsive, and Transparent) Government.

Recent Initiatives

13.5 Commensurate with the IT Policy of the State Government certain initiatives have already been taken in the State to further the growth of IT. The Department of Information Technology(DoIT) has been created to ensure the process of furthering the development of IT in the State.

Software Technology Park

13.6 The State Government with the Software Technology Parks of India, Ministry of Information Technology, Govt. of India has set up a Software Technology Park and High Speed Data Connectivity facility in Shimla. An H-4 Type IBS Earth Station with 3.8 M Dish capable of multiple carrier operation and with scaleable configuration has been set up and operationalised on 21.07.01 in Shimla. Having a build up area of about 2360 sq.mts. State Government is endeavouring to set up Hi-tech habitats at Shimla, Solan, Hamirpur, Baddi, Parwanoo, Kullu, Mandi and Dharamsala by 2002. If required, the Hi-Tech habitats would also be built at more locations in the state in a phased manner.

The High Speed Data Connectivity

13.7 The State has an excellent telecommunication infrastructure established by the Department of Telecommunication. All the telephone exchanges in the State are digital exchanges and are interconnected to each other. Almost all the cable used in the telephone network of the State is optical fibre cable (OFC). The State has probably the highest density of OFC penetration per unit area as compared to any other State in the country. All the districts in the state except Lahaul& Spiti have the capability of having 2 Mbps connectivity.All the block headquarters have a minimum connectivity of atleast 33 Kbps.

Earmarking of Area for IT Sector Investments

13.8 Around 174 acres of Government land has been identified in Solan District, along the Kalka-Shimla national highway about 25 kilometers from Shimla, for attracting investments in the IT sector. The sites would be offered after making available the necessary infrastructure in terms of approach road, power and water.

Setting up of Institutes of Information Technology

13.9 Although IT related courses are already being taught in the State in Himachal Pradesh University, two Engineering Colleges, 5 Polytechnics, 14 ITI's besides a plethora of franchises of reputed private training institutions. With a view to expand the base of skilled manpower, the State Government has facilitated/is facilitating the setting up of specialized institutes of IT in the State. The Jaiprakash Sewa Sansthan is setting up a world class Institute of Information Technology at Vaknaghat (Rachhiana), District Solan, about 22 Kms from Shimla. The Institute, having an academic tie-up with the University of California at Berkley, will be sprawled over an area of about 23 acres. The Institute will have state-of-the-art facilities and will offer undergraduate and postgraduate courses, besides the need based short term ones. The first academic session will start from July 2002. The Manipal Academy of Higher Education has proposed to set up an open University of IT in the State for which government has agreed in principle.

IT Education in Schools

13.10 The State Government has introduced IT education in certain selected senior secondary schools in the State. The subject of IT education had been introduced as an additional optional subject to the students of class IX to XII of these schools from the academic year 2001-02.

Electronic governance Activities

13.11 For furthering the use of IT in Government, which includes setting up of State Wide Area Network; Designing, Developing and Implementation of Computerised Systems & Web-Enabled Interfaces for E-Governance, providing Govt.-Citizen Interface and delivery mechanisms; Complete Computerisation in selected Govt. Departments; etc.is being undertaken.

13.12 These activities cover computerisation at Chief Minister's Office, H.P. Secretariat, Deputy Commissioner Offices, and several Government Departments at the Directorate & District level, H.P. High Court & District Courts, H.P. Vidhan Sabha etc.

13.13 The official website of Himachal Pradesh Government has been launched on the World Wide Web(www) with the URL http://himachal .nic. in. This site is on a one stop information centre relating to various aspects of the state and the various departments/corporations/boards of the state Government. A web-site enabled Hotel Reservation System for H.P Tourism Development Corporation has also been made available on internet. Presently citizen Government Interfaces have been made available through the INTERNET on the above mentioned official website of the state Government e.g E-mail to the Chief Minister, Govt.Telephone Directory search; dynamic and interactive information in respect of Excise and Taxation Department, Rural Development department and Police department etc.

13.14 The state Govt. has also implemented "LOKMITRA" project on a pilot basis in Hamirpur district. Under the project District-wise INTRANET with servers at the district headquarters connecting 25 citizen information booths located in the rural areas throughout the district have been set up.

13.15 The State Government, in association with the NIC, is in the process of creating a H.P. State Wide Area Network (HPSWAN), which will also be connected to the Internet. This INTRANET will link all the District headquarters with the State headquarters and make information easily accessible.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D - 12133
DOC, No............
Date 04-12-2003

PART – II

STATISTICAL TABLES

Units of measurement and symbols used in the brochure

Metric unit		Equivalent to old unit
One kilometre	..	0.62137 mile
One hectare	..	2.47105 acres
One litre	..	0.22102 gallon
One quintal	..	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	..	0.98420 ton
One cubic metre	..	35.37319 cubic feet

Symbols used-

.. .. Not available

\- .. Nil or negligible

P .. Provisional

R .. Revised

CONTENTS

	Tables	Page
1.	Selected Indicators 1950-51 to ..	1
2.	Gross and Net State Domestic Product ..	2
3.	Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product ..	3
4.	Gross State Domestic Product at Factor cost at current prices ..	4
5.	Gross State Domestic Product at Factor cost at Constant prices ..	5
6.	Annual Growth Rate of Gross State Domestic Product at constant prices..	6
7.	Salient Featueres of Population in Himnachal Pradesh ..	7
8.	District-wise Area, Population, Sex Ratio and Density of Population..	7
9.	District wise Rural-Urban/Male-Female Population. ..	8
10.	Distribution of population by main workers, marginal, workers and non-workers-1991-census.	
11.	Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry & Other Workers as percent to Main Workers-1991 Census	..8
12.	Production of Principal Crops ..	9
13.	Index Numbers of Area under Principal Crops ..	10
14.	Index Numbers of Agricultural Production of Principal Crops ..	11
15.	District-wise Number and Area of Operatrional Holdings, 1995-96 ..	12
16.	Livestock, Poultry and Agricultural Implements ..	13
17.	Outturn and Value of Major & Minor Forest Produce ..	13
18.	Area under Forests ..	14
19.	Co-operation ..	15
20.	Generation and Consumption of Electricity ..	16
21.	Area Under Fruits ..	17
22.	Production of Fruits	17
23.	Himachal Pradesh Government Employees..	18
24.	Employment Exchange Statistics ..	18
25.	Education ..	19
26	Medical and Public Health ..	20
27.	Roads ..	21
28.	Nationalised Road Transport ..	21

Table	Page
29. Consumer Price Index Numbers in H.P...	22
30. All-India Index Numbers of Wholesale Prices ..	23
31. Plan outlays ..	24
32. Incidence of Crimes ..	28

TABLE-1

SELECTED INDICATORS 1950-51 TO 2000-2001

	1950-51	1960-61	1966-67	1970-71	1980-81	1990-91	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ECONOMIC INDICATORS												
GDP at footor cost												
(I) At ourrent prices (Rs. Crore):			137.88		794	2815.19	6698.28	7755.27	8837.31	10696.23	11983.13	12941.96
(ii) At constant (Rs. Crore)			90.58		794	1285.37	5568.46	5955.28	6335.14	6791.97	7206.15	7635.27
Per capita income at												
ourrent prioes (Rupees)	240	359	440	651	1704	4910	10607	11960	13488	16144	17786	18920
constant prioes (Rupees)	240	264	289	651	1704	2241	8801	9140	9625	10131	10514	10942
OUTPUT												
(a) Foodgrains (Lakh tonnes)					11.58	14.33	13.36	13.18	14.48	13.13	14.46	12.08
(b) Electricity generated												
(Million units)	0.4	..		52.8	245.1	1262.4	1285.4	1252	1306	1485	1201	1153
Whole sale price Index												
(Base1993-94=100)							121.6	127.2	132.8	140.7	145.3	155.7
Consumer price Index												
(Base1982=100)						189	295	323	348	395	411	436
SOCIAL INDICATORS												..
Population												
Population(in lakhs)	11.09	28.12	..	34.6	42.81	51.17						60.77
Annual Population Growth	0.54	1.79		2.30	2.37	2.07						1.75
Education												
Literacy rate (Percentage)												
(a) Male	7.5	27.2		42.3	53.19	75.36						86.02
(b) Female	2.9	6.2		20.04	31.46	52.13						68.68
Total	4.8	17.1		31.32	42.48	63.86						77.13

TABLE-2

GROSS AND NET STATE DOMESTIC PRODUCT

Year	G.S.D.P.at foctor cost (Rs. Crore)		Net S.D.P. at factor cost (Rs. Crore)		Per Captia Net State Domestic Product/ Per Capita Income(Rs.)	
	At current prices	At constant prices	At Current prices	At Constant prices	At current Prices	At constant prices
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	*27	*27	27	27	240	240
1960-61	*48	*35	48	35	359	264
1966-67	*138	*91	138	91	440	289
1970-71	*223	*223	223	223	651	651
1980-81	794.04	794.04	722.82	722.82	1704	1704
1990-91	2815.19	1285.37	2521.47	1150.80	4910	2241
New Series Base (1993-94)						
1993-94	4782.68	4782.68	4250.03	4250.03	7870	7870
1994-95	5825.03	5243.93	5192.46	4663.85	9451	8489
1995-96	6698.28	5568.46	5930.24	4920.52	10607	8801
1996-97	7755.27	5955.28	6802.87	5198.86	11960	9140
1997-98	8837.31	6335.14	7806.98	5571.01	13488	9625
1998-99	10696.23	6791.97	9507.46	5966.28	16144	10131
1999-2000	11983.11	7206.15	10657.18	6299.80	17786	10514
2000-2001	12941.96	7635.27	11535.66	6671.55	18920	10942

* Net domestic product

TABLE-3

ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT/ NET STATE DOMESTIC PRODUCT

Year	G.S.D.P.at foctor cost (Rs. Crore)		Net S.D.P. at factor cost		Per Captia net state domestic product (Rs.)	
	At current prices	At constant prices	At Current prices	At Constant prices	At current Prices	At constant prices
1	2	3	4	5	6	7
Old series (Base 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
New Series (Base 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
1999-2000	12.0	6.1	12.1	5.6	10.2	3.8
2000-2001	8.0	6.0	8.2	5.9	6.4	4.1

TABLE-4

GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST

(At current prices) (Rs. crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communication & trade	Banking & Insurance real estate & ownership of dwelling business services	Public administration, defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	19	2	2	2	2	27
1960-61*	30	5	3	3	7	48
1966-67*	104	24	16	6	21	171
1970-71*	131	37	18	9	28	223
Old series (Base 1980-81)						
1980-81	376	156	67	79	116	794
1981-82	448	178	79	90	130	925
1982-83	437	206	85	103	156	987
1983-84	525	220	102	111	169	1127
1984-85	489	224	105	121	200	1139
1985-86	576	312	123	132	228	1371
1986-87	615	339	145	150	268	1517
1987-88	627	416	168	162	349	1722
1988-89	781	549	204	196	427	2157
1989-90	895	568	229	237	506	2435
1990-91	987	746	260	266	556	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	3824
(New series (Base 1993-94)						
1993-94	1567	1313	569	502	831	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1230	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	10696
1999-2000	3209	3898	1412	977	2487	11983
2000-2001	3542	4206	1537	1001	2656	12942

* Net domestic product

TABLE-5

GROSS STATE DOMISTIC PRODUCT AT FACTOR COST

(At constant prices) (Rs. crore)

Year	Agriculture forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity,gas & water supply	Transport communication & trade	Banking & Insurance real estate & ownership of dwelling business services	Public administration & defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	*19	2	2	2	2	*27
1960-61	*20	5	3	0	7	*35
1966-67	*57	17	9	4	13	*101
1970-71	*131	37	18	9	28	*223
Old series (base 1980-81)						
1980-81	376	156	67	79	116	794
1981-82	406	164	72	84	116	841
1982-83	355	173	74	88	128	818
1983-84	396	168	81	92	124	861
1984-85	343	160	78	95	137	814
1985-86	388	207	85	100	147	926
1986-87	417	208	95	113	158	991
1987-88	360	235	98	119	188	1000
1989-90	488	265	112	138	234	1238
1990-91	484	316	117	142	227	1285
1991-92	465	323	124	152	226	1290
1992-93	469	362	135	162	234	1362
New series (base 1993-94)						
1993-94	1567	1313	569	502	831	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	6792
1999-2000	1601	2519	881	706	1499	7206
2000-2001	1755	2657	928	717	1578	7635

* Net Domestic Product

TABLE-6

ANNUAL GROWTH RATE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT(At constant prices)

(Percent)

Year	Agriculture, forestry & logging fishing, mining & quarrying	Manufacturing, construction, electricity, gas & water supply	Transport communication & trade	Banking & Insurance real estate & ownership of dwelling bussiness services	Public administration & defence & services	Gross domestic product at factor cost
1	2	3	4	5	6	7
Old series (Base 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	-2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	-5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7
1987-88	13.7	12.1	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.06	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	7.1	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	-0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
New series (Base 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	-2.5	9.6
1995-96	2	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8.0	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
1999-2000	-5.4	8.4	1.6	11.9	17.3	6.1
2000-2001	9.6	5.4	5.4	1.5	5.3	6.0

TABLE-7

SALIENT FEATURES OF POPULATION IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951 ..	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961 ..	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971 ..	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981 ..	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991 ..	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001 ..	60.77	17.53	970	109	77.13*	9.8

Source:-(i) General Population Tables-IIA,Census of India,1971
(ii) Census of India,1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of S.C. and S.T.
(iii) Census of India, 1991 Final Population Totals-Series-9, H.P., Paper-I, of 1992.
(iv) Provisional Population Totals, Paper-I of 2001, Census of India 2001.

*** Excluding Kinnaur District.**

TABLE-8

DISTRICT-WISE AREA,POPULATION,SEX RATIO AND DENSITY OF POPULATION (2001 CENSUS)

District	Area (sq.kilometres)	Population	Sex ratio (Females per thousand males)	Density per sq. kilometre
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur ..	1,167 (2.10)	3,40,735(5.61)	992	292
Chamba ..	6,528 (11.72)	4,60,499(7.58)	961	71
Hamirpur ..	1,118 (2.01)	4,12,009(6.78)	1,102	369
Kangra ..	5,739 (10.31)	13,38,536(22.02)	1,027	233
Kinnaur ..	6,401 (11.50)	83,950*(1.38)*	851*	13*
Kullu ..	5,503 (9.88)	3,79,865(6.25)	928	69
Lahaul-Spiti ..	13,835 (24.85)	33,224(0.55)	804	2
Mandi ..	3,950 (7.09)	9,00,987(14.82)	1,014	228
Shimla ..	5,131 (9.22)	7,21,745(11.88)	898	141
Sirmaur ..	2,825 (5.07)	4,58,351(7.54)	901	162
Solan ..	1,936 (3.48)	4,99,380(8.22)	853	258
Una ..	1,540 (2.77)	4,47,967(7.37)	997	291
Himachal Pradesh ..	55,673(100.00)	60,77,248(100.00)	970	109

Source:- Census of India,2001, Series-3,H.P.
Provisional Population Totals Paper-I of 2001.
*- Based on projected population.

TABLE-9
DISTRICT WISE RURAL – URBAN / MALE - FEMALE POPULATION

District.	Rural			Urban		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female
Bilaspur	318786	159319	159467	21949	11755	10194
Chamba	425981	216393	209588	34518	18419	16099
Hamirpur	381836	179770	202066	30173	16201	13972
Kangra	1266362	622393	643969	72174	37831	34343
Kinnaur	83950	45353	38597	-	-	-
Kullu	349772	180164	169608	30093	16871	13222
Lahaul-Spiti	33224	18413	14811	-	-	-
Mandi	840029	415101	424928	60958	32170	28788
Shimla	554912	284970	269942	166833	95274	71559
Sirmaur	410765	1015543	195222	47586	25566	22020
Solan	408205	213322	194883	91175	56129	35046
Una	408545	203510	205035	39422	20789	18633
H.P	5482367	2754251	2728116	594881	331005	263876

Source: Provisional Totals-Paper 2 of 2001 Census of India 2001.

TABLE-10
DISTRIBUTION OF POPULATION BY MAIN WORKERS,MARGINAL WORKERS AND NON-WORKERS-1991 CENSUS

District	Population	Main workers	Marginal workers	Non-Workers	Percentage of main workers to total population
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur ..	2,95,387	91,672	40,082	1,63,633	31.03
Chamba ..	3,93,286	1,28,018	63,056	2,02,212	32.55
Hamirpur ..	3,69,128	1,10,256	44,294	2,14,578	29.87
Kangra ..	11,74,072	3,23,420	80,128	7,70,524	27.55
Kinnaur ..	71,270	33,723	3,638	33,909	47.32
Kullu ..	3,02,432	1,28,338	16,619	1,57,475	42.44
L & Spiti ..	31,294	16,954	3,366	10,974	54.18
Mandi ..	7,76,372	2,90,851	64,104	4,21,417	37.46
Shimla ..	6,17,404	2,65,986	34,207	3,17,211	43.08
Sirmaur ..	3,79,695	1,52,296	24,600	2,02,799	40.11
Solan ..	3,82,268	1,33,728	38,501	2,10,039	34.98
Una ..	3,78,269	1,03,858	22,684	2,51,727	27.45
H.P. ..	51,70,877	17,79,100	4,35,279	29,56,498	34.41

Source:-Census of India,1991, Final Population Total, Series-9, H.P., Paper-1 of 1992.

TABLE-11

CULTIVATORS,AGRICULTURAL LABOURERS,HOUSEHOLD INDUSTRY AND OTHER WORKERS AS PERCENT TO MAIN WORKERS-1991 CENSUS

(PERCENT)

District	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur	67.70	1.35	1.50	29.45
Chamba	66.79	1.07	1.24	30.90
Hamirpur	61.48	1.85	1.83	34.84
Kangra	52.11	5.95	2.33	39.21
Kinnaur	54.48	5.13	2.80	37.59
Kullu	78.15	2.26	1.08	18.51
L & Spiti	51.69	5.15	0.76	42.40
Mandi	73.73	1.42	1.20	23.65
Shimla	60.07	3.41	0.48	36.04
Sirmaur	71.90	3.34	1.09	23.67
Solan	54.96	2.04	1.31	41.69
Una	53.42	7.96	2.23	36.39
H.P	63.25	3.30	1.43	32.02

Source:-Census of India,1991.

TABLE-12

PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(in '000 tonnes)

Crops	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01(P)
1.	2.	3.	4.	5.
FOOD GRAINS				
A. Cereals:				
1. Rice	120.44	117.00	120.37	124.89
2. Maize	620.68	662.28	681.42	683.64
3. Ragi	4.25	4.16	4.44	4.16
4. Small Millets	7.38	7.23	7.41	8.00
5. Wheat	641.31	481.27	583.30	350.00
6. Barley	41.34	27.76	32.50	25.00
Total-Cereals	1,435.40	1299.70	1429.44	1195.69
B. Pulses:				
7. Gram	2.50	1.29	1.53	0.04
8. Other Pulses	10.21	12.03	15.17	12.04
Total pulses	12.71	13.32	16.70	12.08
Total-Foodgrains	1,448.11	1313.02	1446.14	1207.77

Source:- Directorate of Agriculture Himachal Pradesh.

TABLE-13

INDEX NUMBERS OF AREA UNDER PRINCIPAL CROPS

(Base=Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99(P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FOOD CROPS						
1. Cereals:						
(i)Kharif:						
Rice	94.97	89.49	89.78	88.10	93.20	88.81
Maize	108.25	109.51	109.86	109.08	110.71	106.84
Ragi	24.06	-	-	37.65	41.11	39.46
Millets & others	69.56	78.82	76.93	54.23	49.81	52.04
Total-Kharif	100.60	100.08	100.28	99.20	101.22	97.68
(2)Rabi:						
Wheat	105.93	100.70	100.85	105.15	106.38	107.05
Barley	76.65	73.22	74.93	69.06	76.94	74.33
Total Rabi	103.23	102.71	98.46	101.76	103.67	104.04
Total Cereals	101.89	101.36	99.39	100.44	102.41	100.78
B. Pulses:						
Gram	21.47	20.04	13.95	16.11	15.52	12.45
Mash	75.74	72.32	72.39	72.49	70.48	64.84
Other Pulses	94.90	84.79	87.17	87.01	87.57	86.07
Total-Pulses	67.86	62.73	61.95	62.51	61.73	58.15
Total Food Crops	99.58	98.74	96.85	97.88	99.66	97.89
2. NON-FOOD CROPS						
A. Oil Seeds:						
Groundnut	28.06	25.71	26.78	28.35	21.15	20.09
Sesamum	95.77	87.73	86.13	76.95	71.97	65.46
Rape & Mustard	141.98	136.94	132.93	136.20	147.92	143.15
Linseed	65.11	66.94	61.25	60.30	30.22	43.59
Total-Oil Seeds	97.29	93.27	89.98	87.69	81.01	80.81
B. Miscellaneous:						
Potato	90.95	83.11	86.11	80.82	93.82	87.25
Sugarcane	70.89	81.84	106.51	127.28	112.27	109.65
Ginger	66.78	62.45	64.03	65.80	71.57	84.78
Tea	100.43	98.98	99.48	92.70	100.31	92.67
Total-Miscellaneous	88.44	83.25	88.51	86.93	95.04	90.57
Total-Non-food crops	92.46	87.79	89.18	87.27	86.67	86.14
Total-Crops	99.23	98.20	96.47	97.35	99.11	97.31

Source:-Economics & Statistics Department,H.P.

TABLE-14

INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(Base: Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99(P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. FOOD CROPS						
A. Cereals: (i)Kharif						
Rice	117.00	120.78	120.72	117.34	130.10	126.38
Maize	136.49	134.31	140.78	125.08	131.71	140.54
Ragi	28.28	-	-	-	-	-
Millets & Others	41.46	83.87	46.62	78.11	76.66	75.58
Total-Kharif	129.96	129.41	133.78	121.49	129.14	135.21
(ii)Rabi:						
Wheat	107.12	151.33	129.52	144.97	165.47	124.17
Barley	78.64	83.23	81.23	78.43	98.13	65.89
Total Rabi	104.48	145.01	125.04	138.79	159.22	118.76
Total-Cereals	119.11	136.04	130.07	128.84	141.92	128.22
B. Pulses:						
Gram	31.84	21.29	28.51	38.17	40.16	28.02
Mash	70.05	79.78	62.52	95.77	83.61	83.74
Other Pulses	69.61	123.56	185.63	204.57	258.91	240.24
Total-Pulses	58.37	75.93	99.08	112.70	125.78	116.27
Total-Food Crops	116.68	133.64	128.51	128.20	141.28	127.74
2.NON-FOOD CROPS						
A. Oil Seeds:						
Groundnut	37.23	31.75	10.08	40.15	30.95	25.29
Sesamum	70.64	70.01	67.96	141.05	119.37	94.69
Rape & Mustard	75.46	244.44	221.31	246.64	296.70	287.36
Linseed	71.23	74.19	73.89	49.22	45.79	36.50
Total-Oil Seeds	67.94	114.93	104.90	233.22	142.16	127.45
B. Miscellaneous:						
Potato*	168.63	242.82	228.20*	251.96	206.83	258.51
Sugarcane	54.39	258.76	331.00	319.25	318.35	319.48
Ginger	26.00	27.49	36.67	130.46	142.39	144.64
Tea	..	91.78	79.34	..	..	..
Total-Miscellaneous	115.19	187.05	189.13	224.52	200.17	232.12
Total-Non-food crops	104.00	169.96	169.17	226.58	186.43	207.32
Total-Crops	115.78	136.21	131.39	135.17	144.48	133.38

Source:-Economics & Statistics Department,H.P.

* Data of Agriculture Deptt. has been taken into account.

TABLE-15

DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS 1995-96

District	Number	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	48,656	52,619.98
Chamba	64,524	56,697.36
Hamirpur	69,193	76,579.09
Kangra	2,24,759	2,09,505.09
Kinnaur	9,693	14,310.84
Kullu	57,061	44,233.44
Lahaul & Spiti	3,960	6,422.71
Mandi	1,36,710	1,29,689.20
Shimla	90,112	1,25,917.16
Sirmaur	45,048	1,02,510.28
Solan	49,584	91,579.82
Una	64,137	89,034.71
Himachal Pradesh	8,63,437	9,99,099.68

Source: Directorate of Agricultural Census,H.P.

TABLE-16

LIVESTOCK, POULTRY AND AGRICULTURAL IMPLEMENTS

(In thousands)

Category		1982	1987	1992
A. Livestock:				
1. Cattle	..	21,73	22,45	21,65
2. Buffaloes	..	6,16	7,95	7,04
3. Sheep	..	10,90	11,14	10,79
4. Goats	..	10,60	11,20	11,18
5. Horses and ponies	..	17	20	14
6. Mules and donkeys	..	19	31	24
7. Pigs	..	8	18	7
8. Other livestock	..	6	2	6
Total-Livestock	..	49,89	53,45	51,17
B. Poultry	..	4,61	7,53	7,22
C. Agricultural implements:				
1. Ploughs	..	6,24	7,99	7,10
2. Carts	..	3	5	1
3. Cane crushers	..	3	1	2
4. Tractors	..	9	1	3

Source:-Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

TABLE-17

OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce		Minor produce (Value in '000 Rs.)		
	Timber (Standing Volume '000 cu. metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other Pro-duce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1992-93	391.0	6,892	54,322	1,381	24,635
1993-94	371.2	31,302	74,514	1,628	78,007
1994-95	449.7	1,701	62,153	916	78,342
1995-96	425.8	2,191	62,644	908	61,703
1996-97	452.6	3,389	53,818	2148	66,228
1997-98	461.3	1,085	64,807	818	69,897
1998-99	355.4	515	53,739	1933	89,936
1999-00	312.4	1,147	49,024	1046	72,824

*Firewood extracted/collected includes charcoal extracted also.

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh

TABLE-18

AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1992-93	1,896	31,166	635	450	915	35,062
1993-94	1,896	31,473	680	404	954	35,407
1994-95	1,896	31,453	680	404	993	35,427
1995-96	1,896	31,541	684	404	993	35,518
1996-97	1,896	33,004	930	405	751	36,986
1997-98	1,896	33,012	991	369	748	37,016
1998-99	1,896	33,043	977	369	748	37,033
1999-2000	1,896	33,043	977	369	748	37,033

Source:-Forest Department Himachal Pradesh.

TABLE-19

CO-OPERATION

Item	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	2.	3.	4.	5.
I.Societies(No):				
Agricultural	2,134	2,115	2,119	2,121
Non-Agricultural	2,230	2,224	2,151	2,159
Urban banks	4	5	5	5
State and Central banks	4	4	4	4
Other secondary societies	61	55	55	51
TOTAL	4,433	4,403	4334	4340
II.Membership('000)				
Agricultural societies	919	933	950	970
Non-Agricultural Societies	200	191	176	191
Urban banks	11	12	12	13
State and Central banks	40	41	41	45
Other secondary societies	11	8	8	6
TOTAL	1,181	1,185	1,187	1,225
III.Working Capital(lakh Rs.)				
Agricultural Societies	24680.28	29,972.18	37,321.76	45,189.51
Non-Agricultural Societies	19539.43	23,544.50	18,717.37	31,885.84
Urban banks	4705.36	6,088.19	7,973.48	9,600.38
State & Central banks	169946.15	209976.89	265173.59	3,11,261.55
Other secondary societies	9,002.10	9,803.00	9,803.00	12,592.39
TOTAL	227873.32	279384.78	338989.20	4,10,529.67
IV.Loans Advanced(lakh Rs)				
Agricultural societies	3308.02	5763.51	6808.92	7,409.60
Non-Agricultural societies	4751.01	2725.26	4093.94	4,463.70
Urban banks	3154.05	5145.80	6498.78	14,653.08
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	100229.71	122606.52	40738.53	9,916.02
V.Loans outstanding(lakh Rs.)				
Agricultural societies	6351.71	9498.64	11279.27	12,814.39
Non-Agricultural societies	6833.17	3523.60	4612.83	5,592.98
Urban banks	2267.07	2854.80	3411.49	4,492.70
Primary Land Mortgage Bank & State & Central Banks	35552.80	19048.00	20493.15	28,436.03

Source:-Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-20

GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(In million kwh)

Item	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-2002*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Electricity generated	1252.0	1306.0	1484.5	1201.3	1153.3	1157.0
2.Electricity purchased from BMB & other States	2064.6	2287.6	2333.8	2682.9	2672.3	3036.0
3.Electricity consumed						
(a)Domestic	426.7	474.4	537.7	594.5	636.5	687.0
(b)Commercial light,public water works & sewage pumping	120.5	134.9	139.8	148.9	369.8	372.0
(c)Industrial	1059.9	1182.5	1249.3	1295.4	1069.0	1150.0
(d)Street lighting	6.0	6.0	6.7	7.9	8.4	9.0
(e)Irrigation & agriculture	11.3	10.5	12.0	16.5	19.2	18.0
(f)Others	132.7	138.2	137.9	118.5	102.9	144.0
Total Consumption	1757.1	1946.5	2083.4	2181.7	2205.8	2380.0
4.Electricity sold outside the State	963.3	954.2	963.2	936.5	833.8	997.0

Source: State Electricity Board, Himachal Pradesh.

* Estimated upto March, 2002.

TABLE-21

AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub- Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1992-93	69,439	29,475	14,008	37,621	26,348	1,76,891
1993-94	72,406	30,174	14,553	37,961	27,772	1,82,866
1994-95	75,469	30,780	14,935	38,323	30,182	1,89,689
1995-96	78,292	31,292	15,237	38,595	32,268	1,95,684
1996-97	80,338	31,088	15,478	38,369	30,939	1,96,212
1997-98	83,056	31,645	15,832	38,635	33,194	2,02,362
1998-99	85,631	31,925	16,061	38,711	34,912	2,07,240
1999-2000	88,673	32,400	16,396	39,138	36,344	2,12,951
2000-2001	88,673	32,400	16,396	39,138	36,344	2,12,951

Source:- Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-22

PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub- Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1992-93	279.05	16.04	2.64	9.31	17.81	324.85
1993-94	294.73	21.39	2.21	4.41	2.73	325.47
1994-95	122.78	27.50	2.37	6.67	11.22	170.54
1995-96	276.68	21.07	2.48	5.84	5.82	311.89
1996-97	288.54	24.79	3.35	13.83	21.12	351.63
1997-98	234.25	25.12	2.45	11.76	6.11	279.69
1998-99	393.65	17.97	3.07	13.11	19.87	447.68
1999-2000	49.13	17.90	1.89	9.26	11.23	89.41
2000-2001	376.73	20.45	2.75	11.06	17.04	428.04
2001-2002 (Upto Dec. 2001)	169.20	22.50	2.60	8.00	14.00	216.30

Source:- Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-23

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

Date of Census	Regular	Part time Employees	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
31st March,				
1990	.. 1,11,700	4,217	6,098	58,617
1991	.. 1,13,851	4,613	5,434	58,024
1992	.. 1,14,831*	4,866	6,126	65,042
1993	.. 1,12,717*	5,404	6,624	59,570
1994	.. 1,13,039*	5,426	6,455	60,124
1995	.. 1,15,493*	5,704	12,023	56,725
1996	.. 1,17,944*	5,667	17,716	58,607
1997	1,20,703*	6,308	19,294	56,318
1998**	1,23,626	7,242	21,039	54,983
1999	1,31,919	8,718	23,778	54,190
2000(P)	1,36,085	9,000	27,827	52,430

Source:- Economics & Statistics Department, H.P.

* Excludes adhoc & tenure basis employees.
**as on 31.12.1997

TABLE-24

EMPLOYMENT EXCHANGE STATISTICS

Year	Candidates registered	Placements	Vacancies notified	On live register
1.	2.	3.	4.	5.
1991	91,176	4,069	6,069	4,58,738
1992	96,580	5,223	5,878	4,73,677
1993	1,02,602	4,483	7,402	4,84,128
1994	1,47,649	5,659	10,011	5,35,403
1995	1,37,512	5,927	9,017	5,81,858
1996	1,62,660	5,559	11,398	6,40,419
1997	1,74,500	8,963	4,527	7,16,252
1998	1,91,733	3,735	8,144	8,01,102
1999	1,66,038	5,622	7,926	8,63,903
2000	1,41,207	2,580	3,568	8,86,433
2001(30.11.2001)	1,32,431	3,018	1,764	9,10,604

Source:-Directorate of Labour & Employment,H.P.

TABLE-25

EDUCATION

Item	As on 31st March			
	1998	1999	2000	2001
1.	2.	3.	4.	5.
o. of Educational Institutions:				
.Primary/Junior Basic Schools	10,484*	10,633*	10,633*	10,633*
.Middle/Senior Basic Schools	1,056	1,474	1,486	1,672
.High/Higher Secondary Schools	1,339	1,444	1,484	1,506
Degree colleges**	36*	36*	37*	37*

Source:-Education Department, Himachal Pradesh.

Only Govt. institutions.
Includes one B.Ed. college at Dharamshala and one NCERT institution at Solan.

TABLE-26

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001 (As o 31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Allopathic institution						
(a)Hospitals*	57	64	73	81	81	89
(b)P.H.Cs.	268	317	312	302	304	304
(c)C.H.Cs.	42	54	55	65	65	65
(d)Dispensaries*	184	173	173	172	172	173
TOTAL	551	608	613	620	622	631
2.Beds available*	9,141	9,316	9,662	9776	9826	10058
3.Ayurvedic institutions						
(a)Hospitals	14	15	22	22	22	22
(b)Nature Cure Hospital	1	1	1	1	1	1
(c)Dispensaries/ Health Centres	809	964	1,109	1110	1112	1112
(d)Ayurvedic Pharmacies	2	2	2	2	2	2
(e)Research Institution	1	1	1	1	1	1
TOTAL	827	983	1,135	1,136	1138	1138
4.Beds availbale	574	664	664	764	764	764
5.Unani Dispensaries	3	3	3	3	3	3
6.HomoeOpathy Dispensaries	14	14	14	14	14	14

Source:-Directorate of Health & Family Welfare and Ayurveda,Himachal Pradesh.

*It also includes private, State Special, Cantonment Board and Missionary Medical Institutions.

TABLE-27

ROADS

(In Kilometre)

Type of road	As on 31st March					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Motorble double lane	2,200	2,250	2,290	2,309	2,329	2,332
2.Motorble single lane	17,110	17,510	17,980	18,491	19,145	19,874
3.Jeepable	910	921	961	1,001	950	906
4.Less than Jeepable	4,445	4,475	4,542	4,572	4,310	4,105

Source:-Public Works Department,Himachal Pradesh.

Note-Figures include National Highways also.

TABLE-28

NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles				No. of routes under operation	Distance covered ('000 kilometres)
	Buses	Trucks	Others	Total		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1991-92	1,606	9	58	1,673	1,524	106,667
1992-93	1,614	-	-	1,614	1,569	113,278
1993-94	1,598	9	56	1,663	1,499	122,194
1994-95	1,670	9	58	1,737	1,526	123,476
1995-96	1,692	8	63	1,763	1,621	126,633
1996-97	1,711	9	54	1,774	1,627	128,454
1997-98	1,753	9	57	1,819	1,658	134,264
1998-99	1,777	10	65	1,852	1,748	138,000
1999-2000	1,734	10	59	1,803	1,754	141,172
2000-2001	1,728	10	61	1,799	1,733	140,941
2001-2002	1,766	9	61	1,836	1,765	96,610
(Upto 11/2001)						

Source:-Himachal Road Transport Corporation,Shimla.

TABLE-29

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base:1982=100		For Urban non-manual Employees Shimla Centre Base:1984-85=100
	General Index	Food Index	
1.	2.	3.	4.
1992	226	235	198
1993	244	253	213
1994	268	287	236
1995	292	315	252
1996	314	336	268
1997	340	363	299
1998	386	420	332
1999	407	432	352
2000	430	439	371
2001	447	449	391
January	440	442	382
February	441	441	382
March	443	442	383
April	446	447	385
May	446	446	385
June	446	446	387
July	447	451	395
August	452	459	398
September	451	455	400
October	451	455	397
November	454	461	398
December	449	448	..

Source:-Labour Bureau, Government of India.

TABLE-30

ALL-INDIA INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES

Items	(Base 1981-82=100)				(Base 1993-94=100)	
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ALL COMMODITIES	295.7	314.6	329.8	352.4	145.3	155.7
I.Primary articles:	304.1	328.4	339.5	379.1	158.0	162.5
A.Food articles:	335.7	375.1	388.0	440.9	165.5	170.5
B.Non-food articles	321.7	329.8	340.5	376.5	143.0	146.5
C.Minerals	153.5	157.3	162.9	162.1	110.4	113.5
II.Fuel,power,light & lubricants	285.4	324.2	365.7	381.3	162.0	208.1
III.Manufactured products	293.1	305.0	317.5	331.9	137.2	141.7
A.Food products	278.8	297.3	321.3	344.6	151.3	145.7
B.Beverages,tobacco & tobacco products	373.9	392.9	442.0	474.2	174.1	179.8
C.Textiles	294.6	304.1	310.3	320.4	115.0	119.9
D.Wood & Wood products	442.0	445.8	513.0	605.2	193.9	180.0
E.Paper & paper products	374.0	377.4	370.0	388.5	149.3	165.4
F.Leather & leather products	276.8	281.2	290.5	305.5	154.6	149.6
G.Rubber & plastic products	235.4	244.0	245.2	248.2	123.6	125.5
H.Chemical & chemical products	249.9	259.3	269.3	281.8	155.2	164.4
I.Non-metallic mine products	315.8	334.5	341.9	356.7	127.4	133.9
J.Basic metals, alloys & metal products	329.0	339.6	348.8	353.1	135.0	140.3
K.Machinery & machine tools including electrical machinery	282.8	295.0	299.4	304.7	116.1	123.0
L.Transport equipment & parts	254.5	265.9	274.9	285.8	135.4	134.4
M.Other miscellaneous (manufacturing industries)	169.9	175.1	1179.0	180.9	..	..

Source:-(i) Ministry of Industries, Govt. of India.
(ii) R.B.I. Bulletins.

TABLE-31

PLAN OUTLAYS

(Rs. in lakh)

Sector/Head of Development	Provisions for Annual Plan (2002-2003)
1.	2.
A. Economic Services:	
I. Agriculture and Allied Services :	
1. Crop Husbandry:	
(a) Agriculture	2,738.78
(b) Horticulutre	2,039.36
Sub-total (1)	4,778.14
2. Soil Conservation:	
(a) Agriculture	1,888.95
(b) Forests	478.90
Sub-total (2)	2,367.85
3. Animal Husbandry	3,255.61
4. Dairy Development	272.00
5. Fisheries	235.04
6. Forests and Wild Life :	
(a) Forestry	6,968.35
(b) Wild Life	363.61
Sub-total (6)	7,331.96
7. Agriculture, Research and Education:	
(a) Agriculture	648.00
(b) Horticulture	634.00
(c) Animal Husbandry	311.00
(d) Forests	372.00
(e) Fisheries	36.00
Sub-total (7)	2,001.00
8. Marketing and Quality Control:	
(a) Agriculture	-
(b) Horticulture	1,055.00
Sub-total (8)	1,055.00
9. Co-operation	287.17
TOTAL-I	21,583.77
II. Rural Development:	
1. Special Programme for Rural Development:	
(a) Swaran Jayanti Gram Swarojgar Yojana	259.68
(b) Special S.G.S.Y. Projects/JRY Projects	342.00
(c) DRDA's staff expenditure	140.00
Sub-total (1)	741.68

TABLE-31-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
2. Rural Empolyment:	
(a) Sampuran Gramin Rojgar Yojna/ JGSY plus EAS	963.01
(b) D.P.A.P.	97.00
(c) I.W.D.P. Projects	100.00
(d) D.D.P.	84.53
Sub-total (2)	1,244.54
3. Land Reforms:	
(a) Cadastral Survey and Records of Rights	649.00
(b) Supporting Services	2.00
(c) Consolidation of Holdings	245.00
(d) Strengthening of LRÁ	654.12
(e) Revenue Housing	18.95
(f) Forest Settlement	200.00
Sub-total (3)	1,769.07
4. Community Development	558.05
5. Panchayats	2,980.90
TOTAL-II	7,294.24
III. Speical Area Programme	400.00
IV. Irrigation and Flood Control	8,694.92
V. Energy:	
1. Power:	20,242.50
2. Non-Conventional Energy Sources	
(a) Bio-gas Development	84.70
(b) Development of New and Renewable Soruces of Energy	159.44
© I.R.E.P.	90.00
Sub-total (2)	334.14
TOTAL-V	20,576.64
VI. Industry and Minerals:	
1. Village and Small Industries	1,609.94
2. Large and Medium Industries	51.40
3. Mining	70.00
TOTAL-VI	1,731.34
VII. Transport:	
1. Civil Aviation	110.00
2. Roads and Bridges	33,612.65
3. Road Transport	1,531.00
4. Inland Water Transport	7.00
5. Ropeways/Cable ways	37.50
TOTAL-VII	35,298.15

TABLE-31-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
VIII. Tele-communication	35.00
IX. Science, Technology and Environment:	
1. Scientific Research	108.00
2. Ecology and Environment	10.00
3. Bio-technology	20.00
TOTAL-IX	138.00
X. General Economic Services:	
1. Sectt. Economic Services	458.00
2. Tourism	467.67
3. Survey & Statistics	52.00
4. Civil Supplies	100.87
5. Weights and Measures	19.00
6. Other General Services:	
(a) Institutional Finance and Public Enterprises	100.00
(b) District Planning	4,544.27
7. Consumer Commission	110.00
TOTAL-X	5,851.71
TOTAL-A-Economic Services	1,01,603.77
B. Social Services:	
XI. Education Sports, Art and Culture:	
1. Primary Education	15,496.74
2. General and University Education	29,509.33
3. Adult Education/TLC/PLC	5.00
4. Technical Education	777.93
5. Art and Culture	296.31
6. Sports and Youth Services	403.15
7. Others:	
(i) Mountaineering and Allied Sports	124.50
(ii) Gazetteer	14.00
Sub-Total (7)	138.50
TOTAL-XI	46,626.96
XII. Health:	
1. Allopathy	8,173.47
2. Ayurveda and Other ISMs	2,997.76
3. Medical Education	2,116.00
4. Dental Deptt.	92.00
5. Directorate of Medical Edu. | RES.	22.00
TOTAL-XII	13,401.23

TABLE-31-Contd...

(Rs. in lakh)

1.	2.
III.Water Supply,Housing & Urban Development and Sanitation:	
1. Water Supply:	
(a)Urban Water Supply	1,131.10
(b)Rural Water Supply	8,221.77
Sub-Total-1	9,352.87
2. Sewerage and Sanitation:	
(a)Sewerage Services	1,920.64
(b)Rural Sanitation	25.00
(c)Low Cost Sanitation	12.50
Sub-Total-2	1,958.14
3. Housing including Police Housing:	
(a)Pooled Govt. Housing	334.00
(b)Housing Department	5,200.00
(c)Rural Housing	115.13
(d)Police Housing	63.00
(e)Housing loan to Govt. Employees	1,000.00
(f)Indira Awas Yojana	170.00
Sub-Total-3	6,882.13
4.Urban Development:	
(a)Town and Country Planning	328.23
(b)Environment Improvement of Slums	231.86
(c)Grant-in-aid to Local Bodies and Directorate of Urban Local Bodies	1,900.00
Sub-Total-4	2,460.09
TOTAL-XIII	20,653.23
XIV. Information and Publicity	435.10
XV. Welfare of SC/ST/OBCs:	
(a)Welfare of Backward Classes	957.04
(b)Equity contribution to Welfare Corporation	305.00
TOTAL-XV	1,262.04
XVI.Labour and Labour Welfare	155.75
XVII.Social Welfare :	
(a)Social Welfare	2,713.87
(b)S.N.P. including ICDS	1,078.00
TOTAL-XVII	3,791.87
TOTAL-B-Social Services	86,326.18

TABLE-31-Conld...

(Rs. in lakh)

1.	2.
C. General Services:	
1. Stationery and Printing	175.00
2. Pooled non-residential Government Buildings	779.05
3. Others:	
(a) HIPA	41.00
(b) Nucleus Budget for Tribal Areas	70.00
(c) Tribal Development Machinery	110.00
(d) Development /Welfare of Ex-Servicemen	30.00
(e) Upgradation of Judiciary Infrastructure	140.00
(f) People's participation in field development	72.00
(g) Fire services	60.00
(h) Police training	164.00
(i) Jail	29.00
(j) People's participation in Dev. (Hqrs.)	240.00
(k) Upgration of Vidhan Sabha Library	60.00
(l) Improvement of Vidhan Sabha Complex	100.00
Sub-Total-3	1,116.00
TOTAL-C-General Services	2,070.05
TOTAL (All Sectors A+B+C)	**1,90,000.00**

Source: Planning Department, Himachal Pradesh

TABLE-32

INCIDENCE OF CRIMES

District	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bilaspur	1,037	902	865	986	1241	1284
Chamba	1,147	1,073	790	831	759	878
Hamirpur	662	679	633	717	754	883
Kangra	3,442	3,418	2,999	2,665	2455	2712
Kinnaur	286	232	187	226	134	177
Kullu	1,017	1,074	1,036	1,053	1069	1104
Lahaul-Spiti	153	147	138	146	176	152
Mandi	2,172	1,953	1,970	1,970	2262	2254
Shimla	2,651	2,398	2,411	2,363	2398	2458
Sirmaur	1,126	1,000	1,128	1,252	1160	1063
Solan	1,271	1,256	1,575	1,419	1426	1385
Una	1,179	1,094	1,205	1,123	1136	1161
Railway & Traffic	11	4	6	7	6	5
Himachal Pradesh	16,162	15,230	14,983	14,758	14976	15516

Source:-Police Department, Himachal Pradesh.

National ... Educational Planning ... 17-B ... New ... DOC,
NIEPA DC
D12133

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला--3263-डी.ई.एस./2002-2-3-2002--1500.